

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Saturday, August 27, 2011/Bhadra 5, 1933 (Saka)

(PLEASE SEE SUPPLEMENT ALSO)

*LOK SABHA DEBATES

(NO QUESTION HOUR: PART I - NOT ISSUED)

PART II -PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Saturday, August 27, 2011/Bhadra 5, 1933 (Saka)

<u>C ON T E N T S</u>	PAGES
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	6832
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	6833
STATEMENT RE: ISSUES RELATING TO SETTING UP OF A LOKPAL	6834-
Shri Pranab Mukherjee	6834-42
DISCUSSION RE: STATEMENT MADE BY FINANCE MINISTER ON ISSUES RELATING TO SETTING UP OF LOK PAL	6843-
•••	6843-46
Shrimati Sushma Swaraj	6847-64
Shri Sandeep Dikshit	6865-77
Shri Rewati Raman Singh	6878-83
Shri Dara Singh Chauhan	6884-86
Shri Sharad Yadav	6887-98
*Shri Harin Pathak	6899
Shri Sudip Bandyopadhyay	6900-03
Shri T.K.S. Elangovan	6904-07

^{*} Laid on the Table

Shri Basudeb Acharia	6908-14
*Shri Jose K. Mani	6915-15C
*Shri Devji Patel	6916-16F
*Shrimati Poonam Veljibhai Jat	6917-18
*Prof. Sk. Saidul Haque	6919-19B
Shri Bhartruhari Mahtab	6920-27
*Dr. Kirit P. Solanki	6928-28B
*Shri S.S. Ramasubbu	6929-30
*Shri Ram Singh Kaswan	6931-31A
*Dr. Kirodi Lal Meena	6932-32C
*Shri Anto Antony	6933-33B
*Shri Prem Das Rai	6934-34A
*Shri Ravinder Kumar Pandey	6935-35A
Shri Anant Gangaram Geete	6936-40
*Shri Virendra Kumar	6940A
*Shri Hansraj G. Ahir	6941-41A
Dr. Sanjeev Ganesh Naik	6942-43
*Shri Virender Kashyap	6944
Dr. M. Thambidurai	6945-50
*Dr. Mahendrasinh P. Chauhan	6951-51A
*Shri Radhe Mohan Singh	6952-53
*Shri A.T. Nana Patil	6954-54A
Shri Nimmala Kristappa	6955-56
*Shri Bhaskar Rao Patil Khatgonkar	6957-58
Shri Jayant Chaudhary	6959-64

^{*} Laid on the Table

*Shri Ramsinh Rathwa	6965-65B
*Dr. Nirmal Khatri	6966
Shri Gurudas Dasgupta	6967-72
*Shrimati Jyoti Dhurve	6973-74
*Shri Haribhau Madhav Jawale	6975
*Shri Pralhad Venkatesh Joshi	6976-76A
*Ms. Meena Singh	6977-77A
*Shri Shivarama Gouda	6978
*Prof. Ramashankar	6979-79A
*Shri Rajendra Agrawal	6980-80A
*Shri C.R. Patil	6981
*Shri Hukmdeo Narayan Yadav	6982-83
*Shrimati Yashodhara Raje Scindia	6984-85
*Dr. Sanjay Jaiswal	6986-86A
*Shri Bal Kumar Patel	6987-87A
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	6988-93
*Shri P.T. Thomas	6994-95
*Shri Ganesh Singh	6996-99
Shri Lalu Prasad	7000-09
@Shri O.S. Manian	7010
*Shri Shiv Kumar Udasi	7011
Shri H.D. Devegowda	7012-15

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT) $_{\rm xxxx}$

^{*} Laid on the Table

[@]For English translation of the speech, please see the Supplement (PP.7010A - 7010E.

(a1/1100/tkd-rps)

1100 hours

(Madam Speaker in the Chair)

MADAM SPEAKER: Item No. 1. Secretary-General.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1101 hours

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker. I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 26th August. 2011 agreed without any amendment to the Transplantation of Human Organs (Amendment) Bill. 2011 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 12th August. 2011."

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति विवरण

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

- 1. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के छठे प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- 2. जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के पांचवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2010-11) (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

STATEMENT RE: ISSUES RELATING TO SETTING UP OF A LOK PAL

1102 hours

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I rise to make a statement on issues relating to setting up of Lokpal on which a debate has been going on within the House and outside the House.

At the outset, even taking the risk of repetition, I would like to once again request Shri Anna Hazare to end his fast in view of the appeal made by the hon. Prime Minister in his statement and the sentiments expressed by the hon. Leader of the Opposition and by the hon. Speaker of this August House on 25th August, 2011.

Madam Speaker, I seek your indulgence to recount the sequence of events which brought us to where we are today.

On 5th of April, 2011, Shri Anna Hazare went on an indefinite fast. Of course, oral correspondence between the Government representatives and his representatives took place and ultimately on 8th April, 2011, the Government constituted a Joint Drafting Committee (JDC) consisting of five nominees of Shri Anna Hazare including himself and five nominee-Ministers appointed by the Government to prepare a draft of the Lokpal Bill. Shri Hazare ended his fast on 9th April, 2011.

The Joint Drafting Committee met nine times during April-June 2011. In the first meeting of the Joint Drafting Committee on 16th April 2011, preliminary discussions were held to draft the legislation for the Lokpal. During the second meeting of the Committee, 40 Basic Principles and the Statement of Objects and Reasons were circulated by Shri Anna Hazare's team which formed the basis of discussions in subsequent meetings of the Committee. There were extensive deliberations on these basic principles' wherein the scope and vision of the proposed Lokpal were discussed. Out of the 40 Basic Principles, we had agreement on 20 issues; we had agreement with the editorial changes on seven

issues; on seven issues, we had agreement in principle subject to further discussions. That takes into account 20+7+7 = 34. There were divergences of views between the representatives of the Government and the representatives of the Civil Society on the vision and scope of the Lokpal on six major issues. I would like to explain these six major issues.

(b1/1105/brv-jr)

Should one single Act be provided for both the Lokpal in the Centre and Lokayukt in the States? Would the State Governments be willing to accept a draft provision for the Lokayukt on the same lines as that of the Lokpal?

Should the Prime Minister be brought within the purview of the Lokpal? If the answer is in the affirmative, should there be a qualified inclusion?

The third issue was: Should judges of the Supreme Court and High Court be brought within the purview of the Lokpal?

The fourth iss as: Should the conduct of the Members of Parliament inside Parliament (speaking and voting in the House) be brought within the purview of the Lokpal? This protection to Lok Sabha Members, Members of Parliament is provided under Article 105, Clause 2 of the Constitution.

The fifth issue was: Whether Articles 311 and 320 (3) (c) of the Constitution notwithstanding members of a civil service of the Union or an All-India Service or a civil service of a State or a person holding a civil post under the Union or State, be subject to enquiry and disciplinary action including dismissal/removal by the Lokpal/Lokayukta, as the case may be.

The last point was: What should be the definition of the Lokpal, and should it itself exercise quasi-judicial powers also or delegate these powers to its subordinate officers? Because, it was agreed that the Lokpal would be a totally independent organisation, it would have its own set up, officers will be appointed by the Lokpal and the expenditure of the Lokpal will not be voted by the Parliament. It will be charged as the amounts spent by the Supreme Court are charged, not voted by Parliament.

Comment: cd. by b1

Comment: Mukher cd

On 31st May 2011, I wrote to the Preisdents of various political parties and the Chief Ministers of States soliciting their views on these six contentious issues. Responses were received from 25 Chief Ministers and six Party Presidents and leaders. I would like to give some extract from these letters because all these letters are in the domain of the public knowledge. It is on the website of the Ministry of Personnel and Public Grievances.

The BJP President, in his letter dated 2nd June 2011 stated, I am quoting a few lines:

"Expecting political parties to give their views to a drafting committee comprising of Civil Society representatives for acceptance or otherwise would be upsetting the constitutional propriety where parties, parliamentarians and the Parliament have the last word. They are the decision makers and not suggestion givers."

The General Secretary of CPI stated that "as a political party, they will most certainly state their views and suggestions during the discussions on the Bill within the Parliament."

The President of the BSP expressed her inability to respond to the issues raised as no BSP representative had been included in the discussions of the JDC. She also stated that in parliamentary democracy, the Bill has to be examined by the Parliament and the Standing Committee where detailed discussions are held.

[c1/1110/kvj-har]

The General Secretary of Samajwadi Party in his letter stated that Government was holding a direct discussion with the so called representatives of the Civil Society in the JDC. On the other hand, leaders of the political parties have been sent a questionnaire. This was not acceptable to the Samajwadi Party and hence they will not send any reply.

The Joint Drafting Committee concluded its deliberations on 21^{Sl} June 2011 and both sides exchanged their drafts for the Lokpal Bill. Both these drafts were forwarded to the Government for further action.

Comment: Cd by c1

Comment: Sh. Pranab mukherjee cd.





To solicit the views of various political parties, an all party meeting was convened on 3rd July 2011. In course of discussions, the representatives of various political parties emphasized and we have summed it up that:

- The supremacy of the Constitution of India has to be maintained.
 Institutions of democracy cannot be undermined and the checks and balances visualized in the Constitution cannot be adversely affected.
- Laws have to be made by the Parliamentarians who are elected representatives of the country. A few nominated members of the Drafting Committee cannot have precedence over elected Members of Parliament.

On the conclusion of this meeting, it was unanimously resolved that "Government should bring before the next session of Parliament a strong and effective Lokpal Bill, following the established procedures". We did exactly the same – following the established procedures – brought the Bill and introduced on 4th August 2011. Whether it is strong or effective is a matter of judgment; we will decide about it.

This meeting was followed informally by a round of informal consultations by some of my colleagues including myself with not all, but some political leaders and their inputs were also incorporated in the Bill which has been introduced in the House.

In pursuance of the decisions of the All Party Meeting, the Government worked on the draft Lokpal Bill prepared by the Joint Drafting Committee and after following the formal process of inter-ministerial consultations and Cabinet approval, the Bill was introduced in Parliament on 4th August 2011.

Unfortunately, even before the Bill could be introduced in the Parliament, Shri Anna Hazare's representatives restarted the agitation by burning copies of the draft Lokpal Bill. Shri Hazare also declared that if the Jan Lokpal Bill is not passed by the Parliament by 15th August 2011, he would proceed on indefinite fast with effect from 16th August 2011.

The Prime Minister through his Independence Day Address on 15th August, again implored Shri Hazare to abstain from the fast. However, this appeal was ignored.

On 16th August 2011, Shri Anna Hazare has again proceeded on fast. In view of his deteriorating health and Government's increasing concern for Annaji's condition, Prime Minister wrote a letter to him on 23rd August 2011, making a fervent appeal for ending the fast.

To carry the negotiations forward, the Prime Minister directed me and Shri Salman Khursheed to hold discussions with the representatives of Shri Anna Hazare. A meeting was held on 23rd August 2011 and it was clarified to Shri Anna Hazare's representatives that the Lokpal Bill is now before the Standing Committee.

(d1/1115/spr)

All options are open before the Standing Committee to consider not only the Bill introduced by the Government but the Jan Lokpal Bill as well as other versions sent by eminent members of the Civil Society.

In deference to the wish expressed by Annaji, the Government is prepared to request the Speaker, Lok Sabha to formally refer the Jan Lokpal Bill to the Standing Committee for their consideration along with other proposals before the Standing Committee.

About tirted and speed, the Government can formally request the Standing Committee to try, ect to its convenience, fast tracking their deliberations to the extent feasible.

I explained to Annaji's representatives that Lokpal Bill alone cannot root out corruption. We need multi-layered laws to deal with corruption at various levels. In addition to the Lokpal Bill, we are willing to strengthen the Judicial Accountability Bill and the Whistle Blowers Bill and the inputs of Shri Anna Hazare and his associates will be taken into consideration. We are also working on a Grievance Redressal Bill to tackle corruption at local level.

Comment: cd. by d1

Comment: Sh pranab cd

I again requested Annaji's representatives to convey our earnest request to him to end the fast and give us the space to proceed in the matter.

At this stage, Annaji's representatives made the following demands, and I quote:

"If the Government can agree to introduce Jan Lokpal Bill - I am exactly quoting without any editorial comments, because I got this in a piece of paperr written by themselves - (after removing those items on which we have differences) after clearing by the Law Ministry within four days and also provide a commitment that the Bill will not be referred to the Standing Committee and will be discussed and passed (with minor amendments adopted by Parliament) during this Session of Parliament (even if it is extended), we can then hopefully persuade Annaji to stop this fast. (Above to be a written commitment with timelines)."

The meeting was ended around 10.15 in the night, maybe this side or that side a little bit. I told them that it would not be possible for me to make any commitment right now. I shall have to consult the Prime Minister. I requested the Prime Minister. He was kind enough to call the CCPA meeting at 11 in the night. In the CCPA meeting, it was discussed and ultimately, the decision was taken, and I was entrusted to communicate this decision to them in the next meeting.

Apart from these issues, three other issues were also brought by Annaji's representatives in that meeting, which I would discuss in a little greater detail when I am just mentioning these issues - 1. Public Grievances and Citizen Charter; 2. Lokayukta; and 3. Lower bureaucracy.

Their demand was that the following substantive issues be the part of the Jan Lokpal Bill. Thereafter, the next day, all-Party meeting was scheduled to be held in the afternoon, 3.30 or so, I decided that I will report these to the representatives of the all-Party meeting, which I did.

Comment: Cd by e



(e1/1120/ksp/asa)

Comment: (Shri Pranab Mukherjee - Cd.)

For the information of hon. Members, I am just reproducing the Resolution which was adopted in the All Party Meeting. It says:

"This meeting of all political parties in Parliament requests Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lokpal Bill so that the Final Draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal which is supported by a broad national consensus."

This was the unanimous esolution passed there. In a late evening meeting held with Annaji's representatives on 24th August 2011, the same day, I conveyed the inability of the Government to accept the conditions put forward by them on 23 rd August 2011 and referred to by me earlier.

The Prime Minister made a statement in this House on 25th August 2011 reiterating our Government's commitment to the passage of a strong Lokpal Bill. Prime Minister also stated that he would welcome the Members of this House to discuss the Lokpal Bill before the Standing Committee, the Jan Lokpal Bill as well as other draft Bills and views of members of Civil Society which have been brought to the attention of the Government. I believe that the entire House is committed to the eradication of corruption at all levels. These are extracts from the Prime Minister's statement.

Our Government is committed, therefore, to bring appropriate legislation as well as put in place mechanisms that will reduce discretion and bring transparency in the functioning of public offices as well as take strong measures against those who indulge in corruption. Apart from other issues, the three issues are of much significance because these have been again reiterated by Shri Anna Hazare in his letter to the Prime Minister and which is being widely debated. Here I would like to take the considered views of this House and, perhaps, after the deliberation is over, at the end of the debate, we can arrive, if possible, at a consensus which will reflect the consensus of the House in that part, but that part will come later on. Now I am posing those questions. They are as follows:

- (i) Whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all employees of the Central Government?
- (ii) Whether it will be applicable through the institution of the Lok Ayukt in all States?
- iii) Whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the 'grievance redressal mechanism' to be put in place?

The specific issues raised by Shri Anna Hazare are important. They deserve our serious consideration. In case a consensus emerges at the end of the discussions, the Standing Committee will, in the course of their deliberations, take into account their practicability, implementability and constitutionality. We have to keep in mind that everything that we do, must be consistent with the principles enshrined within our Constitutional framework.

Madam Speaker, we are at a crossroad. No doubt, an agitation is going on. All of us want to end this agitation. At the same time, we must remember that all of us have taken oath, three times in the case of Ministers and two times in the case of Members, while filing nomination, after getting elected and entering into the House.

(f/1125/rs/sk)

We have to take oath and the basic tenet of the oath is that we have to abide by the Constitution and uphold the Constitution. Therefore, whatever we do, we shall have to do it within the framework of the Constitution.

My respectful submission to my colleagues would be: 'give your considered views on these issues which are being raised'. I am told that if these issues are resolved, perhaps it may be, I do not know whether it is sure, possible for Shri Anna Hazare to take a view on it. Therefore, my most respectful submission to my colleagues, on both sides, should be that let us have a discussion dispassionately.

Comment: (Cd. by f1)

Comment: Pranab ctd

We are at a crossroad, if I am not exaggerating then perhaps this is one of the rare occasions when the proceedings of this House is drawing attention of the entire nation and perhaps even outside the nation because the largest functional democracy of the world is at a very crucial stage.

Keeping that in view, my most respectful submission to our colleagues and the House -- of course, this is not a part of my written statement, I may be excused for that, but if you want I can incorporate it and later on authenticate it -- should be to have a dispassionate objective discussion, try to find out a solution within the constitutional framework, without compromising the parliamentary supremacy in the matter of legislation and at the same time to ensure that we can resolve this impasse.

Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity.

(ends)

DISCUSSION RE: STATEMENT MADE BY FINANCE MINISTER ON ISSUES RELATING TO SETTING UP OF LOK PAL

MADAM SPEAKER: Thank you, hon. Leader of the House. The hon. Leader of the House, in his statement, has proposed certain issues for consideration by the House. Is it the wish of the House that we may now immediately take up the discussion on the statement made by hon. Leader of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM SPEAKER: I would also request the House to allot time for this discussion.

कुछ माननीय सदस्य: महोदया, सब बोलेंगे।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Some time.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Yes, but some time.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए। आप सब से ही पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I have requested the House to allot the time. Please take your seats. I am not deciding on it.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: I have requested the House.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

MADAM SPEAKER: Please take your seats. Yes, Advani Ji. Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मुझे प्रसन्नता है कि सदन के नेता ने जो वक्तव्य सदन के सामने विचार के लिए रखा है, उसमें वह प्रश्न स्पष्ट रूप उल्लिखित है जिसके उत्तर के आधार पर श्री अन्ना हजारे अपना उपवास छोड़ें या न छोड़ें, यह अवलंबित रहेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम चर्चा दिन भर करें लेकिन आज शाम तक इसके बारे में सदन की राय...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोलने दीजिए। आडवाणी जी खड़े हैं। आप बैठ जाइए। आडवाणी जी सुझाव दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

(g1/1130/bks-rc)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): सदन की राय श्री अण्णा हजारे जी तक पहुंचेगी तो आज ही वह निर्णय हो जायेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समय दें और हम भी चाहेंगे कि सब लोग बोलें...(व्यवधान) लेकिन यह बात सही है कि लोक पाल विधेयक पर ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री आडवाणी जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): लोक पाल विधेयक आगे बढ़ेगा और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन आज की चर्चा बहुत सार्थक होगी, अगर उसके परिणामस्वरूप कल प्रधान मंत्री जी ने, विपक्ष ने, आपने और तीनों के द्वारा पूरे सदन ने जो अपील की है, उस अपील के उस उत्तर में श्री अण्णा हजारे अपना उपवास समाप्त करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऑनरेबल मिनिस्टर, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, मेरी बात भी सुन ली जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इनके बाद बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप एक मिनट मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदया : लालू प्रसाद जी, आप इतना क्रोधित मत हुआ कीजिए। आप क्रोधित हुए बिना बोलिये।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मेरी बात सून ली जाए।

अध्यक्ष महोदया : हां, हम सून रहे हैं।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, प्रणव बाबू ने पूरे मूवमैन्ट पर सरकार के एटीच्यूड की हिस्ट्री बताई और अभी इनका कंक्लूडिंग रिमार्क आया कि संविधान और सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामैन्ट के दायरे में ही कोई बात होगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या इनके बयान पर हम लोग डिस्कशन करें, अपनी राय दें और स्टैंडिंग कमेटी में या संविधान के दायरे में आने की जो बात हुई है, क्या सरकार यह वॉयलेट नहीं कर रही है?

अध्यक्ष महोदया : आप अभी समय की बात बताइये।

श्री लालू प्रसाद (सारण): मेरी बात स्नी जाए।

अध्यक्ष महोदया : आप फिर गुस्सा हो रहे हैं। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप समय के बारे में बताइये।

श्री लालू प्रसाद (सारण): जो मामला स्टैंडिंग कमेटी में हैं, उस कमेटी को बाइपास मत कराइये, बिक्क इस पर आप खुली बहस कराइये। आप वॉयलेट कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जो मैटर है और उस पर जिन्हें कुछ कहना है, वे स्टैंडिंग कमेटी में आकर कहें और जिनका मैटर है, वहां रेफर करिये। यही मुझे कहना है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): अध्यक्ष महोदया, मैं श्री एल.के.आडवाणी जी की बात से सहमत हूं कि इस मुद्दे की अहमियत के मद्देनजर इसमें ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल पायें और इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि दोपहर में जो लंच ब्रेक होता है, हम उसे भी न करें, बल्कि हाउस को शुरू रखें। लेकिन शाम को जितना जल्दी हो पाये, उस लक्ष्य को मन में रखते हुए कि वहां भी बात पहुंचे और आज हम दिन में इसे कम्पलीट कर पायें। यदि छः बजे तक हम सभी अपनी बात कह लें तो अभी से लेकर शाम छः बजे तक सात घंटे हो जायेंगे, नार्मल डिबेट चार घंटे की होती है, लेकिन इसे सात घंटे हो जायेंगे और सभी पार्टियों के कुछ सदस्य इस पर बोल पायेंगे। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): महोदया, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: शरद जी, आप समय से संबंधित बात बोलिये।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं दो सैन्टेन्स में बात खत्म करूंगा। अभी श्री आडवाणी जी ने जो कहा, मैं संसदीय मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल जी से भी निवेदन करूंगा कि आज जो बहस होगी, उसमें समय की बहुत जरूरत है। इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए कि हाउस में जो पार्टियां हैं, उनका टाइम अलाटेड है। लेकिन इस मामले में आज जो बहस हो, वह गहराई से हो और हर तरह से हो। मेरा निवेदन है कि आज की बहस को पूरा करने के लिए भले ही हमें रात तक समय बढ़ाना पड़े, हमें वैसा करना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी प्रणव दादा, श्री आडवाणी जी और शरद जी ने जो कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। महोदया, चार बिल हैं।

Comment: (cd. by h1)

(h1/1135/gg-rp)

Comment: Ctd. By revti raman

इन चारों बिल पर चर्चा होगी या सिर्फ जनलोकपाल बिल पर चर्चा होगी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है अभी समय से संबंधित बात बोलिए।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): समय के अनुसार, जो उन्होंने मांग की है कि तीन मामले ...(व्यवधान) इन पर अगर सदन सहमत हो जाए तो वे अपना उपवास तोड़ देंगे। हमारा आग्रह होगा कि उनसे यह आग्रह किया जाए कि वे उपवास तोड़ दें। पूरे सदन की तरफ से यह मांग रखी जाए कि सदन उस पर पुनर्विचार करेगा। ...(व्यवधान) विचार करने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेगा।





MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have requested the House to tell me the time that should be allotted for this discussion.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: In my opinion, initially - I am emphasising the word 'initially' – seven hours will be sufficient.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, बात को सुन लीजिए। Since, so many hon. Members want to participate in the discussion, later on, if required, the time may be extended.

1137 hours

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया जी, आज नेता सदन ने लोकपाल के गठन से संबंधी पिछला सारा विवरण देते हुए एक विस्तृत वक्तव्य सदन के सामने रखा है। मैं उसी पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सदन के सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज यह सदन बहुत ही ऐतिहासिक चर्चा कर रहा है। चर्चा सात घंटे की हो, आठ घंटे की हो, दस घंटे की हो या बढ़ा कर बारह घंटे की कर दी जाए, लेकिन चर्चा शांति से हो। मैं अपनी तरफ के तमाम साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी कोई बात उन्हें नागवार गुजरे, जिसके कारण वे थोड़ा उत्तेजित होने लगें तो भी आप शांति बनाए रखें। मैं आपसे भी यह कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई बात पसंद न आए तो आपके वक्ता जो बोलने वाले हैं, वे उसका जवाब दें, जितनी मर्जी आक्रामक भाषा में जवाब दें, लेकिन कम से कम आज इस देश को दिखा दें कि आपने इस संसद के व्यवधानों को तो देखा है, लेकन यह संसद इतनी शांति और संजीदगी से भी चर्चा कर सकती है, यह भी आज देखे।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन को एक जानकारी देना चाहूँगी कि चार अगस्त 2011 को इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विधेयक लोकपाल का पहला विधेयक नहीं है। लोक सभा में 9वीं बार लोकपाल विधेयक आया है। इससे पहले आठ बार लोकपाल विधेयक अलग-अलग लोक सभाओं में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। शायद कुछ लोग यह जानकार हैरान होंगे कि पहला विधेयक सन् 1968 में आया, उसके बाद सन् 1971 में आया, सन् 1977 में आया, सन् 1985 में आया, सन् 1989 में आया, सन् 1996 में आया, सन् 2001 में आया। आठ बार आए ये विधेयक किसी न किसी कारण

से पारित नहीं हो सके। पिछले 43 वर्षों से यह बिल हिचकोले खा रहा है। लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और बिल निरस्त हो जाता है और फिर दोबारा किसी अन्य लोक सभा में आने की प्रतीक्षा करता है। हमारे समय में भी यह विधेयक दो बार सन् 1998 और सन् 2001 में आया। हम भी उसे पारित नहीं करा सके।

(j1/1140/cs-lh)

यूपीए के सात वर्ष के कार्यकाल में यह विधेयक पहली बार आया है। इसलिए इस बार मेरा विनम्र निवेदन यह है कि जो बार-बार टीम अन्ना आपको समय दे रही है, जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि कोई हमें डिक्टेट कैसे कर सकता है, कोई कैसे कह सकता है कि चार दिन में पारित करो, कोई कैसे कह सकता है कि इसे इसी सत्र में पारित करो। उसके पीछे यह पृष्ठभूमि है कि 43 वर्षों से हम इस बिल को पारित नहीं कर सके हैं। मैं अपने कार्यकाल को भी दोषी मानती हूं। हम भी दो बार वर्ष 1998 में और वर्ष 2001 विल को लाये, लेकिन उसे पारित नहीं करा सके। आज देश हमारी तरफ देख रहा है और इसीलिए अंदर से मेरा एक विश्वास यह कह रहा है कि that every idea has a time. हर विचार का एक समय होता है और आज इस विचार का समय आ गया है। यह सदन इतिहास रचेगा और यह इतिहास बिल को निरस्त नहीं होने देगा बल्कि यह सदन हिन्दुस्तान को एक प्रभावी लोकपाल, एक मजबूत लोकपाल इस देश को देने का काम करेगा। इस विश्वास का एक कारण है। वह कारण यह है कि यह बिल एक जन आन्दोलन बन गया है।

महोदया, आज से पहले जितने भी विधेयक आये, वे चंद बुद्धिजीवियों तक सीमित रहे। बिल आता था, दो-चार सेमिनार्स हो जाती थीं, बिल कब आया, कब गया, कहां गया, इसके बारे में आम जनता को पता नहीं होता था। पहली बार जन लोकपाल बिल के आन्दोलन के नाम से अण्णा हजारे जी ने इस बिल को नीचे जनता तक पहुंचा दिया। जनता ने इसे अपना भी लिया और इसे पारित कराने का बीड़ा भी उठा लिया। इसीलिए जो दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, लाखों-लाख लोग हाथ में तिरंगा पकड़े भारत माता की जय बोलते, एक-दूसरे को जय-हिन्द कहते, वन्दे-मातरम का उद्घोष लगाते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ, जन लोकपाल लाओ। यह एक जन आन्दोलन बना है और यह जन आन्दोलन भी अकारण नहीं बना। एक दिन पहले अपनी बात कहते हुए मुझे केवल दो ही मिनट मिले थे तो मैंने कहा था कि इसका कारण पिछले दो वर्षों में उजागर हुए भ्रष्टाचार के कांड हैं। बीते समय में भी भ्रष्टाचार के विषय आते रहे हैं। कभी देश भ्रष्टाचार मुक्त रहा हो, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले दो वर्षों में भ्रष्टाचार के कांडों ने हदें पार कर दीं। एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर हुए और राशि इतनी बड़ी-बड़ी कि सुनकर मन बौखला

Comment: Ctd by j1

Comment: Sushma swaraj contd.

जाये। आरोप विपक्ष के नहीं, जिसके ऊपर कोई मोटिव लगाया जा सके, कहा जा सके कि ये ऐसा विरोध के कारण कर रहे हैं, सारे के सारे आरोप सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर हैं।

महोदया, सीएजी वह संवैधानिक संस्था है, जो सरकार का लेखा-जोखा देखती है। जिसका नाम ही है- कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सरकार के लेखा-जोखा का महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। अगर सीएजी कहता है कि 2जी में 1 लाख 76,000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, सीडब्ल्यूजी में 70,000 करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, एयर इंडिया में हजारों-हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ, के.जी.बेसिन में हजारों-हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ को खोटाला हुआ और कितनी ही रिपोर्ट पाइप-लाइन में हों तो लोग क्या करें? लोग बौखला गये, लोग उत्तेजित हो गये, लोग गुस्सा हो गये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शांत हो जाइये। आप शांत होकर सुनिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ तो हमें दो वक्त की रोटी दाल की भरी कटोरी के साथ नसीब नहीं होती, हमारी थाली से सब्जी गायब हो रही है, हमारी चाय से चीनी गायब हो रही है और दूसरी तरफ उच्च पदों पर बैठे हुए लोग लाखों-करोड़ों की लूट मचा रहे हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि एक तरफ देश का करोड़ों रूपया विदेशी बैंकों में जमा है और दूसरी तरफ गांव में हम एक हैंडपम्प के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए लोग क्रोधाग्नि में जल उठे, लेकिन उस क्रोध में घी डालने का काम उस बिल ने किया, जिसे सरकार लेकर आयी। लोग पूछते हैं कि जिस सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके नेता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार हटाने के लिए कटिबद्ध हैं तो वह प्रतिबद्धता दिखाकर एक ऐसा हथियार तो लाओ, एक ऐसा बिल तो लाओ, जिससे यह लगे कि वह भ्रष्टाचार से लड़ सकेगा। प्रणव दा जो बिल आया, वह कुंद था, उसमें धार नहीं थी और इसीलिए लोगों को यह लगने लगा कि क्या वाकई सरकार कटिबद्ध हैं?

(k1/1145/mm/kkd)

क्या वाकई सरकार प्रतिबद्ध है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए? प्रणब दा अभी चले गए, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने पूरा ज़िक्र किया, पूरा विवरण यहां दिया, लेकिन उस विवरण में थोड़े-थोड़े गैप्स हैं। आज 12वें दिन में अन्ना जी का अनशन प्रवेश कर गया है, 11 दिन पूरे हो चुके हैं। 74 वर्ष का व्यक्ति वहां बैठकर लड़ रहा है। लोग उसके साथ जुड़े हैं। उमड़-घुमड़ कर आंदोलन में आ रहे हैं। परिस्थितियां असामान्य हैं। उस

Comment: Contd. By k1

Comment: Smt. Swaraj cd.





असामान्य परिस्थितियों में से रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। उस बैठक में से जो प्रस्ताव निकला, उसका ज़िक्र प्रणब दा ने अपने वक्तव्य में किया। मैं भी उसे पुनः पढ्ना चाहती हूं। चार लाइनों का प्रस्ताव है- "The meeting of all political parties in Parliament request Shri Anna Hazare to end his fast. The meeting was also of the view that due consideration should be given to the Jan Lok Pal Bill so that the final draft of the Lokpal Bill provides for a strong and effective Lokpal, which is supported by a broad national consensus." इस प्रस्ताव से क्या पता चलता है कि उस मीटिंग के दो लक्ष्य थे। एक लक्ष्य, अन्ना जी का अनशन खुलवाना और दूसरा लक्ष्य, देश को एक प्रभावी और मज़बुत लोकपाल देना। इस प्रस्ताव के बाद हमें लगता था कि सरकार और अन्ना के प्रतिनिधियों के बीच में जो बात होगी, वह समाधान कारक होगी। हम आगे बढ़ेंगे, कल कुछ संसद में होगा, लेकिन हैरानी हुई, इसी बैठक के दो घंटे बाद जब अन्ना के प्रतिनिधि ने आकर मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार का सूर तो बदला हुआ था। कल सरकार जिस तरह से हम से बात कर रही थी, हमें सून रही थी। आज वह हमें सुना रही थी और पीछे से किसी ने कहा कि हमें तो डांट रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आया कि सर्वदलीय बैठक की भावना क्या थी और उसके बाद वे जो इम्प्रेशन लेकर गए. वह क्या था? उसमें इतना गैप क्यों था? जो बात सर्वदलीय बैठक से निकली थी, उससे तो रास्ता समाधान की तरफ बढना चाहिए था, लेकिन हुआ उलटा और जब यह बात उन्होंने जाकर रामलीला मैदान में कही तो स्थिति भड़क उठी, लोग भड़क गए। ख़ैर मुझे अच्छा लगा, रात 12 बजे के क़रीब प्रणब जी का एक बयान आया "My words were twisted." साढ़े 12 बजे सलमान खुर्शीद जी का इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बात टूटी नहीं है। बात कल भी हुई थी, बात आज भी हुई है और बात आगे भी होगी। थोड़ा सा समाधान हुआ। अगले दिन मैंने स्वयं प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस देकर के प्रश्न पूछा, जिसमें प्रणब दा ने समाधान किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो भी वह इम्प्रेशन कैसे गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उस बात को बाद में प्रधानमंत्री जी ने बनाया। वह सदन में भ्रष्टाचार पर बहस का उत्तर देने आए, उन्होंने स्वयं प्रसंग चलाया और प्रसंग चलाकर यह कहा कि अन्ना के प्रयासों की सराहना करते हुए "I applaud him; I salute him." उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनशन तोड़ने की अपील करता हूं और उन्हें आश्वासन दिलाया कि हम एक प्रभावी और मजबूत लोकपाल बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी की भावना सदन की भावना बन जाए, इसलिए विपक्ष की ओर से मैंने खड़े होकर स्वयं को संबद्ध किया और आपने स्वयं खड़े होकर पीठ की गरिमा जोड़ दी। उसके बाद तो लगता था कि ज़रूर समाधान निकल आएगा।...(व्यवधान) हां, उन सब बिलों की चर्चा होगी, उन्होंने कहा और हाउस में होगी, यह भी कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसके आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगले दिन सरकार कोई मोशन लाने वाली थी, कोई रेज़ोल्यूशन लाने वाली थी या किस तरह से वह पहल करने वाली थी, क्योंकि उस रात अन्ना जी के प्रतिनिधि पहली बार हम से मिलने आए और उन्होंने हम से कहा कि सरकार एक मोशन लाएगी, जो रेज़ोल्यूशन की शक्ल में होगा, जिसमें अन्ना की तीनों मांगें होंगीं और हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं। हमारी कुछ आशंकाएं थीं, हमारे कुछ प्रश्न थे।

(11/1150/rv-mmn)

हमने उनसे बात की। कहीं उन्होंने हमारी बात समझी, कहीं हमने उनकी बात समझी और हमारे बीच में उन प्रश्नों पर एक आम सहमति बनी। मैंने संसदीय कार्य मंत्री से संपर्क साधा कि क्या कोई रिजोल्युशन या मोशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी तक तय नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने फिर संपर्क साधा कि क्या कोई रिजोल्यूशन आप ला रहे हैं? उन्होंने कहा अभी भी तय नहीं हुआ, मैं दस बजे बता पाऊंगा। मैंने दस बजे फिर संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि सोच रहे हैं कि नियम 193 के कुछ नोटिस ले लें और उस पर चर्चा करा दें। अध्यक्ष जी, मैं अवाक रह गयी। समय हो रहा था, मैं सीधे सदन में आई। मुझे श्री गुरूदास दासगुप्त जी और श्री बर्स्क्नु आचार्य जी मिले। उन्होंने कहा कि क्या आपसे भी सरकार ने कहा है कि नियम 193 के नोटिस दे दे। मैं 🔁 कि कहा तो है। उन्होंने कहा कि सरकार पलट कैसे गई? हम क्यों नोटिस दें? पहल सरकार ने करनी थी, मोशन सरकार का आना था, रिजोल्यूशन सरकार की तरफ से आना था। यह हमारे कंधों पर डालकर और सांसदों का एक नोटिस आ जाए, उस पर चर्चा हो जाए, यह बात तो समझ में नहीं आई। श्री गुरुदास दासगृप्त जी ने मुझे बताया कि इफ़्तार पार्टी में पहले दिन उन्होंने एक सुझाव दिया था कि सरकार की तरफ से मोशन नहीं तो एक स्टेटमेंट आ जाए, हम उस स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन समझ नहीं आया कि सरकार अपने पैर पीछे क्यों हटा रही थी? इतने में करीब 11.30 बजे मेरे चीफ व्हिप ने आकर मुझे बताया कि मीडिया पर एक खबर चल रही है कि श्री राहल गांधी अन्ना हज़ारे पर एक वक्तव्य देंगे। सुबह से खबर आ रही थी कि श्री राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव इसमें कोई प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जब उन्होंने आकर मुझे यह खबर दी तो मुझे लगा कि शायद वह बात सही है। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा कि क्या श्री राहल गांधी सदन में बैठे भी हैं क्योंकि वे आते ही बहुत कम हैं। मैंने देखा कि वे बैठे थे। मुझे उस बात की पुष्टि होती नजर आयी। मुझे लगा मगर श्री राहुल गांधी किस पर बोलेंगे? मुझे लगा कि उन्हें शून्य प्रहर में बोलना होगा। यह किसी भी मेम्बर का अधिकार है। मैंने शून्य प्रहर की सूची, जो मेरे टेबुल पर आती है, देखी। उसमें उनका नाम नहीं था। मुझे लगा कि कोई बात नहीं। इसी सदन में बहुत बार जिन लोगों का नाम इस बीच नहीं आता बैलट में, वे स्पीकर से विशेषाधिकार Comment: Cd by 11

Comment: Smt. Sushma Swaraj Cd.

के तहत अनुमित मांग लेते हैं और आप अनुमित देती हैं, काफी उदारता से देती हैं। उन्होंने मांगी होगी, आपने भी दे दी होगी। शायद उसके तहत बोलें और वही हुआ। जैसे ही पेपर्स लेइंग खत्म हुई, आपने उनको अनुमित दी। वे बोलने लगे, हम सुनने लगे। इतनी देर में मैंने देखा कि दौड़ते-दौड़ते प्रधानमंत्री जी भी आए और सदन में बैठ गए सुनने के लिए। मुझे लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी बात श्री राहुल गांधी कहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं चलकर आए हैं। अब श्री राहुल गांधी कांग्रेस महासिचव हैं, लेकिन इस सदन के तो दूसरी बार के जीते हुए सदस्य ही हैं। आपने उन्हें अनुमित दी। आप अनुमित देती हैं अध्यक्ष जी, बहुत बार देती हैं। लेकिन, शून्य प्रहर में कोई विषय उठाने की अनुमित देती हैं आप, प्रवचन करने की अनुमित नहीं देती हैं। तीन मिनट की अनुमित देती हैं आप।..(व्यवधान) मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप तीन मिनट की अनुमित देती हैं जिसे खींचकर हमें पांच मिनट तक ले जाना पड़ता है, जिसमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तीन मिनट से पांच मिनट होते ही हैं। लेकिन पांच पन्नों का एक लिखा हुआ वक्तव्य, जो उन्होंने यहां पढ़ा, पन्द्रह मिनट तक। ...(व्यवधान) मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। मैं चेयर के डिसीज़न को चैलेंज नहीं कर रही हूं। मैं यह कह रही हूं कि हमारी बाध्यता है उस निर्णय मानना और हमने माना। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, चूंकि प्रणब दा ने एक विवरण दिया और मैंने प्रारंभ में कहा कि विवरण में कुछ गैप्स हैं। मैं उन गैप्स को भर रही हूं, इसलिए मैं कोई चीज़ अप्रासंगिक नहीं कह रही हूं

(m1/1155/sb-vr)

मैंने यह कहा कि हम ये सोच रहे थे कि प्रधान मंत्री जी ने जो पहले दिन बोला, सरकार पैर पीछे क्यों हटा रही है, मैं उस पर आ रही हूं। श्री राहुल गांधी जी, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने यहां खड़े होकर कहा - I believe we need more democracy within our political parties. हंसी आती है। I believe in Government funding of our political parties. I believe in empowering our youth in opening the doors of our closed political system in bringing fresh blood into politics and into this House. I believe in moving our democracy deeper and deeper into our villages and our cities. Let us commit ourselves to truth and probity in public life. We owe it to the people of Ind...

अध्यक्ष महोदया, वे रिष्ट्रि के नाम संदेश दे रहे थे या जीरो ऑवर का इंटरवेंशन कर रहे थे, यह मैं आपसे पूछना चाहती हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

(Interruptions)

Comment: Cd. by m1

Comment: Sushma swarajed

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आज सुषमा जी ने शुरू में डिबेट को ऊंचे स्तर पर खने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि वही हम रख लें तो बहुत अच्छा है।...(<u>व्यवधान</u>) अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (VIDISHA): Madam Speaker, was the speech an address to the nation or a Zero Hour intervention? I am asking you ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please, sit down. Nothing will go in record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कांग्रेस की तरफ से बात हो जाएगी, इसके बाद कांग्रेस के माननीय सदस्यों की बोलने की बारी है। आप बैठ जाइए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I am on a point of order.

MADAM SPEAKER: What is the Rule?

SHRI SRIKANT JENA: I am only quoting from the Rule Book. It is about the authority of the Speaker. Can any Member in this House, whoever he or she may be, raise any question about the decision of the hon. Chair? This is my question.

... (Interruptions)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष महोदया, इस पर आप क्या रूलिंग देंगी, क्या जीरो ऑवर का कांटैक्ट आप तय करेंगी?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जगदम्बिका पाल जी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please, sit down. Nothing will go in record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, हमें बाद में समझ में आया कि वास्तव में वे कहना क्या चाहते थे। उन्होंने कहा - It is not the matter of how the present impasse will resolve; it is a much greater battle. There are no simple solutions. तब पता चला कि वे वास्तव में कांग्रेस पार्टी की लाइन यहां बताने के लिए आए थे। मुझे उस समय समझ में आया कि सरकार दुविधा में क्यों थीं। सरकार पैर पीछे क्यों खींच रही थी। अब आपको पता चला कि मैं यह बात क्यों कह रही थी, मैं वह गेप फील कर रही हूं। उस समय समझ में आया कि सरकार रास्ते क्यों तालाश रही थी, सरकार ऐसा रास्ता क्यों तालाश रही थी, जहां उसे कुछ किमट न करना पड़े, बल्कि किसी एक मेम्बर के माध्यम से या 193 का नोटिस दिलवा करके, वह चर्चा करवा कर एक रस्म अदायगी पूरी कर दें, यह बात मैं आपसे कहना चाह रही थी।

(n/1200/mkg/san)

और मैं कहना चाह रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने इसी सदन में खड़े होकर एक दिन पहले जो स्टेट्समैनशिप दिखाई थी, उस पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने पानी फेरने का काम किया। इसीलिए हमें समझ में आ गया कि कोई मोशन, कोई रैजोल्यूशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आयेगा, सरकार की तरफ से नहीं आयेगा। तब सारे विपक्ष ने आपित जताई, गुरुदास दासगुप्त जी, शरद यादव जी, बसुदेव आचार्य जी, दारा सिंह चौहान जी, सारे लोग हमारे साथ थे, हम सारे लोग मिले और हमने कहा कि नियम 193 पर चर्चा नहीं होगी। सरकार को या तो एक स्टेटमेंट देना होगा या हम एक नियम 184 का नोटिस देंगे, जिस पर चर्चा होगी। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने दोबारा बागडोर अपने हाथ में ली है, मुझे खुशी है। आज मैं आपका अभिनन्दन करती हूं कि प्रणव मुखर्जी जी ने आज जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने वे तीनों मुद्दे सदन के सामने रख दिये।

सरकार किमट नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई सेंस ऑफ दि हाउस आएगी तो वोटिंग के समय पता चलेगा कि सरकारी पक्ष क्या चाहता है, लेकिन जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वे तीनों मुद्दे, जो अन्ना हजारे जी की मांगें हैं, आज उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्दर सदन के सामने रख दिये और सदन को कहा कि संविधान और संसदीय मर्यादा के तहत इसमें से रास्ता निकालिये, इसमें जवाब दो।

अब मैं उन मुद्दों पर आती हूं। अध्यक्षा जी, हम बहुत दिनो से यह बात कह रहे हैं कि एक प्रभावी लोकपाल बिल होना चाहिए, सशक्त और स्वतंत्र लोकपाल बिल होना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, कौन से बिल को हम प्रभावी कहेंगे, कौन से बिल को हम सशक्त कहेंगे, देश पूछेगा, देश जानना Comment: smt. sushma swarai cd.

चाहता है और इसीलिए उसके प्रभावीपन को तय करने के जो मुद्दे हैं, उनमें पहला मुद्दा है कि क्या उसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आपको याद होगा कि जिस समय यह बिल इण्ट्रोड्यूस किया जा रहा था, मैंने इस पर उस समय भी आपित की थी, यह कहकर कि इस बिल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री को नहीं रखा गया है, यह संविधान का उल्लंघन है, यह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उल्लंघन है। मैंने आपसे कहा था कि हमारा संविधान नागरिकों में फर्क नहीं करता, छोटे-बड़े का भेद नहीं करता। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रधानमंत्री और एक आम झुग्गी वाले आदमी के बीच में किसी तरह का कोई भेद नहीं करता। हमारा आई.पी.सी., हमारा प्रिवेशन ऑफ करप्शन एक्ट सब को बराबर मानता है तो आज के समय में, जब भ्रष्टाचार से लड़ाई का एक हथियार हम ला रहे हैं, अगर उसकी व्यवस्था में से हम प्रधानमंत्री को अलग कर देंगे तो देश को क्या संदेश जायेगा? अगर प्रिवेशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रधानमंत्री हैं, आई.पी.सी. में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री नहीं हैं और खास तौर पर ऐसे समय में, जब कि ऐसे मुकदमें चल रहे हों, जहां एक मंत्री कहता हो कि मेरा किया धरा सारा प्रधानमंत्री को पता था, दूसरा मंत्री कहता हो कि मैंने सब कुछ उन्हें बताकर किया था। कोर्ट में वकील यह कह रहे हों कि हम प्रधानमंत्री को गवाह के तौर पर बुलाएंगे। ऐसे समय में अगर आप लोकपाल के दायरे में से प्रधानमंत्री को अलग रखेंगे तो क्या देश ऐसे लोकपाल को प्रभावी मानेगा?

यह चर्चा हमारे समय में भी आई थी। 1998 में और 2001 में जब हमने बिल पेश किया, तब यह बहस आई थी कि प्रधानमंत्री को इसके दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही दोष स्वीकार कर लिया कि हम उसे पारित नहीं कर पाये, लेकिन मैं बिल के कंटेंट की बात कर रही हूं। तब अटल जी ने स्वयं आगे बढ़कर उस चर्चा को रोक दिया।...(व्यवधान) अटल जी ने कहा कि इस बहस को रोक दो, मैं कह रहा हूं कि मैं इसके दायरे में आऊंगा और आप प्रधानमंत्री को उसके दायरे में लेकर आओ। जितने भी विरोधी थे...(व्यवधान) मैं आ रही हूं। मैं उसी पर आ रही हूं।...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): हम लोग यही कह रहे हैं कि आपने भी पारित नहीं किया।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सुनो तो।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: आप बैठ जाइये। Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): मैं इसी पर आ रही हूं। मेरा अगला वाक्य यही है कि अटल जी ने यह बात कही और हमने तुरन्त मान ली।

Comment: cd by o1

Comment: श्रीमती सुषमा स्वाराज जारी

(o1/1205/cp/ak)

लेकिन आज भी प्रधानमंत्री यह बात कह रहे हैं, यह मैं कह रही हूं कि आज के वर्तमान प्रधानमंत्री भी यह बात कह रहे हैं कि मैं उसके दायरे में आना चाहता हूं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए मैं यह कह रही हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं यह कह रही हूं कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते ही कम हैं और जब बोलते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। मैं कह रही हूं कि उनकी बात सुनो। प्रधानमंत्री तो आना चाह रहे हैं, मैं आपको कह रही हूं कि उनकी बात सुनो। वह सही कह रहे हैं, उनकी बात मानो। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आगे बढ़कर इन कयासों पर अंतिम वाक्य कह दें, रोक ल और हम तय करें कि प्रधानमंत्री पद लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, मगर दो अपवादों के साथ - नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक आर्डर। ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर बहुत सी चीजें प्रधानमंत्री को करनी होती हैं, जो सार्वजिनक हित में पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकतीं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं, सस्ती लोकप्रियता लूटने के लिए नही बोल रही हूं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते बोल रही हूं कि प्रधानमंत्री इसमें आने चाहिए, मगर दो अपवादों के साथ।

अध्यक्ष जी, दूसरा विषय है - न्यायपालिका का, जुडीशियरी लोकपाल के दायरे में आए या न आए। मेरा नाता जुडीशियरी से बहुत पुराना रहा है। मात्र 21 वर्ष की उम्र में वर्ष 1973 में मैं सूप्रीम कोर्ट में वकालत करने आयी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल 13 जजेज होते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैंने जस्टिस भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णा अय्यर जैसे जजेज को देखा। उनकी कोर्ट में एपीअर होने का मुझे मौका मिले। जस्टिस भगवती की फेयरवेल स्पीच में उन्होंने मुझे बुलाया था। मैंने उन्हें गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया था, क्योंकि मैंने वह दृश्य देखा था, जब एक पोस्टकार्ड पर एक गरीब की लिखी ह्यी पीड़ा को उन्होंने याचिका मानकर स्वीकार किया था और उस पर नोटिस लिया था। जस्टिस कृष्णा अय्यर की जजमेंट पीस आफ लिटरेचर हुआ करती थी, साहित्यिक कृतियां। जस्टिस चंद्रचूड़ के कक्ष में ताजा बयार मिलती थी। वो विभृतियां हम लोगों ने देखी हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर की पत्नी के निधन के बाद उन्होंने मुझे लेक्चर देने के लिए शारदा मेमोरियल, केरल बुलाया था। तब मैंने देखा था कि कितना मान-सम्मान उनका अपने गृह प्रदेश में था। यहां कबिल सिब्बल जी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप उस दृश्य के साक्षी हैं या नहीं। जिस समय जस्टिस वेंकट चलैय्या का फेयरवेल हो रहा था, चार सौ वकील लाइन लगाकर उनके चरण छूने के लिए खड़े थे, मैंने वह जुडीशियरी देखी है। ...(व्यवधान) लेकिन आज गिरावट यह आ गयी कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट ने बंद लिफाफे में, खड़े होकर चीफ जस्टिस को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि इसमें आठ मुख्य न्यायाधीशों के नाम हैं, ये सभी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। जब बाहर चर्चा में वे नाम निकले तो बजाय किसी के यह कहने कि इसमें कोई

नाम गलत जुड़ गया, लोगों ने कहा कि इसमें से एकाध नाम छूट गया। यह दुर्भाग्य है। न्यायपालिका शब्द तो संविधान का नाम है। वास्तव में ये न्याय के मंदिर हैं, जहां एक व्यक्ति आस लगाकर, उम्मीद लगाकर जाता है। हमारे यहां पंच को परमेश्वर माना जाता है। न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश तो भगवान की मूर्ति होता है, लेकिन अगर वह भ्रष्ट आचरण के दोषी हो जाएं, तो क्या करें? उन्हें लोकपाल के दायरे में लाना समस्या का समाधान नहीं है। जुडीशियल एकाउंटिबिलिटी बिल जो सरकार ला रही है, वह अकेला भी समाधान नहीं है। हमने अपनी ओर से उसमें एक सुझाव दिया है - नेशनल जुडीशियल कमीशन का। में आपको कहना चाहूंगी कि इस लोकपाल बिल के ऊपर एक राउंड टेबल वार्ता हुयी थी, जिसमें जस्टिस वेंकटचलैय्या थे, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, जस्टिस जे. एस. वर्मा थे।

(p1/1210/sh/raj)

उन्होंने इस नेशनल जूडिशल कमीशन को मानते हुए, मान्यता देते हुए यह कहा था। पहले उन्होंने आज की जुडिशीएरी की जो दुर्दशा है उस पर जो कहा मैं वह पढ़ना चाहती हूं -

"Recent Distortions in Judiciary: Certain distortions and glaring inadequacies are endangering the credibility of higher judiciary. In recent years, several credible allegations have been leveled against individual Judges. While the judiciary on the whole is conducting itself with admirable dignity and propriety, the actions of a few black sheep are damaging the entire institution. Now is the time to press for genuine judicial reform. An honest judiciary entire institution and propriety in full public confidence is clearly the need of the hour."

उसके बाद उन्होंने जूडिशल कमीशन की बात की। नेशनल जूडिशल कमीशन के दो छोटे-छोटे पैराग्राफ मै पढ़ती हूं।

"Creation of a National Judicial Commission for transparent appointments in the Supreme Court and High Courts: this mechanism would combine the impact from the elected branches of the Government and the judiciary and chaired by the Vice President."

यह पहली रेकमेन्डेशन है और दूसरी है-

"Replacing the present cumbersome and unsatisfactory constitutional mechanism of impeachment under Article 124 (4) with a more effective mechanism for removal of errant Judges functioning under the NJC framework."

Comment: cont by p1.h

Comment: जारी सुषमा स्वराज

इन दोनों चीजों को कहते हुए उन्होंने कन्क्लूशन दिया-

"The above proposals mesh harmoniously and synergistically with the provisions contained in the Judicial Standards and Accountability Bill, 2010 now in the Parliament. Together they create a permanent, independent and empowered body to ensure judicial accountability in the form of National Oversight Committee and Scrutiny Panels."

प्रधानमंत्री जी, यह हमारा सुझाव है कि जहां तक न्यायपालिका का सवाल है उसे लोकपाल के नीचे करने की बजाय एक नेशनल जूडिशल कमीशन बनाइए जो जजों की नियुक्तियों पर भी और उनके पद मुक्त होने के तरीके तय करे, प्रावधान तय करे और हिन्दुस्तान के अंदर ऐसी न्यायपालिका आए जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके।...(व्यवधान) यह बचाने का नहीं, ज्यादा प्रभावी तरीका है।

अध्यक्ष जी तीसरा विषय सीबीआई का है। जनलोकपाल बिल कहता है सीबीआई के एंटीकरप्शन विंग को लोकपाल के नीचे कर दिया जाए। बहुत दिनों से हम और शरद जी सीबीआई को स्वायत्त बनाने की बात कर रहे हैं कि ऑटानमस इंस्टिटूशन होनी चाहिए। हमने बहुत बार आप के पास नोटिस दिया कि हम सीबीआई के दुरूपयोग पर चर्चा करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से वह चर्चा टलती रही। लेकिन सीबीआई का दुरूपयोग देखने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहां उसके बहुत भुक्तभोगी बैठे हैं जो सीबीआई के हाथ देख चुके हैं। मेरे बराबर में यहां के सबसे वरिष्ठ सांसद आडवाणी जी बैठे हैं। इन पर हवाला का केस बना दिया। सार्वजिनक जीवन में उन्होंने शुचिता की पराकाष्ठा कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं संसद के परिसर में तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक मैं इससे बाहर नहीं हो जाता। मेरे पीछे यशवंत सिन्हा जी बैठे हैं। इन पर सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया। शरद यादव भी यहां बैठे हैं। जिन्दगी लगा दी, सीबीआई ने हवाला का केस बना दिया लेकिन क्या निकला-जीरो। मदनलाल खुराना दुबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, इन पर सीबीआई ने हवाला का झूठा केस बना दिया। सारे विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए और उधर देख लिजिए। सारे विपक्ष के नेता कहीं न कहीं सीबीआई के शिकंजे में फसाए जा चुके हैं। लालू यादव जी, मुलायम भाई, जय लिलता...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप लोग फसाए थे।...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): हम नहीं फसाए।...(व्यवधान) असत्य भाषण मत करिए।

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): दक्षिण पार्टियों में देखिए मैडम जयलिता। एक जगह से प्रारंभ हो जाइए। पंजाब जाओ तो बादल परिवार। हरियाणा जाओ तो चौटाला परिवार, यूपी जाओ तो दोनों भाई मुलायम जी एवं बहन मायावती भी। सारा भ्रष्टाचार विपक्ष में हो रहा है। सारे के सारे दूध के धुले हुए उधर बैठे हैं। (q/1215/nsh-smn)

Comment: CD BY Q1

Comment: Sushma cd

अध्यक्षा जी, एक ताजा उदाहरण श्री जगन मोहन रेड्डी का इतना भयावह है। वे कल तक कांग्रेस के सांसद थे। उनके पिता श्री वाई.एस.आर. रेड्डी आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे। कांग्रेस नेतृत्व के बहुत चहेते मुख्य मंत्री थे। नज़दीक थे, सबसे प्यारे थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस छोड़ी, ले सीबीआई की रेड और ले सीबीआई का केस!...(व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Ning will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्षा जी, जीते-जी संबंध इतने अच्छे और मरने के बाद अभियुक्त बना दिया। मरने के बाद ऐक्यूज़्ड के कॉलम में डाल दिया। मैं केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि यह कांग्रेस कौन सी पवित्र गंगा है जिस में जब तक डुबकी लगाते रहो तब तक साफ-सुथरे, दूध के धुले और बाहर निकले नहीं कि भ्रष्टाचार के पुतले।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This will not go in record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): लोग कहते हैं कि सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इनवैस्टीगेशन है। मैं कहती हूं नहीं। जैसे ही हाउस में कोई वोट की विधा आ जाए, शरद भाई मुझे कहते रहते हैं, सुषमा जी, वोट की विधा में चर्चा मत करवाया कीजिए। मैंने कहा, क्यों। बोले, हमारे कई भाई-बहनों पर तलवार लटक

जाती है। मैंने कहा, हां। सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन नहीं, सीबीआई कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन बन जाती है।...(व्यवधान) इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब सामने आया है। अभी कैश फॉर वोट का कैस बना। श्री अमर सिंह चार्ज शीटेड, श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी चार्ज शीटेड, हमारे दो एक्स-एमपी चार्ज शीटेड। लेकिन जो डायरैक्ट बैनीफिशियरी थे, जिनकी सरकार बची थी, वे सारे बरी। यह है सीबीआई।...(व्यवधान) अगर श्री अमर सिंह कर रहे थे तो किसके लिए कर रहे थे?...(व्यवधान) जिन्होंने व्हिसल ब्लोअर का काम किया, हम लोकपाल में व्हिसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं, वे दोषी, वे अपराधी और जिनकी सरकार बची, जो लाभार्थी हुए, जो बैनीफिशियरी बने, वे बरी। यह है सीबीआई का कन्डक्ट। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस बचाओ इंस्टीट्यूशन की बजाए एक स्वायत्त संस्था बने और अगर जन लोकपाल चाहता है कि एंटी करपशन विंग लोकपाल के नीचे कर दिया जाए तो हम उससे सहमत हैं।

अध्यक्षा जी, अधिकार क्षेत्र में फिर एमपीज़ की बात आती है। अभी नेता, सदन ने बात करते हुए कहा कि हम जो बात करें, कौन्सटीट्यूशन के अंदर करें। हम जब यहां आते हैं तो संविधान की शपथ लेकर आते हैं। हम कोई भी सुझाव संविधान के बाहर नहीं करेंगे। संविधान की धारा 105 सांसदों को हाउस के अंदर के व्यवहार और आचरण के लिए इम्युनिटी देती है। वह इम्युनिटी बनी रहनी चाहिए। यह हाउस सुप्रीम है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस हाउस में अपनी सुप्रीमेसी दिखाते हुए अपनी स्ट्रैन्थ भी दिखाइए। इस हाउस ने प्रश्न पूछने के बदले मात्र पांच हजार रुपये की राशि के आरोप में, मैं आरोप कह रही हूं क्योंकि इन्वैस्टीगेटिव एजेंसी से कोई बड़ी जांच नहीं हुई।

(r1/1220/rjs-sr)

हाउस कमेटी ने केवल जांच की थी। लेकिन मात्र 5000 रुपये की राशि लेने के आरोप में इन दोनों सदनों ने मिलकर ग्यारह सांसदों को राजनैतिक सदस्यता से, इस सदन की सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उनके राजनैतिक कैरियर खत्म कर दिये। यह ताकत इस हाउस के अंदर, इस सदन के अंदर है। लेकिन जहां तक बाहर के आचरण का सवाल है, तो हम बाहर आर्डिनेरी सिटीजन है, साधारण नागरिक हैं। हम पर बाहर प्रिवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू है। श्री नरिसम्हा राव की जजमैंट के बाद हमारा बाहर का आचरण पब्लिक सर्वेंट बन गया, इसलिए बाहर का आचरण लोकपाल के घेरे में आये, उसमें हमें कोई आपित नहीं है। लेकिन अंदर के आचरण के लिए हाउस उसमें सुप्रीम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं इसकी कम्पोजिशन पूर्वाती हूं, क्योंकि प्रभावी लोकपाल के लिए यह सबसे बड़ी जरूरत है कि वह चुना कैसे जाये? सलैक्शन कैमेटी की कोई भी कम्पोजिशन अगर ऐसी होगी, जिसमें सरकारी पक्ष के बाहुल्य होगा, तो उसमें से सरकारी लोकपाल निकलेगा, क्योंकि इसका मेरे से ज्यादा प्रत्यक्ष अनुभव किसी को नहीं है कि जिस कमेटी में सरकारी लोग बाहुल्यता में होते हैं, वहां क्या

Comment: Cd by r

Comment: Smt. Sushma Swaraj-cd

होता है। ...(व्यवधान) मैं एक-एक करके बताऊंगी। ...(व्यवधान) मैं कुछ विषय आपके लिए भी छोड़ रही हूं। ...(व्यवधान) अभी मैं अधिकार क्षेत्र में आती हूं।

अध्यक्षा जी, सीवीसी की कमेटी में सरकारी पक्ष का बाहुल्य केवल एक का होता है। उसमें प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष होती हैं, यानी टू और वन। लेकिन वहां विमत को किस तरह से दरिकनार करके अपना निर्णय थोपा जाता है, इसकी मैं प्रत्यक्ष अनुभवी हूं। मैं अपनी बात कहती रह गयी, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गयी। यह तो ईश्वर ने मुझे साहस दिया कि मैं अकेली इन दोनों से भिड़ गयी और वहां अपनी असहमित लिखित में दर्ज कराकर उठी। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में वह मामला तार्किक परिणित तक पहुंचा। लेकिन उसने मुझे यह अनुभव दे दिया कि जिस कमेटी में सरकारी पक्ष बाहुल्यता में होता है, वहां कैसा चयन होता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि कमेटी जो भी बने, उसमें सरकारी पक्ष के लोग कम और गैर सरकारी ज्यादा होने चाहिए, तभी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल हम निकाल पायेंगे। लेकिन इसकी एक दूसरी अति हमने कल गुजरात के लोकायुक्त की नियुक्ति में देखी। उस सरकार को पूरी तरह बाईपास कर दिया। लोग कहते हैं कि गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना? ...(व्यवधान)

अध्यक्षा जी, गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं बना, यह पूछते हैं? ...(व्यवधान) गुजरात के मुख्यमंत्री ने चीफ जिस्टिस द्वारा दिये गये नाम को नेता प्रतिपक्ष के साथ सहमत होकर गवर्नर को भेजा। छः साल तक फाइल तात्कालिक गवर्नर ने नहीं निकाली। उसके बाद उसी व्यक्ति को बाद में महाराष्ट्र के एनएचआरसी में लगा दिया गया, लेकिन गुजरात का लोकायुक्त नहीं बनाया। उसके बाद मीटिंग बुलायी, तो नेता प्रतिपक्ष उसमें आये नहीं। उन्होंने उसका बायकाट कर दिया। अब कल क्या घटा? कल पूरी सरकार को बाईपास करते हुए गवर्नर ने स्वयं नियुक्ति कर दी। यह दूसरी एक्सट्रीम है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि कम्पोजिशन के समय यह संतुलन बनना बहुत जरूरी है कि न तो सरकार का बाहुल्य हो और न सरकार की पूरी तरह अनदेखी हो, तब हम एक संतुलित चयन सिमिति निकाल पायेंगे और एक संतुलित चयन प्रक्रिया इसमें रख पायेंगे।

अध्यक्षा जी, इसके बाद वे तीन प्रश्न आते हैं, जो नेता सदन ने हमारे विचार के लिए अपने वक्तव्य में उठाये हैं। एक विषय है कि क्या एक ही एक्ट से लोकपाल और लोकायुक्त बन सकता है? यहां पर बहुत संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं। वे कहेंगे कि जो स्टेट सर्विसेज हैं, वे स्टेट का विषय है, स्टेट की एंट्री है। लेजिस्लेटिव कॉम्पीटैंस का विषय उठेगा

Comment: Cd by s1

(s1/1225/rps-kmr)

हम कैसे एक ही एक्ट से दोनों बना दें, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं की वर्ष 1968 और 1971 के जो लोकपाल बिल आए थे, उनका शीर्षक था - लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। दूसरे, जो संविधान यह प्रावधान देता है कि यह स्टेट एंट्री है और दूसरा सेंट्रल एंट्री है, वही संविधान अनुच्छेद 252 में हमें यह अधिकार भी देता है कि दो राज्यों के समर्थन यह लोक सभा एक इनेबलिंग प्रॉविजन के साथ ऐसा कानून बना सकती है जिसे बाद में राज्य स्वीकार कर सकें। मैं कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 252 को हम देख लें। उसमें यह लिखा है:

"Power of Parliament to slate for two or more States by consent and adoption of such legislation by any other State"

इसके तहत हम एक ही बिल से लोकपाल और लोकायुक्त बना सकते हैं, दो राज्यों के समर्थन से बना दें और बाकी राज्यों के लिए एक इनेबलिंग प्रॉविजन बना दें जिससे राज्य सरकारें उसको एडॉप्ट कर सकें तािक कोई राज्य सरकार यह न कह सके कि हमारे पास कोई मॉडल बिल नहीं है।

दूसरा विषय है ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म। मुझे आज यहां यह बात कहते हुए खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी की दो राज्य सरकारों ने और एनडीए की एक राज्य सरकार ने इस ग्रीवांस रिडेसल मैकेनिज्म को पहले ही स्थापित कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल बनाया है - लोकसेवा प्रदाय गारन्टी विधेयक। बिहार ने एक ऐसा ही बिल बनाया और कल ही मुझे जानकारी मिली है हिमाचल प्रदेश ने भी लोकसेवा प्रदाय गारन्टी विधेयक बना दिया है।...(व्यवधान) पंजाब में भी बना दिया है। ...(व्यवधान) जहां तक ग्रीवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म का सवाल है, बहुत ही प्रभावी लोकसेवा प्रदाय विधेयक बने हैं जिनमें यह तय किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई पटवारी 15 दिन के अंदर गिर्दाबरी नहीं देता, अगर कोई तहसीलदार एक महीने के अंदर नामांतरण नहीं करता, तो उसको जो जुर्माना लगेगा, वह उसी तनख्वाह से काटा जाएगा और वह जूर्माने की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसका काम 15 दिन या एक महीने में नहीं किया गया है। सिटीजन्स चार्टर को सामने रखकर ये विधेयक बनाए गए हैं। जन-लोकपाल बिल जिस डीम्ड करप्शन की बात करता है, उससे हम सहमत नहीं हैं क्योंकि डीम्ड करप्शन में सीधे 15 दिन में काम न करने पर सजा का प्रावधान है। हम कहते हैं कि इनएफिशिएंसी और डीम्ड करप्शन को एक चीज नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी के प्रतिनिधि भी इस बात को मानने को तैयार हैं कि जो हमारे लोकसेवा प्रदाय गारन्टी विधेयक हैं, वे सिटीजन्स चार्टर का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेकर आए हैं, सारी राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार उस तरह के सिटीजन्स चार्टर के साथ पब्लिक सर्विस गारन्टी एक्ट्स बना सकती हैं, ताकि आम आदमी को यह पता चले कि उसका

Comment: Smt Swaraj cd.

काम इतने दिन में होगा ही होगा और नहीं होगा तो उस अधिकारी पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि उसे मिलेगी, जिसका नुकसान होगा।

इसके बाद तीसरा बिषय लोअर ब्यूरोक्रेसी का है। जहां तक लोअर ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, मैं कहना चाहती हूं कि कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक असर भी डालती हैं। इसके विरोध में केवल एक तर्क है कि अनविल्डी बॉडी हो जाएगी, लेकिन अगर हम बैलेंस करें कि उसका मनोवैज्ञानिक असर क्या होगा। आज आम आदमी किसी बड़े आदमी के भ्रष्टाचार से क्रोधित है, लेकिन उतना परेशान नहीं है क्योंकि उसका उससे वास्ता ही नहीं पड़ता। वह जब उसके बारे में अखबार में पढ़ता है, तो उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि यह मेरी गाढ़ी कमाई के पैसे से भरे गए टैक्स को क्यों लूट रहा है। वह क्रोधित होता है, लेकिन परेशान नहीं होता है। वह तंग होता है छोटे अफसर से। राशन कार्ड बनवाने जाता है, वह नहीं बनता, लाइसेंस बनवाने जाता है, लेकिन लाइसेंस नहीं बनता है। कहीं न कहीं जन-लोकपाल बिल ने यह आकांक्षा जता दी है कि हम जो यह जो हथियार ला रहे हैं, वह हमें उससे बचाएगा, छोटे भ्रष्टाचार से बचाएगा। जो उमड़-घुमड़कर लोग आ रहे हैं, ये उन बड़े भ्रष्टाचारों के खिलाफ नहीं आ रहे हैं, ये यह उम्मीद लेकर आ रहे हैं, आशा लेकर आ रहे हैं, मन में आस लेकर आ रहे हैं कि यह जन-लोकपाल बिल मेरे मर्ज का इलाज होगा।

(t/1230/jr-vp)

क्योंकि उसके अंदर छोटी डैमोक्रेसी आएगी इसिलए मैं कहना चाहती हूं कि मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, एपेलेट अथोरिटी बनाई जा सकती है। लोकपाल के नीचे और 11 लोकपाल बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने छोटे अधिकारी को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा तो वह आदमी अपने को कहीं ठगा हुआ महसूस करेगा, वह आदमी यह महसूस करेगा कि मेरे भ्रष्टाचार का इलाज नहीं हुआ, इन लोगों ने केवल बड़े भ्रष्टाचार का इलाज किया। इसिलए यह जो लोअर डैमोक्रेसी की बात है, उस पर भी हमारी पार्टी सहमत है। ये तीन विषय जो विचारार्थ नेता सदन ने अपने वक्तव्य में रखे हैं, इन तीन विषयों पर मैं अपनी पार्टी की सहमित इस सदन में दर्ज कराती हूं।

अध्यक्ष जी, मैं फिर अपनी उसी बात पर आती हूं कि आज का दिन एक इतिहास का दिन है। हमारी पीढ़ी ने बहुत भ्रष्म भोगा है, हमारी पीढ़ी उसका शिकार बनी है। लेकिन हमारी भावी संतितयां इस त्रास को न भोगें। हमारी भावी पीढ़ियां इस भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार के गर्त का शिकार न बनें, इसके लिए आज इतिहास ने हमें मौका दिया है। इस मौके को हम चूके नहीं, इसे तरह-तरह की तकनीकियों में हम न डालें। पूरा देश आज उद्देलित है, पूरा देश आज हमारी तरफ देख रहा है। इस बिल का वह हश्र न हो जो पुराने आठ बिलों का हुआ है, 43 बरस तक यह बिल घूमता रहा है। लेकिन इस बार, आज हम बिल

Comment:

Comment: smt. sushma swaraj cd.

पास करने के लिए खड़े नहीं हुए हैं, परंतु आज हम सरकार को एक सुझाव और संकेत देने के लिए खड़े हुए हैं। इस सदन से देश को एक संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आज इस सदन से सरकार को यह संदेश जाए कि प्रभावी, सशक्त, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल इस देश में आए, जो आम आदमी को उसके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1232 बजे

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष ने जब अपना भाषण शुरू किया, तो सबसे प्रथम बात जो उन्होंने कही, वह यह कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। शायद ही कोई सदस्य होगा इस पूरी संसद का जो इसे ऐतिहासिक दिन नहीं मानेगा!...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया शांत रहें।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): मुझे केवल एक निराशा हुई कि इस ऐतिहासिक दिन पर बड़े प्रभावी ढंग से हमारी नेता प्रतिपक्ष ने जो ऐतिहासिक भाषण की बात की, मुझे कम से कम यह उम्मीद थी कि जिस तरह उन्होंने कहा कि हम शुरुआत करेंगे कि उनकी तरफ से भी उन विषयों पर चर्चा होगी, जिन विषयों के कारण हम यहां आज इकट्ठा हुए हैं। उनके बोलने का तरीका बहुत प्रभावी है। उन्होंने अपनी तरफ से तर्क दिए और बड़ी बखूबी से उन्होंने अपनी बात रखी। निराशा मुझे केवल यह हुई कि इस ऐतिहासिक दिन में उनकी तरफ से एक साधारण दिन का भाषण आया। आप विपक्षी पार्टी पर हमला करें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारी गलतियों को दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यह काम कर सकते हैं। मेरे सामने आज दोराहे हैं, मैं क्या बोलूं। क्या मैं यह बोलूं कि अगर हमारे ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आने से यह माहौल बना, तो और राज्यों में क्या-क्या हो रहा है। क्या यह आज के लिए महत्वपूर्ण है? क्या मैं यह कहूं कि जब उन्होंने हवाला केस के लोगों की बात बताई थी, तो आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिता जी को नाम क्यों भूल गईं, उनका नाम भी डाल सकते थे।

जब इस बात पर बात हो रही थी कि वह रात की मीटिंग में टीम अण्णा के लोग क्यों नाराज होकर चले गए, तो क्या किसी मीटिंग के अंदर जो लोग बैठकर बात करते हैं, उसकी गरिमा को तोड़कर मैं आज बता दूं कि उस मीटिंग में क्या हुआ था। जब इन्होंने कहा कि मैं सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं करती हूं, क्या मैं उस सस्ती लोकप्रियता की तरफ जाने की बात रखूं या आज उन विषयों के लिए खड़ा हूं, जिनके लिए देश का एक महान नेता बाहर अनशन कर रहा है। मैं केवल यह समझता हूं कि इस तरफ अगर मैं जाऊंगा तो आज कम से कम जिस कारण मैं इस सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं उसके प्रति ऑनेस्ट काम नहीं करुंगा। इसलिए मानते हुए कि कभी भी किसी वक्ता को उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे सीधे-सीधे उस पर या उसकी पार्टी पर प्रहार होते हैं। मैं आज उस फील्ड को छोड़ रहा हूं, क्योंकि आज देश की जनता और अण्णा हमसे केवल वह सुनना चाहती है कि उन लोकपाल बिल

के प्रावधानों पर, जिस पर उन्होंने आग्रह किया है कि संसद अपनी बात उनके सामने रखे, हम उस पर अपनी बात रखें।

(u/1235/har/rk)

स्पीकर महोदया, मैं विनम्रतापूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे सामने दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक, उन चीजों पर अपनी बात रखना जिसके लिए माननीय अन्ना जी हमारी बात सुनने के लिए रामलीला ग्राउंड में बैठे हुए हैं और दूसरा, बाकी तमाम इश्यूज, जो भ्रष्टाचार और लोकपाल बिल से संबंधित हैं। मुझे मालूम है कि यहां सारे वक्ता, तमाम बातों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। सदन ने जो बात तय की है उसके विरोध में मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि क्या हम इस बात को कर सकते हैं कि कम कम पहले कुछ राउंड्स की चर्चा के बाद अगर इन विषयों पर एक सेंस ऑफ हाउस निकल जाता है, अग प्रतिपक्ष और नेता सदन इस बात को मान लें, तो कम से कम अन्ना जी को हम अपनी बात कह सकें, जिससे उनके अनशन तोड़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके और बाद में बाकी बातचीत हम अपनी कर सकें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): आपका सुझाव मान लिया।...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इन दोनों को हम पैरलल रखें, क्योंकि बहुत से विषय हैं। आज कई बातें बिल के बारे में कही गयी हैं। उन पर हम सोमवार को भी चर्चा कर सकते हैं, मंगलवार को भी चर्चा कर सकते हैं, पूरे इतवार उन पर चर्चा कर सकते हैं। आज हमारा एक सीमित लक्ष्य है क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें एक जन-नेता भूख हड़ताल पर बैटा है और उसने हमारे सामने केवल तीन बातें रखी हैं, तमाम और चीजों के बावजूद भी कि इन तीन चीजों पर आप अपना मत बता दीजिए, फिर मैं तय करुंगा कि मैं अपना अनशन छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा।...(व्यवधान) श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): हमने आपका सुझाव मान लिया...(व्यवधान) हम तैयार हैं ऐसा विपक्ष की नेता ने कह दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, सुन लीजिए। आप बैठ जाइये।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मेरी किस बात पर इतनी आपत्ति हुई है, मैं तो एक सुझाव दे रहा हूं। आप मेरी बात सुन लीजिए। श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): हमें कोई आपत्ति नहीं, समर्थन है।...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, इस लोकपाल बिल पर मैं दो-तीन बातें संसद के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय सुषमा जी ने इस बात को माना है कि लोकपाल बिल संसद में 6-7 बार आया है Comment: cd. by u

Comment: Cd by Sandeep Dixit

और संसद में इसे स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने पिछले महीनों के इतिहास को भी गिनाया। मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता था लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि लोकपाल बिल के लिए एक माहौल बना, लेकिन लोकपाल बिल की चर्चा की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने उसके प्रारूप पर सबसे पहले चर्चा प्रारम्भ की। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कटिबद्धता उस मीटिंग से ही सिद्ध होती है।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): संविधान के बारे में बात करो...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): संविधान के बारे में बात नहीं होती...(व्यवधान) बात होती है किसी भी प्रक्रिया को बताने की। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइये, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): स्पीकर महोदया, संविधान की बात यहां कहां से आ गयी, मुझे समझ में नहीं आया। बात तो प्रक्रिया की हो रही है, प्रक्रिया में तमाम मीटिंगों का उल्लेख किया गया है। अगर मीटिंगों का उल्लेख किया जा सकता है तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की भी मीटिंग का उल्लेख किया जा सकता है। उसी मीटिंग में टीम अन्ना के कुछ सदस्य बुलाए गये थे। कुछ कारण हो सकते हैं कि उनका जो रुख था, जिस तरीके से चर्चा हुई, उस पर उन्हें आपत्ति हुई हो और उसके अगले दिन से अन्ना जी के साथ उन्होंने अपना अनशन प्रारम्भ किया और तमाम प्रक्रिया, जिसके बारे में सभी को मालूम है, वह चालू हुई।

जन-लोकपाल बिल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहला खाका जो जन-लोकपाल बिल का बना, वह काफी समय पहले बना था। अन्ना जी की टीम के सदस्य और अन्ना जी पूर्ण रूप से इस बिल की तमाम जो प्रक्रियाएं थीं, उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने अपने ही बिल को 10-12 बार संशोधित किया। आज उसका वर्जन 2.3 है, उसमें अनेक वर्जन्स हैं, 2.1 है, 2.2 है, 2.2(1) है, ऐसे करके अनेक वर्जन्स हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि जो अभी देश में एक फीलिंग है कि सिर्फ यह बिल या कोई और बिल नहीं, टीम अन्ना ने भी इस बात को समझकर कि और लोगों से बातचीत करके हमने भी ज्ञान प्राप्त किया है, अपने ही बिल का 10 से 12 बार संशोधन किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह बिल भी अपने में सैंक्रोसेंट नहीं है और लोगों की भी उसमें बातचीत आ जाती है, सरकार का मत आ जाता है, विपक्ष का मत आ जाता, तमाम राजनैतिक पार्टियों का मत आ जाता है तो वह बिल ज्यादा सशक्त और प्रभावी बनकर सामने आयेगा। अन्ना जी की टीम ने खुद अनेकों बार अपनी बात का संशोधन

किया है, इसलिए इस बात को कहना कि वही बिल अपने में सशक्त होगा, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि हम लोगों की भी बात सुन ली जाए, उसके बाद जिस तरीके का बिल आता है।

(w1/1240/ind-nrj)

वह बिल जनलोकपाल बिल पर सवाल नहीं उठाता है। जब हम कहते हैं कि इसमें कुछ नया संशोधन कर दीजिए, क्योंकि यह आपकी बनाई प्रक्रिया है और आपने 12 बार अपने बिल में संशोधन किया है। हम केवल यह बात कहते हैं कि हमारी भी बात मान लीजिए। इस बिल को और सशक्त बनाने के लिए सम्पूर्ण संसद और राष्ट्र के विशेषज्ञों तथा जनता की राय ले लीजिए, इसलिए इसमें संशोधन की बात कही जा रही थी। यह बात नहीं थी कि एक परफेक्ट बिल बन गया था, उसके बारे में अगर कोई अपना सुझाव दे, तो वह बिल के प्रारूप के खिलाफ है। कोई व्यक्ति उस बिल के प्रारूप के खिलाफ नहीं था। आपित उस बिल के बारे में जनता के बिन्किकोई बात कहना सम्भव नहीं हो पाता है, क्योंकि जनता के मन में उत्तेजना है इसलिए कोई भी बात कहना सम्भव नहीं है। हम जैसे केवल संसद में अपनी बात कह पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज संसद में अपनी बात जरूर रखूं।

सरकार ने अपना बिल प्रस्तुत किया और नेता प्रतिपक्ष ने उस बिल को लचर बताया, कमजोर बताया, पिलपिला बताया। सरकार का जो सबसे पहला बिल था, सम्भवतः उसमें कई कमजोरियां रही होंगी। प्रणब दादा ने अपने वक्तव्य में कहा कि तीस से चालीस के करीब मुद्दे ज्वायंट ड्राफ्टिंग कमेटी में तय किए गए थे, जो दोनों बिलों के बीच में अंतर था। स्वयं उन्होंने कहा कि 40 में से 34 ऐसे प्रावधान हैं, जो उसमें माने गए। मैं तो सात साल से संसद में हूं, मुझसे बहुत वरिष्ठ सांसद सदन में बैठे हैं, शायद संसदीय इतिहास में पहली बार था कि ग़ैर सरकारी लोगों के 40 में से 34 संशोधन मान लिए जाएं। यह भी हो सकता था कि जो पांच या छह संशोधन रह गए थे, वे भी मान लिए जाते या नहीं भी माने जाते, वह बाद की बात है। आज माहौल ऐसा बना हुआ है कि केवल सरकार पर ही नहीं, बल्कि संसद पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे संसद एक बहुत बड़े राक्षस की तरह जनता और इस बिल के बीच में खड़ी हुई है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि यह बात पूर्णतः सही नहीं है। आपकी सरकार ने भी 40 में से 34 चीजें मानी हैं। आज जिस तरीके से सरकार का मूड बन रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने उन चीजों पर जो सरकारी बिल में नहीं थीं, अपनी बात व्यक्त की है और साफ तौर पर कहा है कि सारे दल और सारे लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष दो रात पहले की मीटिंग की बात कहती हैं कि दो रात पहले हमारे बीच में टीम अन्ना आई थी और हमारे जो संदेह थे, उन्हें उन्होंने दूर किया, तो मेरी बहुत विनम्रता से अपेक्षा है कि एक महीने पहले आ कर वे हमारे संदेह दूर कर सकते थे। हमें इस प्रक्रिया से जो अलग मान लिया गया, उसमें मुझे थोड़ी-सी आपत्ति है। यह संसद है और कानून बनाने के लिए आप लोग चुन कर आते हैं। अगर आप कोई

Comment: Cd by W

Comment: sh sandeep dixit cd.

प्रभावी कानून लाए हैं, तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और उनके मित्रों को जाकर दो दिन पहले अपनी बात कही, उसी तरह और पार्टियों के नेताओं को जा कर अपनी बात बता देते, तो शायद आज जिस हश्र पर हम पहुंचे हैं, हम नहीं पहुंचते और इसके कई समाधान पहले ही हो जाते।

में पिछले दिनों जो बातचीत होती रही, उससे भी जुड़ा रहा। जितनी बातें अन्ना जी ने रखी हैं, उन तीन बातों में मैं अपना मत, सम्भवतः उसमें पार्टी का भी कहीं न कहीं निहित होगा, उस बारे में मैं अंत में कहुंगा। तीन-चार महत्वपूर्ण बातें नेता प्रतिपक्ष ने कहीं, उसके बारे में भी मैं अपनी बात कहना चाहुंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की बात आती है। मुझे लगता है, उस समय भी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं अपना नाम इसमें डालूं। जैसा कि मुझे याद है उस समय सरकार ने कहा था कि इस समय हम तय कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस दायरे से बाहर रखा जाए, उसके अपने तर्क थे, लेकिन उस समय कहा था कि स्थायी समिति या संसद जिस तरह का निर्णय लेगी, वह निर्णय हमारे लिए स्वीकार्य होगा। आज नेता प्रतिपक्ष ने एक उदाहरण दिया कि हमने उस समय अटल जी की बात मान ली थी। अगर मैं भी सस्ती लोकप्रियता की बात कहूं, तो सीधे-सीधे बात मानने में क्या होता है, बात तो बिल पास करने में होती है। आपने अटल जी को खुश कर दिया, लेकिन बिल पास नहीं किया । यह आज की बात नहीं है और मुझे यह बात कहते हुए बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैंने यह बात इसलिए कही, क्योंकि समय बदलता है और आदमी अपनी सोच बदलता है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी दल की, किसी भी संस्था की परिपक्वता की निशानी होती है कि समय को समझे, समय की जरूरत को समझे और अपने विचारों को बदले और मेरे खयाल से महात्मा गांधी जी से ज्यादा किसी ने किसी दूसरे को सीख नहीं दी और सार्वजनिक रूप से कहा कि समय बदला है, परिस्थिति बदली है, मेरी सोच बदली है, मेरे अनुभव बदले हैं और मैंने जाना है कि पहले मैंने गलती की थी, लेकिन बड़प्पन इसमें है कि मैं आज अपनी गलती स्धारुं। सरकार भी आज उन संशोधनों पर विचार कर रही है, जो शायद आज से तीन महीने पहले सरकार को लगते थे कि वे प्रेक्टिकल नहीं होंगे या उनकी आवश्यकता नहीं होगी। इस बात को मानते हुए कि संसद के दायरे में एक प्रभावी और सशक्त, लेकिन एक प्रेक्टिकल बिल लाने के लिए हम सब को जुड़ना चाहिए

(x1/1245/asa/rc)

बात सीबीआई को लोकपाल के अंदर डालने की आई थी। हमारे सामने दो विकल्प हैं। आज नेता, प्रतिपक्ष ने कहा कि उसकी जो इंवेस्टीगेशन विंग है, उसको इसमें डाल सकते हैं। बहुत लोगों का आज भी मत है और मैं इस बात को कहना चाहता हूं तथा अन्ना जी के लोगों का भी यह मत है कि अगर सीबीआई को सरकार नहीं डालना चाहती है तो सीबीआई की वे ताकतें या उसके अंदर के वे प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ

 $\textbf{Comment:}\ cd.$

Comment: Ctd by Sandip Dikshit





करणान एक्ट या उससे संबंधित लॉज जो उसके अंदर आ रहे हैं, मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं कि आपको सही सही बता सकूं कि क्या वे चाहते हैं, उनको केवल अगर हमारे लोकपाल के अंदर डाल दिया जाए और ऐसे कुछ कैबिनेट्स बना दिये जाएं कि सीबीआई अंत में उनमें हस्तक्षेप न करें तो भी यह बात उस रूप में बन सकती है। लेकिन यह डॉयलॉग की बात है, डिजाइन की बात है और यह डिटेल्स में बड़े आराम से चल सकते हैं।

बात सलेक्शन प्रोसेस की आती है कि क्या क्या उसके मैम्बर्स होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने अपना अनुभव बताया। उस अनुभव में भी कुछ सच्चाई है। जो सरकार ने बिल प्रस्तुत किया था, उसमें शायद सरकारी मैम्बर हैं और बाकी मैम्बर उसमें कम हैं लेकिन इसमें भी अन्ना जी की टीम के साथ और बाकी जो लोग इसमें हैं, अरुणा राय जी ने इसमें अपना योगदान दिया है, हमारे डा. जयप्रकाश जी ने अपना योगदान दिया है, दिलत समाजों ने कुछ अपना योगदान दिया है, सबकी बात को सम्मिलित करके सलेक्शन प्रोसेस की भी और उस कमेटी की भी एक नयी प्रक्रिया बनाई जा सकती है जो बैठकर लोकपालों को तय करेगी। यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर अन्ना जी की टीम में और हमारा आपस में कोई मतभेद है। यह ऐसी चीज है जिसे बातचीत करके बड़े आराम से तय किया जा सकता है। ... (व्यवधान) में हां कह रहा हूं। आप सुन तो लीजिए। आपने भी हां नहीं की। आपने भी यही कहा कि सरकार के मैम्बरें की संख्या कम होनी चाहिए। उसके आगे न आपने डिटेल दिये और न मैं दे रहा हं।

अब बात मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट की आती है। यह बात सत्य है कि सैक्शन 2 (आर्टिकल 105) के तहत हमें कुछ अधिकार दिये गये हैं। यह अधिकार केवल इसीलिए हमें दिया गया है कि हम स्वच्छंद होकर इस संसद में अपनी बात रख सकें। हम कभी कभी अपने यहां के लोगों की पीड़ा रखते हैं, कभी कभी अपने इलाकों के लोगों की पीड़ा यहां लाकर रखते हैं और उसको कहते समय हमारे बीच में कई ऐसी बातें हो सकती हैं कि हम कभी कभी किसी पर आरोप भी लगा देते हैं, हम कभी कभी किसी की तारीफ भी कर देते हैं यह न जानते हुए कि हो सकता है कभी कभी इसके ऐसे परिणाम हों जो बाहर जाकर दूसरे परिणाम बनते हों। लेकिन अगर हर बार हम अपने परिणामों को देखने लगेंगे तो शायद स्वच्छंद रूप से सांसद अपनी बात नहीं कर पाएंगे या कभी कभी वोट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नेता, प्रतिपक्ष की भी जो बात है और सरकार की भी बात है, वह यह है कि सांसदों के इस अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए। आर्टिकल 105 के अंदर सांसदों को जो सुरक्षा मिली है, उस सुरक्षा को मेनटेन करके रखना चाहिए और बाद में जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट तो सांसदों पर वैसे भी एप्लाई करता है, वह एक ऐसी बात है जिसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है।

अब बात उन तीन महत्वपूर्ण मृद्दों की आती है जिसके लिए अन्ना जी भी इंतजार कर रहे हैं कि यह संसद क्या सोचती है और अपनी तरफ से हमें क्या बात बताएगी। बात लोकायुक्त की आती है कि जिस तरीके से लोकपाल बिल आएगा, क्या उसी तरीके से राज्यों में भी लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी? सुषमा जी ने अपनी तरफ से बात बताई कि अनेबलिंग प्रोविजन कर दें जो अगर संविधान में किसी रूप में नहीं मिल सकता है तो क्या मॉडल बिल की तैयारी हो सकती है? ये दोनों ऑप्शंस की बात हो रही है। यह बह्त सरल बात है। इसमें नेता मिल सकते हैं, हमारे कानून मंत्री यहां बैठे हैं, आप 4-6 संविधान विशेषज्ञों को बुला लीजिए। जिस रूप में भी हो सकता है क्योंकि सरकार अनेबलिंग प्रोविजंस की बात पहले से ही कर रही है, इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहुंगा। अगर यह राज्यों में जिस तरीके से एप्लाई हो सकता है, यह हो। कुछ राज्य हो सकते हैं जो इस पर आपत्ति करें। वो राज्य जानें, उनका काम जानें। वहां के स्वयंसेवी संगठन होंगे, वहां का सभ्य समाज होगा, वहां के लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कि माहौल में कोई भी राज्य जब उसके सामने मॉडल बिल बनेगा तो वह पीछे रह पाएगा लेकिन वह उस राज्य सरकार की और वहां के नागरिकों के बीच की बात है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अगर यह लोकायुक्त बिल जब बनता है, अगर अनेबलिंग प्रोविजन इसमें डल सकता है तो उसे डाला जाए नहीं तो उसके साथ साथ सरकार बताए कि हम एक मॉडल बिल भी लाएंगे और जो राज्यों में लोकायुक्त प्रतिनिधियों पर एप्लाई करने के लिए है और यह बात अगर हम अन्ना जी के समक्ष रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस बात से वह संतोष करेंगे।

दूसरी बात ग्रीवांसेज की आती है। बड़ी खूबी से नेता, प्रतिपक्ष ने अपने राज्यों की बात कही। यह बात वह भूल गईं कि खुद अन्ना जी की टीम ने इस बात को सबसे पहले रखा था। मैं राज्यों का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने जब खुद सबसे पहले अपने राज्यों का नाम रखा था और कहा था कि कहां कहां मॉडल पब्लिक डिलीवरी ग्रीवांस सिस्टम है तो उन्होंने कांग्रेस राज्यों का नाम भी लिया था।

(y1/1250/sk-snb)

में इसिलए नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कांग्रेस वर्सिज़ बीजेपी नहीं बनाना चाहता। ...(व्यवधान) लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यों का नाम लिया। हमने कहा, नहीं और पार्टी के राज्यों ने भी आदर्श...(व्यवधान) नहीं, मैं उसमें पड़ना ही नहीं चाहता हूं, ग्रिएवेंसिस रिड्रेसल मेकेनिज्म बनाएंगे। ...(व्यवधान) मैं आपको बाहर बता दूंगा लेकिन यहां नहीं बताऊंगा।...(व्यवधान) मैं आपको जान कर नहीं बता रहा हूं।...(व्यवधान) मैं इसिलए नहीं कहना चाहता क्योंकि जिस राज्य में आप बैठे हैं, उस राज्य के सिस्टम को आदर्श सिस्टम माना है।...(व्यवधान) आप इसे कुछ भी कह लीजिए।...(व्यवधान) मैं इसिलए नहीं बताना चाहता था।...(व्यवधान)

Comment: Cd by y

Comment: Sh Dixit cd





यह मैंने उनके अपने दस्तावेजों से लिया है, मेरे दस्तावेजों से नहीं है।...(व्यवधान) लेकिन ग्रिएवेंस रिड्रेसल सिस्टम के साथ जो बात बनती है, एक यह है कि सबको मालूम है कि सरकार एक प्रभावी ग्रिएवेंस रिड्रेसल सिस्टम को लाने का प्रयास कर रही है और एक्ट फार्मूलेशन स्टेज पर है। मेरे मित्र मिलिंद जी यहां बैठे हैं जो अभी मुझे बात रहे थे कि किस तरह से इलेक्ट्रानिक्स का इस्तेमाल करके ग्रिएवेंस रिड्रेसल बेहतर रूप में बन सकता है। इसके बारे में कई राज्यों के भी अनुभव हैं और भारत सरकार इन अनुभवों को अपने एक्ट में ला रही है। सिर्फ बात सिटिजन चार्टर बनाने की नहीं होगी जो इस बिल के बाद भारत सरकार के तमाम कार्यक्रमों के लिए बनेगा, बात उस ग्रिएवेंस रिड्रेसल मेकेनिज्म की भी नहीं है जो बनेगा। लेकिन एक छोटा सा पेच फंसता है कि इससे अगर कोई क्रिमिनल या करप्शन की बात उत्पन्न होती है तो उस पर ज्यूरिक्डिक्शन किसकी होगी? इसमें यह बात कहनी जरूरी है कि हर चीज में पब्लिक ग्रिएवेंस में जरूरी तो नहीं है कि करप्शन का एंगल सामने आए। अगर हम हर चीज पर करप्शन का एंगल देखने लगेंगे तो कभी भयानक स्थिति भी बन सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि इसमें करप्शन का एंगल नहीं आता है। यहां करीब 750 सांसद हैं, एक सामान्य दिन में हमारे पास कम से कम सात, आठ या दस ऐसे केस आते होंगे जो पब्लिक ग्रिएवेंस से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि आमूमन सामान्य दिन में कुल मिलाकर 7000 ऐसे केस आते हैं। अगर हम 300 दिन का काम करते हैं तो 7000/300 से देखें तो 20 से 21 लाख के करीब केस आ जाएंगे। इस तरह से इतने सारे केसिस पर हर चीज में हर बार क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना शायद संभव नहीं होगा। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि सिटिजन चार्टर आ रहा है, अन्ना जी ने मांग की है, पब्लिक ग्रिएवेंस रिड्रेसल सिस्टम बन रहा है जिसकी अन्ना जी ने मांग की है, केवल क्रिमिनल इंटेंट या करप्शन से उसे जोड़कर प्रक्रिया जो वे कह रहे हैं, इसे लोकपाल से अगर जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए कोई मॉडल तैयार करना होगा क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि लोकपाल इसके प्रभाव में दब जाए। हम चाहते हैं कि यह सिस्टम हो। सरकार की आज की प्रणालियों में भी यह सिस्टम डाला जा सकता है, इसे जिस तरह से लिंक करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मूलतः मेरी बात वही है जो नेता प्रतिपक्ष ने कही है। मेरे ख्याल से बाकी सदन भी शायद अपना मत भी वैसा ही रखेगा।

महोदया, तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही गई है और अन्ना जी ने शायद सबसे बड़ी बात कही वह लोअर ब्यूरोक्रेसी के बारे में है। लोअर ब्यूरोक्रेसी से ज्यादातर आदमी जूझते हैं। थानेदार से लेकर गश्ती हवलदार तक, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर से लेकर तहसील के अफसर तक, तहसीलदार से लेकर पटवारी तक, पटवारी का नाम ही लोगों के दिल में डर पैदा कर देता है, यही नहीं कभी अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल के सामने जो सेवक होते हैं उनसे कई बार हम लोगों को दो-दो हाथ करने पड़ते हैं। मेरे मन में है कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को किसी ऐसे सिस्टम से अलग रखना जनहित में नहीं है। लेकिन इसे लाने के

लिए क्या प्रक्रिया बनाई जाए, क्या मॉडल बनाया जाए? एक मॉडल है जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कही जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि सीएजी टाइप मॉडल की बात कर सकते हैं और इसे तमाम संस्थाओं से लिंक कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएं। इसे कानून की तरफ से शक्ति दें, शक्तिशाली बनाएं, शक्तिवान बनाएं। अन्ना जी का कहना कि लोअर ब्यूरोक्रेसी को निरंकुश न छोड़ें और मेरे ख्याल से इसे हम सब लोग स्वीकार करते हैं। उनका सुझाव करण्शन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी कदम है तो शायद यह सबसे प्रभावी कदम होगा। इसे क्रियान्वित करने के लिए संस्थाओं को कैसे जोड़ा जाए, किसका क्या रोल हो, इसे देखने के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। मैं पूरे सदन की राय नहीं जानता लेकिन अपनी तरफ से हाथ जोड़कर अन्ना जी से निवेदन करूंगा, अगर वे मेरी बात सुन रहे हैं, इतना मानें कि आज हम लोग आपके पूरी तरह से साथ हैं, इसकी प्रक्रिया में बनाने और संस्थागत रूप में इसे कैसे रखा जाए, इस पर थोड़ा सोचने की बात है।

(z1/1255/bks-ru)

आपकी टीम से भी जो विचार-विमर्श चल रहा है, उसमें भी ये चर्चा के मुख्य बिन्दु हैं। इसलिए यदि आप समय दें तो इसे बेहतर और प्रभावी रूप से बना सकेंगे।

महोदया, मेरे ख्याल से जो तीन-चार मुख्य मुद्दे थे, वे तय हुए। इस बात को कहकर कि आज ज्यूडिशियरी की एक बात बताई गई है, ज्यूडिशियरी पर...(व्यवधान) मैं उस पर आ रहा हूं।...(व्यवधान)

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record. Shri Dikshit, please addr he Chair.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया : अब आप शांत हो जाड्ये। आप बोलिये। बस बहुत हो गया, इतना ज्यादा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): मैं उस पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not do this.

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइये, आप भी बैठिये। आप यह क्या कर रहे हैं?

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): जो चार-पांच महत्वपूर्ण चीजें सांसदों ने कहीं हैं, इसमें यह बात आती है कि जो ज्यूडिशियरी की बात थी, मेरे ख्याल से यह सब जगह अब तय हो गया है कि ज्यूडिशियरी को लोकपाल के तहत न रखा जाए, बल्कि एक सशक्त, प्रभावशाली ज्यूडिशियल एकाउन्टेबिलिटी बिल में उसे Comment: Cd by z1

Comment: (Sh.Sandip Dixit cd.)

डाला जाए। जो बिल तैयार भी है। यदि उस बिल में भी कुछ कमजोरियां हैं तो सरकार इस बात के लिए तैयार है कि श्री अण्णा हजारे की टीम के जो सुझाव हैं और तमाम लोगों के भी जो सुझाव हैं, उन्हें जल्द से जल्द उस बिल में डाला जाए, जिसमें एक सशक्त ज्यूडिशियल एकाउन्टेबिलिटी की बात हो। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि ज्यूडिशियरी का इतिहास चाहे कुछ भी हो, ज्यूडिशियरी की इंडिपेन्डेन्स पर कम से कम हम लोगों को अंकुश नहीं लगाना चाहिए। हमारी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जिनकी इंडिपेन्डेन्स को हम लोगों को प्रोटैक्ट करना चाहिए, इस मामले में कम से कम मेरा ऐसा मत है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शांत हो जाइये। आप लोग क्या कर रहे हैं?

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदया, बस दो-तीन चीजें बचती हैं, चूंकि मैंने खयं कहा था कि जो चर्चा है, वह तीन मुख्यतः तीन बिंदुओं पर रखी जाए और जो भ्रष्टाचार के बाकी चेहरे हैं, वे भी उतने ही भयानक हैं। मुझे नहीं लगता कि उन पर आज चर्चा हो सकती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्या कर रहे हैं, कम से कम ऐसे मत कीजिए। उन्हें बोलने दीजिए, आप इस तरह से मत करिये। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कृपया ऐसे मत करिये। शांत हो जाइये। लालू जी, आप बैठ जाइये। उन्हें बोलने दीजिए। आप बोलिये।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record except the speech of Shri Sandeep Dikshit.

(Interruptions) ... (Not recorded)

अध्यक्ष महोदया : आप चेयर को एड्रैस कीजिए, आप इधर-उधर मत देखिये।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): महोदया, भ्रष्टाचार के जो तीन भयानक चेहरे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें एक लोकपाल बिल में शायद कवर हो सकता है या नहीं। लेकिन उसके लिए भी आने वाले समय में सरकार को और सबको मिलकर सोचना चाहिए कि कारपोरेट्स का भ्रष्टाचार से किस तरह से संबंध बनता है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

..(व्यवधान) (कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अब हम एनजीओ सैक्टर पर आते हैं। यह एक ऐसा सैक्टर है, जिससे मैं 15 सालों तक जुड़ा रहा हूं और इस सैक्टर में अगर अच्छे लोग हैं, अगर ऐसी संस्थाएं हैं, जो सेवा के लिए काम करती हैं, अगर ऐसी संस्थाएं हैं, जिन्होंने देश के विकास में अपना योगदान दिया है तो ऐसी संस्थाएं भी हैं, जिन्होंने पूरे के पूरे क्षेत्र पर कालिख पोती है। इसमें ऐसे भी लोग हैं। यह बात मैं बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं। इसमें मेरे मित्र हैं, ये वे लोग हैं, जिनके साथ मैंने 15 साल जिंदगी काटी है। मैं बहुत गम्भीरता से सदन में कह रहा हूं कि अगर एनजीओ सैक्टर पर आपने अंकुश नहीं लगाया तो यह निरंकुश हो जायेगा

(a2/1300/gg-rbn)

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इन्टेंशन्स पर कभी गलती है। ...(व्यवधान) लेकिन कोई भी समाज ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is not done.

... (Interruptions)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्षा जी, मैं सिर्फ एनजीओ सेक्टर की ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोव वैठ जाइए, जब आपकी पार्टी बोलेगी तब बोल लीजिएगा।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) अध्यक्षा जी, मैं जो ये दो-तीन बातें हैं, जिनके बारे में, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा मानना यह नहीं है कि इन्हें लोकपाल के अंदर लाया जाए। लोकपाल को इतना बड़ा और इतना इम्प्रैक्टिकल ...(व्यवधान) संस्था आप नहीं बना सकते। इनके लिए और आयामों की आवश्यकता होगी।...(व्यवधान) लेकिन मैं यह कह रहा हूँ ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान) आप दो मिनट मेरी बात सुन लें, मैं बैठने वाला हूँ। ...(व्यवधान) महोदया, मैं एनजीओ सेक्टर के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सेक्टर का एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे किसी न किसी दायरे में लाना आवश्यक है। ...(व्यवधान) इसके अंदर जो लोकपाल में है...(व्यवधान) सरकार के जो ...(व्यवधान) सर, एक सैकेंड ...(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए ...(व्यवधान) सरकार के जो ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: यहां बहुत महत्वपूर्ण बहस हो रही है। शुरू में ही कहा गया था कि आज ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक बहस है और उसे पूरी गंभीरता से करना है। हर एक को मौका मिलने वाला है। बहुत लंबी बहस चलेगी, सबको मौका मिलेगा। आपके जो भी विचार हैं उनको रखिएगा। लेकिन अभी माननीय सदस्य को अपने विचार शांतिपूर्वक रखने दीजिए। अब आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए।

...(व्यवधान)

Comment: (cd. by a2)

Comment: Ctd. By sandip dixit

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, सरकार का जो बिल है, जिसको हम लोकपाल बिल कह रहे हैं। ...(व्यवधान) उसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं है ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Dikshit, kindly address the Chair.

... (Interruptions)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): शायद, सांसदों को मालूम नहीं हैं, सरकार के बिल में स्वयंसेवी संस्थाएं है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Shri Lalu Prasad, please do not interrupt.

... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान) सिर्फ एक प्रावधान जो इसमें है कि तमाम एनजीओज़ को इसमें कवर किया जा रहा है। मेरा विनम्रता से निवेदन यह है कि ऐसे संगठन जो केंद्र सरकार से या राज्य सरकारों से धन नहीं ले सकते हैं या नहीं ले रहे हैं, क्या उनको लोकपाल के दायरे में डालना जायज़ है या नहीं? यह सिर्फ एक बात है जिस पर सरकार पुनर्विचार करे। ...(व्यवधान) मैं किसी और चीज़ पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि हम यहां थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार पर और लोकपाल बिल पर बोलने आए हैं। लेकिन इन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जिन पर अण्णा जी ने हमसे अपनी बात कही है, हम उस पर अपना मत व्यक्त करने आए हैं। लेकिन इन तीन चीजों के साथ हमको क्या कैविएट्स डालने चाहिए। वह सिर्फ इसलिए कि वे उन चीजों को प्रभावी ढंग से जनता के बीच में प्रैक्टिकल रूप में कर सकेंगे। उन बातों को हम स्वीकार करें, पूरा सदन उसमें अपना मत व्यक्त करे और हम अण्णा जी से यह प्रार्थना करें कि आपने हमको एक दिशा दिखाई है। इसी राष्ट्र से अगर छह महीने पहले पूछते तो उसके कई नागरिक यह सवाल पूछते कि कौन हैं अण्णा जी। आज यही राष्ट्र कह रहा है कि कौन नहीं हैं अण्णा। इस व्यक्ति ने इस देश में, इस देश की जनता के बीच में अपनी जगह बनाई है।

Comment: Fld. by b2



Comment: Sandeep dixit contd.

(b2/1305/cs-tkd)

उनका जो आग्रह है, कम से कम मेरे लिए तो यह बहुत इज्जत की बात है कि उन्होंने संसद से एक आग्रह किया और हमने उसे रिस्पेक्ट दी। इन बातों को मानते हुए एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल बिल की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन भी करूंगा कि इस बिल को जितनी जल्दी हो सके स्टैंडिंग कमेटी में भेजें, लालू जी बैठे हैं, वे जानते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसे पूरा करें। जो सपना आज देश देख रहा है, वह सपना साकार करने के लिए हम पूरा प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)



1306 बजे

Comment: Fld. by b2

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जरा शांत रहिये। अगर आपको बाहर जाना है तो जरा शांतिपूर्वक जाइये।

...(व्यवधान)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, यह देखिये कि ये कितने गंभीर हैं?

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये। थोड़ी देर में शांत हो जायेंगे।

श्री रिवर्ता रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, सुषमा जी कह रही थीं कि यह ऐतिहासिक क्षण है। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि जरा ये अपने पीछे देख लें। अब इन्हें कोई मतलब नहीं है।

महोदया, आज हम जन लोकपाल बिल पर चर्चा करने के लिए सदन में आये हैं। जन लोकपाल बिल के साथ तीन और बिल भी हैं। मैं चाहूंगा कि सदन में चारों बिलों, जन लोकपाल बिल, श्रीमती अरूणा राय जी का बिल, जय प्रकाश नारायण जी का बिल और सरकारी लोकपाल बिल इन सब पर एक सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने सात घंटे का समय रखा है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सब सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे अहम मसले पर ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाये, चाहे यह डिबेट दो या तीन दिन चले, लेकिन सभी को मौका देना चाहिए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

महोदया, आज यह स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? इस असामान्य परिस्थिति के लिए सरकार का हर निर्णय और उसका लचर रवैया ही जिम्मेदार है। अगर सरकार ने पहले से ही पूरे सदन को विश्वास में लिया होता तो शायद यह नहीं होता। माननीय प्रणव दादा ने विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर सिविल सोसायटी की जगह विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाते और बात कर ली गयी होती तो शायद यह स्थिति पैदा नहीं होती। यह स्थिति पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है।

महोदया, मेरा कहना है कि यह सदन सार्वभौम है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Member, please do not turn your back to me.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): महोदया, संविधान के तहत लोक सभा को जो शक्तियां प्रदत्त हैं, उन शक्तियों को कोई चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वह कोई भी हो। ये शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त की गयी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे देश में आज एक मजाक बन गया है कि सांसद क्या होते हैं? सांसदों को तरह-तरह के अपमानजनक शब्दों से परिभाषित किया जा रहा है। महोदया, यह बहुत ही निन्दनीय कार्य है। मैंने गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन के बारे में पढ़ा है। गांधी जी के किसी भी आन्दोलन में, कहीं पर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। सांसदों के बारे में आज इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे ताज्जुब है कि तमाम सांसद अभी भी लाइन लगाकर यह सुनने के लिए जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सांसदों की एक गरिमा है, इस संसद की एक गरिमा है। यह संसद केवल दीवार और गुम्बद से नहीं बनी है, यह संसद माननीय सदस्यों के द्वारा बनी है। यह संसद है।

(c2/1310/mm/brv)

लेकिन इसको आज हाइजैक करने की कोशिश की जा रही है। सुषमा जी बोल रही थीं, मुझे ताज्जुब हो रहा था कि आप इतने दिनों से लोक सभा और राज्य सभा में हैं, संसद की गरिमा का आपको थोड़ा भी ख्याल नहीं आया। आपने एक बार भी नहीं कहा कि सांसदों के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आज सभी सांसदों को क्या परिभाषित करके कहा जा रहा है, जो-जो शब्द कहे जा रहे हैं, वह मैं इस सदन में कहना नहीं चाहता हूं।...(व्यवधान) कहा गया कि सांसदों का इम्तिहान लीजिए और जब वे 60 प्रतिशत नंबर लाएं, तब उनको इम्तिहान में पास कीजिए और तभी वे सांसद बन सकते हैं। उनको शायद मालूम नहीं है कि 15 जो इस्तिहान के नहीं है। दोनों तरफ के सांसद बैठे हैं, सब इम्तिहान में पास होकर ही आते हैं। इस तरह से मज़ाक करना कहां तक उचित है? जितने सांसद आए हैं, वे देश की इच्छाशक्ति के परिचायक हैं। एक छोटे समुह द्वारा जिस तरह से यह बात कही जा रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, यह शर्मनाक भी है और अपमानजनक भी है।

महोदया, देश की जनता के साथ यह अन्याय न किया जाए। सब की बात सुनकर के, सब पर विचार करके सदन एक निर्णय पर पहुंचे और वह निर्णय सबको मान्य होना चाहिए। यह जो चार बिल आए हैं, आज जन लोकपाल पर चर्चा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जन लोकपाल बिल में भी अच्छी बातें हैं। उसको पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन यदि प्रधानमंत्री जी को, सुषमा जी ने पहले का ज़िक्र किया, लेकिन मुझे याद है कि वर्ष 1968 में लोकपाल बिल पहली बार आया था, इसके बाद वर्ष 1977 में चौधरी चरण सिंह जब गृह मंत्री थे, तब वे लेकर आए। दिनेश गोरवामी न्याय मंत्री थे, वह लेकर आए। उसके बाद के बारे में आपने बताया। लेकिन यह सत्य है कि कभी भी इस सदन ने यह बिल पास नहीं किया। कारण चाहे जो रहे हों, चाहे इनकी सरकार रही हो, चाहे उनकी सरकार रही हो, दोनों तरफ की सरकारे रही हैं...(व्यवधान) हम भी उसमें रहे हैं। आप लोग ज्यादा समय तक रहे हैं, हम लोग बहुत कम समय तक रहे हैं। इसलिए मैंने उसका विवरण नहीं किया।

Comment: Contd. By c2

Comment: Cd Singh

महोदया, यदि आप इतिहास देखें तो भ्रष्टाचार से लड़ने का समाजवादियों का इतिहास रहा है। जितना समाजवादियों का इतिहास रहा है, उतना किसी का नहीं रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि डॉ. लोहिया ने पहली बार चर्चा में कहा था कि एक रुपया विकास के लिए जाता है, लेकिन उसमें से आम आदमी के पास केवल दस पैसे पहुंचते हैं। मुझे याद है कि पंडित जवाहर लाल जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि दस पैसा नहीं चार आना जाता है।...(व्यवधान) डॉ. लोहिया के समय में राजीव गांधी कहां थे?...(व्यवधान) उस समय पूरे देश में यह चर्चा हुई और यह चर्चा गांव तक पहुंची कि विकास के पैसे में...(व्यवधान) वह हिसाब पूछा जाना चाहिए। दस पैसा केवल पहुंचा और बाकी पैसा नहीं पहुंचा, देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया।...(व्यवधान) बेनी प्रसाद जी, पहले आप भी यहीं थे, अब आप गलती करके उधर चले गए हैं।

महोदया, मैं यही बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आंदोलन किसी ने पूरे देश में किया तो वह जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। इतना बड़ा आंदोलन कि एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने का काम किया। इतना बड़ा आंदोलन इस देश में किसी नेता ने करने का काम नहीं किया। वह भी समाजवादी थे

(d2/1315/rv-spr)

में आपको यह बताना चाहूंगा कि समाजवार्दी पार्टी हमेशा ...(<u>व्यवधान</u>) समाजवादियों का अपना एक अलग इतिहास रहा है।

मान्यवर, जो जन लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को लाने की बात है, उसमें मैं चाहूंगा कि कुछ संशोधन होने चाहिए। जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या आंतरिक सुरक्षा, ये ऐसे विषय हैं कि कोई प्रधानमंत्री अगर इस पर निर्णय लेगा और अगर वह जन लोकपाल के दायरे में आएगा तो कोई भी काम वह नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को इन तीन बातों से अलग रखें और तब उसके दायरे में रखा जाए।

1316 बजे (डॉ. एम. तम्बिदुरई पीठासीन हए)

यवर, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि अनुच्छेद 105 में, जो सांसदों को यहां पर इम्युनिटी है, वह बरकरार रखी जाए। कपाल बिल में यह मांग है। उसमें यह रखा गया है कि सांसद जो भी लोकसभा में बोलेंगे, वे सब इसकी परिधि में आएंगे। यह नहीं होना चाहिए। यह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सांसद चाहे जिस पार्टी के हों, वे अलग-अलग अपनी राय यहां रखते हैं। वे बहुत-सी बातें कहते हैं। किसी को भी नागवार गुजर सकता है। यहां पर कोई सांसद निष्पक्ष रूप से कोई बात कहने में सक्षम ही नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि सांसदों को इस परिधि में कतई नहीं रखा जाए। इसी के साथ-साथ मान्यवर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो जन लोकपाल बिल की धारा 4 की उपधारा 17 है,

Comment: Cd by d2

Comment: Sh. Rewati Raman Singh

उसमें निम्न वाक्य जोड़ दिए जाएं। शर्त यह है कि लोकपाल के लिए चयनित किए जाने वाले व्यक्तियों में अल्पसंख्यक, दिलत, और पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनकी आबादी के अनुपात में चयनित किया जाए। यह मेरा मानना है। लोकायुक्त वाले मुद्दे पर हम बाद में आएंगे। मान्यवर, यह मैं चाहूंगा कि उसमें यह बात जरूर जोड़ दी जाए। अन्य नेता बोल रहे थे, उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था। मैं चाहूंगा कि इसको भी संशोधित करके इसे जोड़ना अत्यंत आवश्यक है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): यह तो उस समय संशोधन दीजिएगा।

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): इसी में आएगा। क्या उसमें संशोधन अलग से होगा? ...(व्यवधान) मान्यवर, एक धारा 6 की उपधारा-सी है। इसमें यह है कि डिसमिसल और रिमूवल शब्द को हटा दिया जाए। इस धारा की उपधारा-एक्स को हटा दिया जाए क्योंकि जन प्रतिनिधियों के शपथ पत्र की जांच निर्वाचन आयोग भी करता है, आयकर विभाग भी करता है। जो जन लोकपाल में दिया गया है कि इनको उसके अंतर्गत रखा जाए, उसको हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि जांच तो पहले ही हो जाती है, चाहे निर्वाचन आयोग करता है, चाहे आयकर विभाग करता है।

मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) मान्यवर, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो तीन बातें कही गयी हैं- लोअर ब्यूरोक्रेसी, जिसमें सबसे ज्यादा आम जनता से उन्हीं का ताल्लुक होता है। तमाम जगह तहसील दिवस में तहसीलों में जिलाधिकारी जाते हैं। लेकिन किसी भी गरीब आदमी की वहां सुनवाई नहीं होती। वे प्रार्थना पत्र दे देते हैं। वह रद्दी की टोकरी में चला जाता है। वह आम आदमी के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी हों। जो आदमी एप्लीकेशन देगा, उसका पन्द्रह दिनों के अन्दर निपटारा आवश्यक है। यदि निपटारा नहीं करें तो उनके ऊपर जुर्माना होना भी आवश्यक है।

(e2/1320/sb-ksp)

तभी उनकी समझ में आएगा कि एक आम आदमी शटलकोक की तरह यहां से वहां तक घूमता रहता है, उसकी बात कोई सुनता नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको सशक्त लोकपाल बनाना है तो सशक्त लोकपाल में सभी दवा विक्रेता कम्पनियां, कार्पोरेशन, खाद बनाने वाली कम्पनियां, निजी कम्पनियां, खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वाले सभी व्यापारी, इलैक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया लोकपाल के दायरे में आने चाहिए। इसी के साथ-साथ जितने एनजीओज़ हैं, वे भी इसके अंतर्गत आने चाहिए, क्योंकि अभी तक एनजीओज़ के बारे में किसी ने नहीं कहा, न इधर से किसी ने कहा और न ही उधर से किसी ने कहा कि एनजीओज़ को भी इसके अंतर्गत रखा जाए। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि कोई भी यह कहने को तैयार नहीं है कि एनजीओज़ को भी इसके अंतर्गत रखा जाए।

Comment: Cd. by e2

Comment: Revti raman singhed



सभापित महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है, सदन की यह भावना है कि जितने एनजीओज़ हैं, उन्हें भी इसके अंतर्गत रखा जाए। जितने कार्पोरेट घराने हैं, बड़े औद्योगिक घराने हैं, उन सब को भी इसके अंतर्गत रखना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि जो लोकपाल चुनने की प्रक्रिया है, चयन पारदर्शी होना चाहिए और चयन समिति के अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी होंगे तथा उसके सदस्य लोक सभा एवं राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। प्रधान मंत्री जी जिस सदन के नेता हों, उन्हें छोड़ कर दूसरे सदन का नेता भी, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश, देश के दो बड़े उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसके सदस्य होंगे। अगर इस तरह का आप बनाएं तो उससे उसकी धार भी रहेगी और सार्वभौमिकता भी रहेगी। पूरे देश के चुने हुए ज्यूडिशयरी के लोग भी आएंगे। आप बुद्धिजीवी तो हैं ही, आप वकील हैं, बुद्धिजीवी तो होंगे ही। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): There are many Members who want to speak. So please be brief.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापित महोदय, मैंने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि इसे टाइम लिमिट में न बांधिए। इस पर पूरी चर्चा कराइए और जितने सदस्य बोलना चाहें, उन सब को इस पर बुलवाएं और श्री बेनी वर्मा को तो जरूर बुलवाएं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): We can give opportunity to all Members if they cooperate with the Chair and make brief submissions. Otherwise, it cannot be done.

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): सभापित महोदय, ज्यूडिशयरी को इसके अंतर्गत लाने के लिए मैं चाहता हूं, मुझे याद है कि एक बार सोमनाथ दादा उस आसन पर बैठे थे, उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री जी से एक सवाल पूछा, Can you tell me as to whether anywhere in the world a judge himself appoints another judge? तब कानून मंत्री जी खड़े होकर बोले, This happens nowhere else in the world, Sir, except in India. उसके लिए यह जरूर होना चाहिए। पहले यह अधिकार एग्ज़ीक्यूटिव को था, लेकिन बाद में यह बदल कर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, उसमें हम चाहते हैं। मैं सुषमा जी की बात से सहमत हूं कि ज्यूडिशियल कमीशन बनना चाहिए। ...(व्यवधान) जो ज्यूडिशियल कमीशन है,...(व्यवधान) ज्यूडिशियल कमीशन किसी के अंडर नहीं रहेगा, यह इनडिपेंडेंट बॉडी है। वह जजों के एपाइंटमेंट से लेकर इनके क्रियाकलापों पर पूरी निगरानी रखे। यह एक अच्छा सुझाव है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): धन्यवाद, रेवती रमण सिंह जी।

(f2/1325/mkg/rs)

श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद): मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि जो तीन शर्तें हैं, मैंने तीनों शर्तों पर अपना पक्ष बता दिया है, लेकिन आज सुषमा जी से मैं खास तौर से आग्रह करूंगा कि ये आज जाकर सदन की भावनाओं से अवगत कराकर उस भूख हड़ताल को तुड़वा दें और यह कहें कि सदन आपको इन प्रिंसीपल मान गया है और बाकी निर्णय आते रहेंगे। सदन इन प्रिंसीपल मान गया है, इसलिए आप भूख हड़ताल आज समाप्त कर दीजिए।

तीन बड़े-बड़े लोगों ने, श्री श्री रविशंकर जी ने, स्वामी अग्निवेश जी ने और संतोष हेगड़े, जो कर्नाटक के लोकायुक्त थे, यह मांग की है कि उनको अपना अनशन देशहित में तत्काल तोड़ देना चाहिए। यह समय की मांग भी है और इसे पुरा सदन चाहता भी है।

में इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Hon. Members, before I call the next speaker, I have to make an announcement. Those hon. Members who want to lay their written speeches may do so.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): कोई लिखित में भाषण नहीं देगा, इस पर सब लोग बोलेंगे। हाउस को आप चार दिन चलने दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We are not insisting. We are allowing all the hon. Members. It is for the hon. Members. So, those hon. Members who want to lay their written speeches, they can do so. Those will form part of the proceedings.

1327 बजे

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापित जी, आज सदन के नेता के द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर यह चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होने से पहले ही, मैं समझता हूं कि सदन के लगभग सभी सांसद इस पर चर्चा करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण है। चूंकि जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है, मय सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी, हम संविधान की कसम खाकर यहां आते हैं और आज पूरी संसद में सभी दलों के, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सारे सांसद अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके पीछे भी कारण होंगे। जिस तरीके से जनता के द्वारा चुने गये सांसद देश के संविधान की बुनियाद पर खड़ी इस संसद में अपने क्षेत्र की बेहतरी की, विकास की बात करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनकी ईमानदारी पर ही उंगली उठाई जा रही है। जिस तरीके से बात की जा रही है, जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसी नाते आज इस संसद के सांसद आहत हैं, इसलिए मांग कर रहे हैं कि इसमें कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए और सब को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए।

आज जो नया प्रस्ताव लाया गया, इस पर चर्चा हो रही है, उनके वक्तव्य पर चर्चा हो रही है। आज पूरा देश, मैं समझता हूं, कल से ही देश के लोग व्याकुल थे कि कल पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। वे सुनना भी चाहते थे, लेकिन कल चर्चा न होकर आज शुरू हुई है और आज भी देश के लोग जो देश के संविधान में आस्था और विश्वास रखते हैं, वे लोग आज बड़े ध्यान से इस देश की संसद की कार्यवाही को गम्भीरता से देख रहे होंगे। यहां भ्रष्टाचार को लेकर पता नहीं कितने लोकपाल, जन-लोकपाल बिल किस-किसके द्वारा लाये गये, उनकी नीयत पर हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते।

(g2/1330/cp/rcp)

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि डॉ. भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का दस्तावेज हमें सींपा, जिसकी कसम खाकर हम यहां आते हैं और संसद चलायी जा रही है। आज मैं समझता हूं कि उस पर भी कुछ लोग सवाल खड़ा करना चाहते हैं।

महोदय, जहां तक आर्थिक भ्रष्टाचार का सवाल है, देश का संविधान जिसे बाबा साहब ने बनाया है, मैं समझता हूं कि वह अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें सारे अधिकार निहित हैं। जब संविधान नहीं रहा होगा, उसके पहले चाहे जिस तरीके की संस्थायें काम करती रही होंगी, लेकिन जब से हमें संविधान मिला, तब से हमें संविधान के दायरे में रहकर काम करने का अवसर मिला। मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूं कि कोई ऐतिहासिक नहीं, एक नया इतिहास रचने की कोशिश हो रही है, मैं उसे साजिश चहीं कहूंगा, आर्थिक भ्रष्टाचार को लेकर कोशिश हो रही है। इस देश में केवल आर्थिक भ्रष्टाचार ही नहीं सामाजिक

Comment: cd by g2

Comment: श्री दारा सिंह चौहान जारी

भ्रष्टाचार का भी सवाल खड़ा होगा। आने वाले दिनों में इस देश में आर्थिक-सामाजिक गैर-बराबरी के लिए जो संविधान में व्यवस्था की गयी, आज उस सामाजिक भ्रष्टाचार पर कोई बोलने वाला नहीं है, इसीलिए कि वे बेबस लाचार लोग अपनी बात बड़ी मुश्किल से कह पाते हैं। आज से दस-पन्द्रह साल पहले सिर्फ कुछ लोग जिनके अंदर राजनीतिक जागरूकता पैदा हुयी, उसी के नाते आज उन्हें विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का अवसर मिल रहा है, इसके पहले में समझता हूं कि लोकसभा और विधानसभा में उनके लिए पहुंचने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए आज वह उस पर भी चर्चा चाहते हैं, उस पर भी संसद की कार्यवाही को देखना और सुनना चाहते हैं। इस देश में आजादी के 63 सालों के बाद जो सामाजिक भ्रष्टाचार है, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज जो तमाम लोग आहत हैं, चाहे वह किसी क्षेत्र से आते हों, उनकी एक ही मांग है कि चाहे जो भी चर्चा हो, जो भी बिल आए, चाहे जिसका भी बिल हो, वह संविधान के दायरे में होना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संसद के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए संविधान के दायरे में इसकी सुप्रीमैसी को बरकरार रखते हुए जो भी बिल आएगा, हम उस पर विस्तार से बिंदुवार चर्चा करेंगे।

आज रामलीला मैदान में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि हमारे मीडिया के साथियों ने भी काफी साथ दिया। ऐसा हो सकता है। यह ठीक है कि मीडिया को लाया जा सकता है, अगर संसद चाहेगी ...(व्यवधान) जो भी हो, वह तो बाद में बिंदुवार तय होगा, अभी तो दूसरे विषय पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान) यह हो सकता है। मैं स्पष्ट बात करूंगा। हो सकता है कि हमारी मीडिया के कुछ साथी टीआरपी के चक्कर में गए हों। बहुत लोगों के साथ वहां जाने के बाद भी धोखा हुआ, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज नीयत का सवाल पैदा होता है। बाबा साहब ने संविधान जब इस देश को सौंपा, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर हमारी नीयत में खोट है, तो इस देश की जनता को इंसाफ नहीं मिल सकता है। यही कारण है कि आजादी के 63 सालों में, जो बाबा साहब ने नीति बनायी और नीति को चलाने वाले की अगर मंशा साफ होती, तो इस मुल्क में इस तरीके का व्यवधान पैदा न होता। ..(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं इसलिए इस बात को जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसकी बुनियाद पर है, इसलिए सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है।

(h2/1335/raj/rp)

इसिलए मैं चाहता हूं कि जो भी बने, जिस तरीके का भी बिल आए, लोकपाल जिस तरीके का भी हो, उसमें इस देश मे रहने वाले जो गरीब हैं, इस देश में रहने वाले चाहे दलित समाज के हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों ऐसे सारे समाज के वंचित लोगों का समावेश जब तक नहीं होगा तब तक इस मुल्क में Comment: cont by h2.h

Comment: जारी दारा सिंह





एसे लोकपाल से इंसाफ नहीं मिल सकता है। ...(व्यवधान) सारे वर्गों को मैं कह रहा हूं। जबतक गैरबराबरी सामाप्त नहीं होगी...(व्यवधान) हमारी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन यह सच्चाई है। हम सच्चाई से बहुत दिनों तक इंकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभापित महोदय जी, हम आप के संज्ञान में जरूर लाना चाहेंगे कि चाहे जिस तरीके के तीनों प्वाइंट्स पर राज्यों में लोकपाल को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन यह तो संविधान के मुताबिक यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। उनसे राय ली जानी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं? जिस प्रदेश से मैं आता हूं उस प्रदेश में लोकायुक्त पहले से है। वह वहां काम भी कर रहा है और ईमानदारी से काम भी हो रहा है। सिटीजन चार्टर की चर्चा, छोटे कर्मचारियों को इसके अंदर लाने की हो रही थी । मैं तो बहन मायावती जी को बधाई देना चाहता हूं कि चर्चा से पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश गारंटी अधिनियम ला कर ऐसे तमाम जो छोटे-छोटे अधिकारी जिन पर आशंका की जाती हैं उसमें शामिल करने का काम किया। उनको टाइमबाउंड कर समयबद्ध तरीके से 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन में अगर आपने काम नहीं किया तो दंड दिया जाएगा और उनको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा।

सभापित महोदय, जहां तक प्रधानमंत्री और न्यायपालिका का सवाल है, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि संसद से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जिस संविधान के आधार पर हम संसद को चला रहे हैं अगर संसद एक मत से प्रधानमंत्री और न्यायपालिका को शामिल करना चाहती, तो निश्चित रूप से हम उस पर विचार करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। ...(व्यवधान) अगर संसद लोकपाल लाना चाहती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ...(व्यवधान) लेकिन हम ऐसे बिल का तभी समर्थन करेंगे जब उसमें अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अकलियत के लोग रखे जाएंगे। हम सारे लोगों की भागीदारी की बात करते हैं। इस देश में जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आजादी के 63 सालों में वह भागीदारी, इंसाफ नहीं मिल पाया है। इसलिए ऐसे बिल में वैसे लोगों को शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम उस का समर्थन करेंगे।...(व्यवधान) दिखता तो बहुत कुछ नहीं है।

इसलिए सभापित महोदय, मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए, समय की सीमा में रहते हुए क्योंकि हमारे तमाम सांसद अपनी बात को कहना चाहते हैं, सात घंटा समय आपने दिया है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के दायरे में रह कर संसद की गिरमा बनाए रखने के लिए जो भी बिल आएगा उसमें ऐसे गरीब समाज के सारे वर्गों को शामिल किया जाए। हम ऐसे बिल का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

(इति)

1339 बजे

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सभापति जी आज प्रणब बाबू ने इस चर्चा का शुभारंभ किया। विरोधी दल की नेता बहन सुषमा जी, रेवती रमण जी और संदीप दीक्षित जी ने जो कहा मैं उन सब बातों को नहीं दुहराऊंगा। आज फिर मेरे मन में जो देश में हो रहा है वह अच्छा है उसे हम लोग नमन करते सिर झुकाते

(j2/1340/nsh-lh)

हमने जिंदगीभर आंदोलन किए। इस सदन में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसकी सज़ा हमारे से ज्यादा हो। हम साढ़े चार साल तक जेल में बंद रहे।...(व्यवधान) लेकिन जो हालात हैं, उन्हें भी देखा जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सुषमा जी ने जिन तीन बातों की सहमति दी है, उसे मैं फिर नहीं दोहराना चाहता। सम्पूर्ण कर्मचारी इसके दायरे में आने चाहिए। एक लोकपाल में आए, दो लोकपाल में आए, आप जो तय करेंगे। सिटीजन चार्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी पक्ष और विपक्ष भी। ...(व्यवधान) बिहार में लागू है, बिहार में बाद में आएंगे। इसमें कोई एतराज नहीं है। लोकायुक्त और लोकपाल साथ आएं, यह भी ठीक है। ठीक सहमति हैं। लेकिन जिन्हें दायरे में ला रहे हैं, उन्हें जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि उनक्र्यता और तबाही का दौर शुरू हो जाए। इसमें यह भी देखना है। रिड्रैसल मकैनिज़्म बिल्कुल सख्त, ठीक और दुरुस्त होना चाहिए।

सभापति जी, मैंने आज और कल जो देखा, मैं फिर इस सदन के हक में खड़ा होना अपना फर्ज ही नहीं मानता बल्कि सम्पूर्ण चेतना से इसके हक में खड़ा हूं। इस सदन का श्याम पक्ष भी है, उजला पक्ष भी है, अंधेरा भी है और उजाला भी है। कुछ लोगों ने पैसा ले लिया था, जो जेल में जाने वाले हैं। मैं उनका नाम लेना बेकार मानता हूं। लेकिन उसमें कुछ लोग बेकार ही फंस रहे हैं। उन गरीब लोगों का कोई दोष नहीं है। उन्होंने इस सवाल को यहां बेपर्दा किया। गेहूं के साथ घुन पिसता है, ऐसा हो रहा है। यहां आपकी जगह श्री रिब राय बैठते थे। ज़ीरो आवर उन्होंने ही शुरू किया। जसवंत जी और हम साथ थे, पार्टी टूट गई थी। चंद्रशेखर जी हम लोगों के नेता थे। बंटवारा हो गया था। मंडल लगा था तो उससे पूरे देश में बड़ी तबाही मची थी। लोगों ने यह तय किया कि हम तुम्हारे सिर में बैठेंगे और नहीं बैठने देंगे तो हम आग लगाकर मर जाएंगे। ऐसा हुआ था। पूरे देश में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें हो रही थी। हम जहां जाते थे, वहां लोग घेर लेते थे। लेकिन घेरने वाले लोगों ने हमारे साथ कभी ऐसा नहीं किया कि हमारे सम्मान को ठेस लगे, बदसलूकी नहीं की। अभी इसी सदन में सुषमा जी ने याद कराया लेकिन अधूरी बात याद करवाई।

Comment: जारी जे2

Comment: Sharad Yadav cd

Comment: Cd by k2



(k2/1345/rjs-kkd)

ग्यारह सांसद ...(व्यवधान) बारह नहीं, ग्यारह सांसद थे। ...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): लोक सभा और राज्य सभा, दोनों के 12 सांसद थे। ...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): नहीं, दोनों के मिलाकर ग्यारह सांसद थे। ...(व्यवधान) दुनिया का कोई न्यायालय, दुनिया का कोई सदन, 20, 25 और 30 हजार, जब आडवाणी जी ने कहा कि सदन में क्या हो रहा है, उस समय मैं इस सदन में नहीं था। मैं राज्य सभा, यानी ऊपरी सदन में था। श्री जेठमलानी और अरूण जेटली जी ने उनके हक में बोलना शुरू किया, तो मैंने खड़े होकर घंटे भर उनकी काफी क्लास ली थी। ...(व्यवधान) उस दिन पूरे को तैयार किया कि इससे बड़ा मौका इतिहास में नहीं आयेगा। इसमें पैसा कितना है, चवन्नी है, दुवन्नी है या कौड़ी है, यह ऐसा मौका है जब देश में इस सदन की गरिमा, पुरुषार्थ और सिर को ऊंचा उठाने का सबसे बड़ा मौका है। तेरह दिन में ग्यारह सांसदों को हटा दिया गया। उन्हें हटा नहीं दिया गया, बल्कि मैम्बरिशप ही चली गयी। उन पर केस चले। अभी भी उन पर केस चल रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति जी, आप चुनाव लड़ते हैं, इसलिए जानते हैं कि एक सांसद को कितनी लड़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद ही वह सांसद बनता है। उनकी जिंदगी पूरी तबाह हो गयी जो इस सदन ने की। जब हवाला लगा, अभी सुषमा जी ने उस बारे में बात याद दिलायी। आड़वाणी जी सदन के नेता थे। उस समय श्री वी.पी. सिंह जी हट गये थे। मैं भी सदन का नेता था। इस बारे में जयपाल रेड्डी जी जानते हैं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। चमन भाई के साथ पांच लाख रुपये लेकर कोई आदमी आया था। मुझे क्या मालूम कि वह हवाला वाला है, घोड़े वाला है या ऊंट वाला है। वह बलवा है या बलवा का बाप है, यह मुझे नहीं मालूम। जब मेरे पास पूछने आये, तो जिंदस वर्मा ने यह काम किया कि हवाला में बंद करो। वे जबलपुर के हैं और हम भी वहीं के हैं। वे हमारे चुनाव का साइकिल से काफी प्रचार करते थे। हम उनके घर खाना खाने जाते थे और रात को वहीं सो जाते थे। ...(व्यवधान) जी हां, जिंदस जे.एस. वर्मा। वे बड़े शानदार आदमी थे। वे देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हवाला में हमें, आडवाणी जी आदि सबको बंद किया गया। उनकी बेटी अमेरिका से आयी, तो उसने मुझे घर खाना खिलाने के लिए बुलाया। उस समय उन्होंने कहा कि तुमने क्यों मान लिया? मैंने कहा कि मिला था, तो मान लिया। हमें जो पैसा मिला, उसे हमने दूसरे दिन मध्य प्रदेश को दे दिया। शरद पवार जी जानते हैं कि चुनाव में पैसा इकट्ठा करके हमें बांटना पड़ता है। क्या हमारे यहां कोई कारखाना चल रहा है? क्या हमारे बाप-दादा कौड़ी रखकर गए हैं? हम चंदा लेते हैं। हमने जज से कहा कि आप हवाला कह रहे हैं, हमें आप फांसी पर चढ़ा दो। हम इसी कोर्ट से

Comment: Sh. Sharad Yadav-cd

बाहर निकलेंगे और हमे कोई चंदा देगा, तो फट से ले लेंगे। हमें सब तरह की दिक्कत है। लाठी चलाना है। उत्तर भारत के लोग तो ऐसे ही हैं। जो साउथ के लोग हैं, शरद पवार जी, मुत्तेमवार जी, ...(व्यवधान) मुंडे जी हैं, ये मालदार लोग हैं।...(व्यवधान) ये कारखाना भी चलाते हैं और अपना कोआपरेटिव भी चलाते हैं। यह अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। ...(व्यवधान) श्री विलास राव देशमुख भी हैं। ...(व्यवधान) नहीं, विंध्या के नीचे आप लोग तैयारी करके रखते हैं, प्रॉफिट आदि सब तरह की चीजें बनाते हैं।

(12/1350/rps-mmn)

चीनी मिल चलाते हैं, लेकिन हम लोग जो विंध्य के ऊपर बैठे हैं, हमें रोज सवेरे-शाम कमाना पड़ता है फिर खाना होता है। हम लोग बंदर हैं, हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हम न कारखाना चला सकते हैं, न हम रचनात्मक काम कर सकते हैं। यह हमारा दुर्गृण है। इन लोगों में यह गुण है कि ये चुनाव के साथ-साथ संस्थाओं को खड़ा करते हैं, कोई स्कूल चलाता है, कोई अस्पताल चलाता है, कोई चीनी मिल चलाता है। जब आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके एक घण्टे बाद मैंने जयपाल रेडडी जी से ही पत्र लिखवाया। उस समय आप थे और स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी थे, आप जानते हैं, अब मुझे याद नहीं है कि आपसे लिखवाया था या उनसे <u>लिखवा</u>या था। अंग्रेजी मैं समझ सकता हूं, लिख सकता हूं, लेकिन बोल**∨**नहीं सकता। सीधी बात है कि मैंने 🚾 सभा से इस्तीफा दे दिया। आडवाणी जी ने भी इस्तीफा दिया था, सुषमा जी ने उनका नाम लिया, लेकिन मेरा नाम भुल गयीं। मेरा नाम देश ही भुल गया।...(व्यवधान) 70 आदिमयों का मैं लीडर था, 90 आदिमयों के लीडर आडवाणी जी थे, उनके बारे में पूरा देश जानता है कि आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया। इमरजेंसी लगी, तो जयप्रकाश जी ने मुझे खड़ा किया था, मैंने फिर इस्तीफा दिया और जब वी.पी. सिंह का आंदोलन चला, तो मैंने फिर इस्तीफा दिया। ...(व्यवधान) कुछ लोग बगैर बोले मान नहीं सकते हैं।...(व्यवधान) सीधी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आंदोलन है, अन्ना जी के हक में सबसे बड़ा ट्रिब्यूट देने का काम किसने किया, मनमोहन सिंह जी ने आज ट्रिब्यूट दिया है, मैंने ही सबसे पहले दिन उनको ट्रिब्यूट दिया था कि वह ईमानदार आदमी है, जितने लोग यहां हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन अकेले ईमानदारी काम नहीं करती। उसके साथ सम्पूर्ण दृष्टि भी काम करती है। उनके बारे में हम सभी लोगों की सहानुभूति जुड़ी है। जिस समय वह पांच अप्रैल को जन्तर-मन्तर पर बैठे थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि पांच मिनट के लिए यहां आना चाहिए, तो मैं वहां गया था और भाषण करके आया। उसके बाद चौटाला जी गए, फिर उमा भारती जी चली गयीं, तो कहा गया भागो, भागो और वहां भागमभाग हो गयी।...(व्यवधान) घेरो, मारो, खदेड़ो, भगाओ। अब वहां कोई नहीं जा रहा है।...(व्यवधान) उसका क्या नतीजा है।...(व्यवधान) क्या यह कोई इतनी बड़ी बात है।...(व्यवधान)

Comment: Cd by 12

Comment: Shri Sharad Yadav cd.

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Please don't disturb him.

Sharad Ji, please address the Chair.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मुझे याद नहीं है और आपको याद है कि वहां कौन गया था। विलासराव देशमुख जी के जमाने में उन्होंने कभी भूख हड़ताल नहीं की। इन्होंने ऐसी उस्तादी की है, तो गए होंगे यह भी।...(व्यवधान) हमारे यहां उस्ताद हैं श्री गोपीनाथ मुंडे जी। यह भी कोई मामूली आदमी नहीं हैं। यह गए होंगे, महाराष्ट्र के हैं, तो गए होंगे। मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी राजनीतिक लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन वहां क्या-क्या हो रहा है। एक आदमी है फिल्म वाला, उसका नाम मुझे याद नहीं है। एक ओम पुरी राज नारायण जी के साथ था, तो मैं समझा कि राजेन्द्र ओम पुरी है। लेकिन यह कोई और ओम पुरी है। वह कह रहा था कि दारू की बोतल लो, नोट ले लो, लेकिन वोट मत दो। कह रहा है कि यदि कोई एमपी है, जाने दीजिए, और पता नहीं क्या-क्या कह रहा है। मुझे किसी ने बताया कि खुद ...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

(m2/1355/jr-vr)

सभापति जी, मैं बता रहा था...(व्यवधान) ये दो बीवियां बता रहे हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN (DR. M. THAMBIDURAI): Sharad Yadavji, please address the Chair. We are discussing the very serious issue.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मेरी बीवी तो एक है और छोटी है,...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाहीवृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) और वह बोल रहा है कि जो लोग यहां बैठे हैं उनकी कोई
जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह एक पुलिस की अधिकारी रह चुकी हैं। मै घर पर बैठा लोगों से मिल रहा था
कि मेरी पत्नी आई और कहा कि देखो क्या हो रहा है। टीवी में दिखाया जा रहा था कि उसने ओढ़नी ओढ़
रखी है और न जाने क्या-क्या कह रही थीं।...(व्यवधान) ये बता रहे हैं कि पहले वह एडवरटाइज़मेंट में आती
थीं। उससे पहले पुलिस में किरा भर तुम पुलिस में रहीं, हम लोग जिंदगी भर सड़क पर रहे। हमें वह
क्या सिखाएंगी राजनीति। तुम तो पुलिस में रहकर रिटायर हुईं, हमने लोक सभा से तीन बार इस्तीफा दिया
है और साढ़े चार साल हमें सजा हो चुकी है। लेकिन यह सब हमने अपने घर के लिए नहीं किया, बल्कि
देश के गरीब, बेबस और लाचार लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए किया था।

Comment: Sh. Sharad yadav cd.

अण्णा हज़ारे जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही पार्लियामेंट है, जहां बैठने वालों में से 27 लोग बंद हुए हैं और इसी पार्लियामेंट ने किए हैं। यही पार्लियामेंट है जिसने सत्यम को जेल में डाला। यही पार्लियामेंट है जिसने मधु कोड़ा को जेल में डाला। यही पार्लियामेंट है जिसने ए. राजा को, चाहे बलवा हो या घोड़े वाला हो या हसन अली हो, उन्हें जेल में बंद कराया है। यह संसद है और यही सदन है, कोई बाहर की बात नहीं है। और ये लोग हमारे बारे में जाने क्या-क्या कह रहे हैं। आंदोलन जय प्रकाश नारायण जी का भी हुआ था। उन्होंने जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन किसी चुनाव लड़ने वाले से कम नहीं थे। सन् 1942 में वह जेल तोड़ कर भागे थे, अपनी जान हथेली पर रखकर भागे थे, तो देश के लिए और उसकी आजादी के लिए उन्होंने यह किया था। मैं और ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, अरुणा आसिफ अली, डॉ. राम मनोहर लोहिया आदि भी उनमें से हैं, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन के जिए इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और आजादी के आंदोलन को अपने हाथ में लिया, क्योंकि कांग्रेस के सब लोग उस समय बंद हो गए थे।

यहां बहुत लोग हैं, जो संघर्ष से यहां आए हैं, कुछ लोग पालने से आए हैं। आजकल उनके बारे में कहा जाता है कि जैनरेशन चेंज हुआ है। वह क्या चेंज हुआ है कि जिनके बाप नेता रहे हैं, उनके बेटे यहां नेता हैं। एक अखबार रोज लिखता है कि जैनरेशन चेंज वालों ने क्या-क्या बोला।

सभापित जी, इसी तरह युवा तुर्क यानि यंग टर्क, जैसे चन्द्रशेखर जी थे। यह अजीब तरह का टर्क है। लेकिन इन समाजवादियों ने बहुत लम्बा संघर्ष किया है। मैं यहां यह बात भी कहना चाहूंगा कि हां, इस पार्लियामेंट ने खराब काम भी किया है, वह यह कि इसी सदन में...(अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) लेकिन यही सदन है, जिसमें हिन्दुस्तान के शानदार लीडर, हमारा बहुत वक्त अटल जी के साथ बीता है। इसी सदन में मात्र एक वोट से प्रधान मंत्री के पद से, अटल जी की सरकार चली गई थी। उनके ईमान को यदि याद नहीं करोगे, ए. राजा को याद करोगे, मैं इस पर एतराज नहीं कर रहा, ए. राजा को भी याद करो, लेकिन लोक सभा एक ऐसी जगह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी जो जिंदगी भर अनवरत इस देश के गांव-गांव, करबे-करबे में घूमा है, वह आदमी एक वोट का इंतजाम नहीं कर सका, सिद्धांत और नीति के चलते। अटल जी ने मुझे बुलाया और कहा कि शरद तुम्हें आज साथ देना चाहिए।

(n2/1400/har/san)

1400 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

Comment: cd.by n2

Comment: Cd by Sharad Yadav



जिंदगी भर हमने तुम्हें मौहब्बत दी है, मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और वोट भी नहीं दिया। मुझे तकलीफ होती है कि सिद्धांतों की मजबूरी के कारण मैंने उन्हें वोट नहीं दिया। इसी सदन में देश का सबसे बड़ा पद जो प्रधानमंत्री का होता है, एक वोट के कारण चला गया।

यहीं माननीय रिवराय जी ने सात एमपीज, जो चंद्रशेखर जी के साथ थे, उनकी मैम्बरी ले ली थी। ...(व्यवधान) हां, यहां झारखंड वाला कांड भी हुआ है, उनको जेल में किसने बंद किया? माननीय प्रधानमंत्री नरिसम्हा राव जी को घेरने का काम किसने किया? इसी सदन ने किया। इतना भला आदमी था लेकिन सरकार बचानी थी तो हो गया उपद्रव। झारखंड वाले बिना पैसे के मानते नहीं थे, क्या करते, हो गया उपद्रव। आप उपाध्यक्ष जी उनको अच्छी तरह जानते हैं। ...(व्यवधान) वहां देश के सब थैलीशाह पहुंचते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग पहुंचते हैं। उसमें भी यही गोलघर है जिसने खेल किया है। इसलिए जो वहां बैठे हैं उनसे मेरी विनती है कि जब हम मर्यादा को मानते हैं तो आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए। आपने नारा दिया और सब एमपीज का घेराव किया, लेकिन हमने कोई गरम बात न करके नरम बात ही की है। माननीय सुषमा जी भी नरम बात कर रही हैं, माननीय रेवती रमण सिंह जी भी नरम बात कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन करने वालों का फर्ज है कि भाषा की गरिमा बनाए रखें।

याद रखना गोली लग जाती है तो आदमी मर जाता है लेकिन बोली जब लगती है तो आदमी को जिंदगी भर याद रहती है। इस देश में गोली का नहीं बोली का राज है, बहस का राज है, इसलिए बोली आप भी ठीक रखेंगे, हम भी ठीक रखेंगे। हम तो आपके लिए दूर से ही चिंतित हैं। हमें आपने अकेले बुलाया था बाकी किसी को नहीं बुलाया था, लेकिन सभी लोग चिंतित हैं। चिंता ऐसी है कि इस पूरे सदन ने आपसे विनती की, सलाम किया कि आप भूख-हड़ताल छोड़िये। हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, वहां के आंदोलन की इज्जत करते हैं, अकेले व्यक्ति अन्ना की इज्जत करते हैं, हम तो इस आंदोलन के पीछे जो लोगों की भावना है उसकी इज्जत करते हैं। हम तो आपका सम्मान और इज्जत करते हैं लेकिन आप इस सदन को घेरते हैं, एमपीज को घेरते हैं। एक एमपी ट्रेन में चढ़ा, उसे धक्के देकर, जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में निकाला गया था, इस सदन का वह सम्मानित सदस्य है, धक्के देकर बाहर निकाला गया। वह ट्रेन चली गयी, वह दूसरी ट्रेन से आया। ...(व्यवधान) आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, लेकिन हमारे सहने की ताकत देखिये कि हम तब भी आपसे मौहब्बत से, प्यार से, इज्जत से सलाम करके चल रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यह सलाम एक-तरफा नहीं चलेगा, वहां जो लोग मीटिंग में बैठे हैं उनका काम है कि हम मर्यादा में हैं तो वे भी मर्यादा में रहें। यह बात माननीय दारासिंह जी ने ठीक कही है कि हम संसद की मर्यादा में हैं तो आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए। घूंघट-दूपट्टा

डालकर हमारा मजाक मत उड़ाइये, हम आपका मजाक उड़ाने खड़े हो गये तो फिर हमारे पास तो ज्यादा जुबान है।

(o2/1405/ind-ak)

हम तो इस काम को करते रहे हैं कि किसकी पगड़ी उछालनी है या किसकी पगड़ी नहीं उछालनी है। हमने तो कई लोगों की पगड़ी उछाली है और कई लोगों की पगड़ी उतारी है। हम तो आदतन पगड़ी उछालने वाले हैं। ट्रेज़री बैंच पर बैठने वालों की जब मन आता है, तब इनकी पगड़ी उछालते हैं। अगर हमारी पगड़ी पर कोई हाथ डालेगा, तो ठीक नहीं है।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अमरीका की नकल करने में आप एकदम समर्पण किए हुए हैं। उनकी सभ<mark>===</mark>बोली, भाषा, पहनावा सभी के सामने आपने समर्पण किया है। उनके रंग रूप के सामने भी आपका समर्पण है। वे गोरे === हम गोरी लड़की छांट रहे हैं। हमारा भगवान काला है, राम और कृष्ण काले हैं, लेकिन हम गोरी लड़की छांट रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग को आज से लगभग 40 साल पहले रंग भेद के कारण गोली मारी गई थी। गोरे लोगों ने राष्ट्रपति भवन का नाम व्हाइट हाउस रखा हुआ है, लेकिन आज उस व्हाइट हाउस में ब्लैक को बिठाया है। उनका दिल बहुत बड़ा है। यहां लोकपाल बिल बन रहा है, सर्च कमेटी बन रही है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में किसी में भी दर्द को सहने की क्षमता नहीं है। मुझे कोई बैकवर्ड न माने, मैं तो न जात मानता हूं, न भगवान मानता हूं और न ही मैं किसी मंदिर या मस्जिद में गया हूं। मैं तो मानता हूं कि जो जिंदा आदमी है और समाज है, उसकी इबादत और पूजा ही मंदिर-मस्जिद जाने के समान है। अन्ना जी तो रामलीला मैदान में 11 या 12 दिन से भुख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन देश का अस्सी फीसदी आदमी हर दिन नागा करता है, कभी सुबह का खाना नहीं खाता, कभी दोपहर का खाना या रात का खाना नहीं खाता। ये सभी जाति के अनुसार नीची जाति के लोग हैं। भारतीय समाज खंड-खंड है। आप लोग याद रखिए कि पानी जब पोखर या तालाब में जमा हो जाता है, तो गंदगी निकलती है, लेकिन जब नदी बहती है, तो पानी निर्जल, निर्मल होता है, इसलिए भारतीय समाज खंड-खंड है। मैं सदन के लोगों से, क्योंकि बाहर के लोग तो मानेंगे नहीं, ऊपर के लोग भी नहीं मानेंगे और ये बेचारे स्वतंत्र भी नहीं हैं। इनके लिए तो वहां कोई बैठा हुआ है कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। चार महीने से डिब्बा बज रहा है। पहले बाइस्कोप रहता था। हम लोग देखते थे कि ताजमहल देखों, कृत्ब मीनार देखो। मैं इसके आगे नहीं कहूंगा, लेकिन चार महीने से जो डिब्बा चल रहा है, एक डिब्बे वाला जो बंगाली मौसा है, वह तो लगता है कि मुहं नोच लेगा। कोई अपनी राय देता है, तो वह अपनी टेढी गर्दन करके देखता है और अपने बाजू में वह एक आदमी को और बैठा लेता है और कहता है कि बताओ और इसका जवाब दो। यह जो पायलट है, इसे कहता है कि उठ, उठ नहीं तो, इसे ह्दियाता है। यह बेचारा बैठा हुआ

Comment: Cd by O2

Comment: sh sharad yadav cd.

है। इसे हुदियाता है कि बोल, इसका जवाब दे। अब यह जवाब कैसे दे? टीवी में कांग्रेस की तरफ से जो जा रहे हैं, इनकी बहुत बुरी हालत है।

(p2/1410/asa/sh)

पता नहीं ये क्यों वहां बंगाली मोशाय के पास चले जाते हैं? ...(व्यवधान) कौन इनको देख रहा है? कौन इनके चलते चल रहा है? ये देश में नेता बनाने का काम कर सकते होते और आदमी कोई बन जाए तो फिर उसको मिटाने का काम नहीं कर सकते। ये बनाने में सहायता कर सकते हैं। लेकिन वहां क्यों इस डिब्बे में माथा मारते हैं? इस डिब्बे में कोई बैठा है, क्या उसे कोई अनुभव है? जो सचिन पायलट को अनुभव है, जो शरद पवार को अनुभव है, जो फारुख अबदुल्ला को अनुभव है और इसी सदन में जयपाल रेड्डी तो गजब की चीज है।...(व्यवधान) सब से सम्पन्न हैं। यहां मधु लिमये को लोग चलती फिरती पार्लियामेंट कहते थे। इ जितेन प्रसाद, वहां गाली खाने क्यों जा रहे हो? मैं दस साल से कहीं नहीं जा रहा हूं। अमरीका में जैसे कहते हैं कि मिस्टर शरद यादव।...(व्यवधान) मिस्टर चंद्रशेखर। अब मिस्टर भी नहीं लगाते। कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में रिवाज है। लेकिन भारतीय धरती का तो यह इतिहास नहीं है। यह संस्कृति नहीं है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उसका भी आचार संहिता बनना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): किस-किस की बनाओगे? ...(व्यवधान) इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंत में आप जो कह रहे हैं कि समय हो गया है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) उनकी मेहरबानी हो जाए तो मैं कुछ समय और बोलता हूं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ये सब लोग आपको भड़का रहे हैं। आप उतना ही बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मैं कहना चाहता हूं कि मैंने मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया था।...(व्यवधान) अमरीका के व्हाइट हाउस का नाम लिया था। ... (व्यवधान) मैं डिब्बे पर यह कहूंगा कि यह डिब्बा और कोई दूसरी खबर ही नहीं दे रहा।... (व्यवधान) रामलीला मैदान में क्या हुआ, फलानी जगह क्या हुआ? कोई यहां घुस आया, वहां क्या हुआ? ... (व्यवधान) चारों तरफ ये ही खबर है। कोई बाबा खड़ा है तो कोई श्री श्री 108 खड़ा है।... (व्यवधान) और ये देश चला रहे हैं। ... (व्यवधान) एक आदमी पता नहीं कहां से आया है, बिल्कुल हीरो लगता है।... (व्यवधान) उनका नाम पता नहीं क्या है?... (व्यवधान) भय्यू जी।... (व्यवधान) हमारे यहां तो भैय्या जी कहते हैं।... (व्यवधान) भैय्यू जी मैंने पहली बार सुना।... (व्यवधान) अब ये करेंगे। अब ये मुल्क में रेल चलाएंगे।... (व्यवधान) अरे कांग्रेस पार्टी के भाइयों और बहनों, आपको क्या हो गया

Comment: cd.

Comment: Ctd by Sharad yadav

है?...(<u>व्यवधान</u>) आप लोग क्या कर रहे हो? ये जो बातचीत का सिलसिला है, इसमें सुषमा जी कहीं नहीं दिख रही है? इसमें ये गोपीनाथ मुंडे जी गये तो वे लोग इनको हूट करते हैं। इनके लिए वहां कहा जा रहा है कि ये आकर चुपचाप यहां बात करते हैं और वहां विरोध करते हैं। ये बेचारे पता नहीं क्यों वहां चले गये?...(<u>व्यवधान</u>) वो तो ये बच गये। नहीं तो वे इनको पकड़ लेते, इनके कपड़े फाड़ देते।...(<u>व्यवधान</u>) हम तो खुद ही डरे हुए हैं। अपने घर में बैठे हुए हैं।...(<u>व्यवधान</u>) हमको भी लगता है कि कहीं आकर घेर न लें।...(<u>व्यवधान</u>) क्योंकि ऐसी सरकार आपने बनाकर रखी है कि दिल्ली में जिसको आना है आए, खाए, पीए, मौज करे। बाइसिकल पर दो चक्के पर ये नहीं चल रहे हैं, एक चक्के पर चल रहे हैं, एक उठाकर चल रहे हैं।...(<u>व्यवधान</u>) और झंडा भी हाथ में लिये हुए हैं। झंडा अकेले दिन में नहीं लिये हैं। मैं तो पहली बार जब मंत्री बना था तो मैंने देखा कि मेरा ड्राईवर चाहे जहां खड़ा हो जाए अगर शाम हो जाए तो मुझे झटका लगता था। अरे भई क्यों? बोला कि साहब, झंडा बंद करना है और यहां झंडा रात भर धुंआ उड़ा रहे हैं।...(<u>व्यवधान</u>) ऐसा मत कहिए। वे कोई आंदोलन वाले लोगों के साथी नहीं होंगे। दुनिया में, समाज में अपने यहां कई तरह के लोग हैं।

(q2/1415/sk-smn)

बोट क्लब पर चॉकलेट खाते थे, कुत्ता लेकर आते थे, गोलगप्पे खाते थे और अब कहते हैं कि रामलीला मैदान है, वहीं चलते हैं। ...(व्यवधान) लोग वहां पहुंच रहे हैं।...(व्यवधान) मेरे शहर में 20-50 आदमी परमानेंट हैं, जिसका जलूस निकलता वे उसमें शरीक होते हैं यानी कि वे परमानेंट रिवाल्यूशनरी हैं। जो महफिल लगा दे, उसमें हो जाते हैं।

में प्रणब जी और सुषमा जी की बात से सहमत हूं कि तीन बातें वाजिब है, मेरा कहना है आप इसे मान जाइए क्योंकि यह डिब्बा सोने नहीं दे रहा है। इस डिब्बे को तो बंद कराओ। न देश की बात है, न आदिवासी की बात है, देश में कहां बाढ़ आई है, कहां तबाही मची है, कोई बात नहीं है। गंगा और कोसी नदी में बाढ़ है, पानी-पानी है, कि तीन सुझाव दे दिए, आप इसे अभी मान लो। कहां झंझट करते हो? नारायणसामी जी, अभी तैयार हो जाओ। हम भी तैयार हैं और डिब्बे से कहते हैं कि ये तू ले ले।...(व्यवधान) तू रख ले और हमारी जान छोड़। ...(व्यवधान) बंगाली मोशाए को लाकर गारलैंड कर देंगे। ...(व्यवधान) बंद हो जा। तूने पूरे भारत को ज्ञान बांट दिया, तेरा ज्ञान हमें सोने नहीं दे रहा है। तू 12 बजे भी चिल्ला रहा है, तू एक बजे भी बोल रहा है।...(व्यवधान) कोई बोल नहीं रहा है, जो रामलीला मैदान के खिलाफ गड़बड़ बोल गया ...(व्यवधान) जरा इनको जवाब दो, यानी मुंहतोड़ जवाब दो, वह कह नहीं रहा लेकिन मुंह तोड़

Comment: Ctd by q2

Comment: Sharad Yadav cd

जवाब दिलवा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? ये जो चर्चा करवा रहे हो, क्या आपकी चर्चा से देश चल रहा है? इस सदन से देश चल रहा है, जो लोग जानते हैं कि गांव, खेत और खिलहान क्या है, दर्द, तकलीफ, लाचारी, बेबसी और गुरबत क्या है। तुम तो बंगलों में बैठे हो, एसी में बैठो हो और बैठकर सबक दे रहे हैं कि देश को क्या करना चाहिए। कभी कहते हैं कि ये कुछ चीज ही नहीं है, ये सब बेकार है, इनकी परीक्षा कराओ, एग्जाम लो।

महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी के जमाने में राजगोपालाचारी जी ने बहस चलाई कि पढ़े लिखे लोग और जिनके पास जमीन है, उन्हें वोट मिलना चाहिए। महात्मा जी, बुड्ढे ने जो कलम उठाई और इनके धुरें उड़ा दिए, उन्होंने कहा कि देश का जो आदमी पढ़ने नहीं गया, वही अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि विद्या बुद्धि की बेटी है, किसान पढ़ालिखा नहीं है लेकिन उसके अनुभव को कैसे एजुकेशन नहीं मानते? महात्मा जी ने कहा कि वह अपने पैर के अंगूठे से बता देता है कि कब अनाज बोना है। क्या कोई एमए, पीएचडी और इंजीनियर पढ़ा हुआ आदमी यह बता सकता है? गांधी जी ने सबको वोट दिलाया और इसलिए सबको वोट मिला। मैं सोचता हूं कि उनकी सोच बड़ी थी कि इस देश में गरीब आदमी जो कालेज और स्कूल नहीं गया, उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। इंसानियत से बड़ा कोई है तो वही इंसान है। हम तो कई तरह के लालच में फंसे हुए हैं, वह दिन भर मेहनत करता है, सेवा करता है। लेकिन मानवता और इंसानियत का कोई भी काम आता है तो वही फंसता है, वही सटता है।

(r2/1420/bks-sr)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अण्णा जी तो 11-12 दिन से भूखे अनशन पर बैठे हैं। श्री अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा है कि इस देश के 80 फीसदी आदमी 20 रुपये रोजाना पर जी रहे हैं। कभी न कभी उनके खाने की भी नागा होती है, कभी न कभी उनकी शाम या सुबह भूखे कटती है और वही छोटी जाति हैं, वही शूद्र हैं, वही अति शूद्र हैं, वही गरीब हैं, वही पिछड़े हैं, वही किसान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो लोकपाल बिल बनेगा, जो सर्च कमेटी बनेगी, क्या उसमें उनके लिए कोई जगह होगी या नहीं होगी? सरकार और सदन क्या मेरे इस दर्द और पीड़ा को समझेंगे? आप यह जान लीजिए कि मैं कोई पिछड़ी जाति का आदमी नहीं हूं, मेरे बाप-दादा कभी पिछड़े नहीं रहे और न कभी मेरा एडिमशन किसी डोनेशन से हुआ। मेरे पिता जी और जो जेल में थे। मेरे दादा 1857 में झांसी की रानी के समय वहां थे। इसलिए मैं उनके हक में नहीं बोल रहाई जो सबसे छंचे लोग हैं, उनके जैसा मेरा स्वभाव और दिमाग है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, आप उनके बारे में भी सोचिये। यानी 40 साल में मार्टिन लूथर किंग की शहादत रंग

Comment: Cd by r2

Comment: (Sh.Sharad Yadav cd.)

लाती है। लेकिन हजारों वर्ष हो गये, यहां कोई रंग नहीं आता है। जो हमारी वेदना है, उसे आप हमारी संख्या में गिनते हो। जब हमने कहा कि जाति के अनुसार सबकी संख्या गिन लो तो यह सरकार उसे पांच हिस्सों में बांट देती है। कहती है कि इसे स्टेट्स करेंगे, रूरल डैवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट करेगा, अर्बन डैवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट करेगा, यह करेगा। यानी हम लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन में कहना चाहता हूं कि यदि इन्हें साथ में लेकर आपने देश को बदला तो पूरी दुनिया में इस धरती पर इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, सही सदी तब शुरू होगी।

इसलिए अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यह जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जितनी जगह भी चाहे सुषमा जी हों, चाहे हम हों और चाहे बसुदेव आचार्य जी हों, शरीक रहते हैं। हमे लड़ाई ऐसी लगती है कि जैसे गंगा स्नान हो। उस लड़ाई का हम अभिवादन करते हैं। बहुत से नौजवानों को इन्होंने बाहर निकाला है, हम उनका अभिवादन करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी सामाजिक विषमता के सवाल को वहां नहीं उठाया। श्री अण्णा हजारे के गांव से पृणे कितनी दूर है?

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): सवा सौ किलोमीटर दूर है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): सवा सौ किलोमीटर में महात्मा फुले, शिवाजी का नाम लिया, मैं खुद शिवाजी का सबसे बड़ा फैन हूं। मेरा बचपन का नाम शिवाजी है।...(व्यवधान) मैं वहीं कह रहा हूं, आप चुप तो रहो। इस देश में जितने राजा हुए, उनमें शिवा जी सबसे ज्यादा स्टेट्समैन थे। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अण्णा जी भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन महात्मा फुले जो बाबासाहब अम्बेडकर के गुरु थे, एक बार भी उनकी याद रामलीला मैदान में नहीं आई। बाबा साहब अम्बेडकर की याद एक बार भी नहीं आई। महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन महात्मा जी ने इन लोगों के लिए जिंदगी लगा दी। वह खुद सफाई मजदूर बन गये। उन्होंने झाड़ू लगाई...(व्यवधान) अण्णा साहब तो जानते हैं। वह गांव के आदमी है, अच्छे आदमी हैं, सच्चे आदमी हैं, आंदोलन के आदमी हैं। लेकिन अण्णा साहब यह तो जानते हैं कि महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर, साहूजी महाराज और महात्मा फुले की धरती है। यदि वहां तिलक और शिवाजी हुए हैं तो ये लोग भी हुए हैं, जिन्होंने देश भर में बेजुबान लोगों के हक में खड़ा होने का काम किया है। लेकिन उन बेजुबान लोगों की इस लोकपाल बिल में कहीं जगह होगी या नहीं होगी? हम आपकी सब बातें मान गये। लेकिन इन वीकर सैक्शन के लोग, कमजोर तबके के लोगों के बारे में आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? यदि पूरा सदन सोचे तो अच्छा रहेगा। आप हजारों वर्ष से जो कहते हो, हम वह मानते आये हैं।

Comment: (cd. by s2)

(s2/1425/kmr/gg)



Comment: Ctd. By sharad yadav

लिकिन कभी-कभी हमारे दर्द, तकलीफ और वेदना को भी सुन लिया करो। इन्ही बातों के साथ मैं सुषमा जी के तीन प्रस्ताव जिनका उन्होंने समर्थन किया है, का समर्थन करता हूँ। इस आंदोलन में बहुत नौजवान लगे हुए हैं। आज अण्णा जी के अनशन को 12 दिन हो गए हैं, उनका स्वास्थ्य नाजुक दौर में है। हम लोगों को इसकी चिंता है। इसलिए हम पूरी तरह से तीनों सवालों का समर्थन करते हैं। जल्दी से जल्दी इस मामले का समापन और समाधान किया जाए। अण्णा साहब से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यह जो डिब्बा है, इससे देश भर को दिक्कत हो गई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हाँ। धन्यवाद।





*श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मैं परम श्रद्धेय अन्ना जी के अनशन और उनके द्वारा जो देशभर में आंदोलन शुरू हुआ है । उसके चलते देश भर में जो क्रांति का ज्वाला जली है उसे नमन करता हूँ ।

मेरी परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष माननीय सुषमा जी ने वक्तव्य के साथ में अपना सूर मिलाता हूँ। श्रीमान् मैंने गांधी जी को नहीं देखा मगर आज श्रद्धेय अन्ना जी को देखकर मुझे आनंद होता है कि गांधी जी कैसे होंगे । मैं अन्ना जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। जो तीन मुद्दों पर आज संसद एकमत होने जा रही है और मेरी पार्टी के आरणीय नेता श्रीमती सुषमा जी ने उन तीनों मुद्दों को जोरदार समर्थन दिया है उसे मैं भी समर्थन देता हूँ ।

मैं मानता हूँ कि यह तीन मुद्दें (1) राज्यों में लोकायुक्तों का गठन हो । (2) सीटीजन चार्टर का गठन हो । (3) सभी वर्ग के कर्मचारी को लोकपाल या लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए, इन तीनों मुद्दों का मैं समर्थन करता हूँ और संसद से आग्रह करता हूँ कि संसद श्रद्धेय अन्ना जी के अनशन को समाप्त करने के लिये सर्व सम्मति से उपरोक्त तीन मुद्दों को समर्पन करें और श्रद्धेय श्री अन्नाजी से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपना अनशन तुरंत समाप्त करें । राष्ट्र को आपकी बहुत जरूरत है ।

में एक और बात रखना चाहता हूँ कि अब यह प्रस्ताव सर्वसम्मित से पारित कर श्रद्धेय अन्ना जी को भेजा जाए और सरकारी लोकपाल बिल वापस लेकर जन लोकपाल तुरंत संसद में सरकार पेश करें और उसे स्टैंडिंग कमिटी को न भेजते हुए आज तक सरकार जन लोकपाल बिल पर चर्चा शुरू कराये और उस पर चर्चा कर संसद पारित करे ।

धन्यवाद ।

(इति)

^{*} Laid on the Table

1426 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I stand here to announce the stand which will be taken by my party Trinamool Congress on this issue. You are well aware that our party is the second largest party in the UPA Government. So, we have observed with care the situation prevailing in the country.

I would like to begin with the statement made by Hon. Shri Pranab Mukherjee, the Leader of the House who very categorically at the last part of his speech narrated in what terms this debate will continue and will give its opinion. The three issues are mainly: (1) whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all employees of the Central Government, (2) whether it will be applicable to the institution of Lok Ayuktas in all the States; and (3) whether the Lokpal should have the power to punish all those who violated the laws, and redressal mechanism to be put in place.

The spirit of the House today when Sushma Swaraji and Sandip Dixitji spoke was that the House is of the opinion that the fasting of Anna Hazare be withdrawn without further delay. If we linger on with our debates and discussions for many days or even for many hours, it may cause some damage to Anna Hazareji's health condition and we should certainly debate along this.

The political party which I represent, the Trinamool Congress, has from the very beginning fought against corruption. It has it in its motto also. We have no hesitation to say that hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh is an extremely honest Prime Minister of the Country. With his transparency, he can rise to the occasion whenever necessary. Dr. Manmohan Singh in his speech on the floor of the House did not hesitate to describe Anna Hazare's fasting by saying that, "I applaud him. I salute him".

Comment: Cd by t2



(t2/1430/vp/cs)

Comment: Sudeep cd.

These are the comments that were made by the hon. Prime Minister, which according to us, are really very acceptable and praiseworthy. The Resolution adopted in the all party meeting is a direction, that some steps are to be taken immediately, by which Shri Anna Hazare withdraws his fast.

Sir, I was shocked to hear that a leader like Shrimati Sushma Swaraj was criticising Shri Rahul Gandhi for the statement which he made yesterday. What was the harm in it, i hon. Speaker calls a Member of the House to raise a 'Zero Hour' matter, and if he makes any comment or gives any direction? It may be accepted or may not be accepted by others. But I must say that what Shri Rahul Gandhi delivered yesterday during 'Zero Hour', was certainly a new idea; the Government of India should look into this thought-provoking idea and try to implement it in reality. What he said? He said that the Lokpal should be made a Constitutional body, accountable to Parliament, like the Election Commission. It is a very positive idea; it has emerged from a young leader of the country; we should certainly try to see that the Government takes this decision, giving priority.

I should repeat that this is for the ninth time that this Bill is coming up for discussion. For eight times, it has been discussed. They were tabled, but not finally passed. I hope that this Bill, after getting the opinion from all the sides, will go to the Standing Committee. The Standing Committee will get all the details as to what we observed here or expressed our opinion here; they will be placed before the Standing Committee. But there should be a time-limit. We should see that it does not lapse again, as had happened during the last eight times. The Standing Committee should come back to the House, within 90 days from today; after which we can take a positive decision on the Lokpal Bill, along with all the other four Bills which are there – one is Government's Lokpal Bill, second is Jan Lokpal Bill, third is Ms. Aruna Roy's NCPRI mechanism and the fourth is J.P. Narayan's Bill. All are to be taken together by the Standing Committee. Every

political party must give its opinion before the Standing Committee and they have to be discussed there.

About the policies, there are three major points which has still kept Shri Anna Hazare on fasting. We very categorically want to express our opinion. The first is, whether the jurisdiction of the Lokpal Bill should cover all the employees of the Central Government. We have no objection to that. This can be incorporated into the proposed Bill and can be sent to the Standing Committee for consideration. The second is, whether it will be applicable to the institution of Lokayukta in all the States. We are in favour of Lokayukta. But let the State Governments have their own discretion to set up their own Lokayuktas. On principle, Lokayukta is a positive proposal, which we do not decline to accept. (u2/1435/rk-mm)

We have no hesitation to a Lokpal having the power to punish all those who violate the law and also putting in place a grievance redressal mechanism. It can also be adopted with some amendments. We believe that the Government's response to three major issues, which Anna Hazare and his team had placed before the Government and wanted a positive reply, is given today itself so that we see Anna Hazare ending his fast.

Besides this Lokpal Bill, which had come up before this House eight times earlier, there are other important issues. I hope that one more Anara lazare has to come up to tackle othe important issues like Price Rise and Unemployment and we are waiting for that day. There is no denying that we Parliamentarians have enough power and our supremacy should be given all priority but the problem is we discuss a number of issues inside the Parliament which actually do not produce any result. People have started becoming frustrated over the functioning of the Parliamentarians. That is the other part of the story.

As Sharad Yadav Ji has said, the Parliament is supreme. Today, when the Debate was to start the House was packed and all the Members wanted to speak and now only one-tenth of the total strength is present in the House. So, we need Comment: Cd u2

Comment: Sudhip bandyopadhyaya cd

not worry that the debate may continue for eight hours. It will certainly end within its allotted time of seven hours. We certainly want, at least when a sentimental or a catchy issue which involves each and every person is taken up in the House, mass involvement of the House. In a debate like this, we can call it as the cancer of corruption, mass involvement of the House is a must.

The way people are *gheraoing* the MPs or abusing the MPs in different manners, like throwing them out of the train, are not the proper ways to tackle any issue. People should restrain themselves, in fact, restrain from both the sides is necessary. I think the Government is very cautiously tackling this issue. The way the Prime Minister is making Statement, calling all-Party meetings and adopting the Resolution, it is all in the right direction. All is well that ends well. We can interact among ourselves, discuss and reach the target. Anna Hazare's weight has been reduced by 7 kgs. and doctors say that he needs more protein as he is taking only drinking water.

Certainly we are in the Government and also not less than the second largest Party in the UPA Government. We fully believe that the Government of India should not hesitate any further and see that this problem is sorted out. We have full faith, full confidence, in our Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. People are not in a mood to accept any direct or indirect criticism against Dr. Manmohan Singh. People believe that his honesty, his transparency is beyond question. He has certainly tried his best to discharge his responsibilities with commitment and sincerity.

We want to see the end of Anna Hazare's fast and the Lokpal Bill to be brought before the House after being routed through the Select Committee and is finally accepted within 90 days from today. That should be the time limit. Thank you, Sir.

(ends) Comment: Fd. By 'w2'

(w2/1440/nrj-rv)

1440 hours

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir, for having given me the opportunity to speak on this subject.

At the outset, on behalf of the DMK Party, my first request to Shri Anna Hazare is to stop his fast. He should protect himself with good health so that there may be issues in the future where he has to involve himself and fight for the downtrodden people who need somebody to lead them. So, my first request to Anna Hazare Ji is to end his fast.

Time and again, there were agitations in various parts of the country to which the Government had responded. I can quote one agitation, which was held in Tamil Nadu and led by Shri Thanthai Periyar, Shri Arignar Anna and the late leader Shri K. Kamaraj. They had fought for the inclusion of reservation provisions in the Constitution of India for the sake of the downtrodden people. It was well received by the Government of India and the first amendment to the Constitution of India was made in the same House. I can even quote another incident where only two Members of the DMK Party were elected to this House in the year 1957. The DMK wanted that Hindi should not be imposed on the non-Hindi-speaking States. Here, late Shri Pandit Jawaharlal Nehru gave an assurance that Hindi will not be imposed on non-Hindi-speaking States until they wish to have Hindi as their official language. So, even small requests, if reasonable, had been accepted by the Government.

Now, Shri Anna Hazare's demand was accepted by this Government. When Shri Anna Hazare was on fast, in the month of April, 2011, the Government readily met him, spoke to him, sat with him and prepared a Lokpal Bill, which had been introduced in this House and was sent to the Standing Committee. Now, the question is that there are three more issues which the Civil Society is raising.

Our hon. colleague Shri Sharad Yadav was speaking about the media. Earlier this issue was shown as a fight against corruption. Then, the media turned it as a fight against the Ruling Party. Thirdly, the media converted it as a fight against the Parliament. Now, it has become a fight against the Constitution of India. It is the work of the media.

The Parliament has certain powers. It has its own supremacy and it has its own inherent powers. We are here to enact laws in this country. There may be demands but it is for the Parliament to decide whether these demands are right or otherwise. It is because after two and a half years from now on, the Members of this House have to go to the people to seek their votes; tell them what we have done; tell them how we have acted; and tell them what steps we have taken against corruption. We have to go to the people. It is the responsibility of not only the Ruling Party but also of the opposition parties. The people will judge us.

Then, it is left to the Civil Society to go to the people and say that this Government has not acted against corruption. So, you need not to vote for them. That is democracy. In a democracy, the people are the judges and not the media. So, it should be like that. This Government is willing to legislate the Lokpal Bill. There are certain differences.

(0/1445/ / 15

(x2/1445/rc/sb)

There are a few differences. I can say that there are three substantive issues which the hon. Leader of the House has pointed out. They are public grievances and citizens' charter, Lokayukta and lower bureaucracy.

Firstly, I will deal with Lokayukta. I, from the DMK Party, am fighting for the State autonomy. So I do not want this House to do anything against the autonomy of the States. We should not force anything on the States. The RTI Act is different. That is the constitutional right. But this is not a constitutional right. This is for the States to decide whether to have Lokayukta or not. It is because there are many laws and many institutions to punish people for corruption and punish people for any minal activity. Shri Sharad Yadavji was telling how this same House had acted against corruption and how people were arrested and put in jail. So Lokayukta has to be left to the States to decide.

Comment: Cd by x2

Comment: Shri Elangovan cd

As regards lower bureaucracy, there is a system and it has stages. There are Section Officers, there are Joint Secretaries and there are Secretaries. So, these people should be made to act against any wrong doings. If this power is taken by Lokpal, with lakhs and lakhs of Government employees in this country, it will become another adjudicator where cases are piling, a lot of cases are pending before them without being disposed of and people are suffering for want of justice. So, we should not burden the Lokpal by including the lower bureaucracy in it. But the Lokpal could have the powers to instruct the officers and instruct the higher bureaucrats and look into the issues. It can give directions and see that criminals and corrupt people are punished.

Coming to public grievances and citizens' charter, the hon. Leader of the House has asked the question whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the grievance redressal mechanism to be put in place. The Lokpal should have the power to punish but before that they should investigate into the issue and see as to what is the reason for not doing it and why the public redressal system has failed. Why has it been violated? So, before punishing the officer proper inquiry should be made into that issue.

Fourthly, a letter has been written by Mr. Kejriwal which says:

"If the Government can agree to introduce Jan Lokpal Bill after removing those items on which we have differences, after clearing by the Ministry of Law within four days and also provide a commitment that the Bill will not be referred to the Standing Committee..."

I do not understand the meaning of this. The Civil Society members cannot come to this House and speak on the subject, whereas they can go before the Standing Committee and present their views. General public can go before the Standing Committee and present their views... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (CHENNAI NORTH): This is a very good opportunity for the Civil Society, for all other interested parties like Ms. Aruna Roy and everybody as they can go before the Standing Committee and explain their position. The Standing Committee also can amend as many provisions as possible. So, this is wrong. This is not a proper stand. Maybe, Mr. Anna Hazare is not properly advised in this matter.

[y2/1450/snb-mkg]

Sir, the sending the Bill to the Standing Committee will definitely do good to the Bill. We are against demeaning the powers of Parliament in any way. This is a higher institution. Today this party is here, tomorrow the other party would come to power. But this institution should not be belittled. The DMK will not allow this. The DMK has already raised this issue that the office of the Prime Minister should also be included within the purview of the Lokpal. We are for including all political offices, whatever it may be, within the priview of the Lokpal Bill.

Sir, with these words, I thank you for this opportunity.

(ends)

Comment: cd. by y2

1451 hours

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, this is a rare and a historic occasion because for the first time during the last 42 years since the time when the first Lokpal Bill was introduced in this House in the year 1966, this House is getting an opportunity to discuss about the setting up of a Lokpal.

Sir, today we are discussing this subject as the entire country is agitating. Whatever is happening outside the House is a reflection of the anger of the people. Corruption in India has grown to alarming proportions because of the policies that have been formulated and pursued by successive Governments have only given enormous incentives for the proliferation of corruption and it is also because there is lack of an institutional mechanism or an institution to investigate and prosecute.

Sir, what has been happening during this period after the Government of India adopted the policy of liberalization and privatization? Thousands and thousands of acres of land, mineral rich lands, have been leased out to the corporate houses, both Indian and foreign. Our natural resources are being allowed to be looted by these people. Even forest land, tribal land has been leased out. Tribal people have been evicted out, displaced, dispossessed and it was because of the policy being pursued by the Government of India for two decades. We also see the proliferation of corruption. The corporate houses are grabbing land and their profit is to the extent of 90 per cent. We have seen the report of the former Lokayukta of Karnataka, Shri Santosh Hegde who said in his report that the profit from mining is to the extent of 90 per cent, whereas the State Government is getting only one per cent. The demand here is for an effective, strong and a credible Lokpal.

(z2/1455/ru-cp)

There was an agitation when Shri Anna Hazare was on fast on 5th April, 2011. Then, as stated by the Leader of the House in his statement, after five days, the

Comment: Contd. By z2

Comment: acharia cd.





Government agreed to form a Joint Drafting Committee with five representatives from the Team Anna and five representatives from the Government and they started discussing about the drafting of the Bill. They had the Jan Lokpal Bill; five Ministers also prepared the draft and the meeting continued. There have been eight sittings of the meeting and afterwards, when there was no agreement, a meeting of all the political parties was called. We all attended it on 3rd July, 2011. We made various suggestions in it. When the Bill was introduced, we found that none of the suggestions made in the meeting of the leaders of political parties held on 3rd July was incorporated in the Bill. All we wanted was an effective, strong and credible Lokpal. And for that, an effective and strong Lokpal Bill is required.

The Bill that has been introduced by the Government is useless. It will not be an independent institution. This will be like any other investigating agency. If the selection procedure which is there will not be a broad-based one, then it will not have any independent role.

Today, what is required? Today, multi-pronged measures are required to be taken to curb corruption. And it is most important to have a credible, strong, functional and independent Lokpal.

The second problem that we face today and which is also a source of corruption is the money power which is issued in elections. Sir, in the recent past or in the last ten to twelve years, the expenditure in election has increased enormously. To contest in Assembly elections, if a candidate has to spend Rs. 10 to Rs. 15 crore, then how will the poor, down-trodden and people from the backward sections be able to contest elections? Where from the money comes? We have the experience of the recent Assembly elections in West Bengal.

There is a need for electoral reforms and for that, there is a need for State funding of elections.

Comment: cd. by x2

(a3/1500/rbn/raj)



So, in order to curb corruption, along with Lokpal, there is a need for State funding of elections. Giving donations to the political parties by companies has been legalised. It should be stopped. Donations by the companies to the political parties should be stopped.

Third point is corruption in judiciary. There is a need for a Judicial Commission. The fourth important thing which is required to be done in order to curb corruption is to break the nexus between the corporate houses, corrupt politician and bureaucrats. In the Commonwealth Games we have seen how corruption took place. So, there is a need to break the nexus between the corporate houses, corrupt politicians and bureaucrats.

There is a need to review our tax system. Thousands of crores of rupees are not being realised because of tax evasion. We have seen that both Hasan Ali and Kashinath Tapuriah had evaded taxes to the extent of Rs. 50,000 crore.

In order to unearth the black money, certain measures have to be taken. According to Global Financial Integrity Report, Rs. 16,00,000 crore of black money is lying in the foreign banks, in tax havens. ... (*Interruptions*) So, there is a need for reforms in the tax system. There is a need for multi-pronged measures to curb corruption in our country. It is rather an all-pervasive corruption in our country.

The demand is for an effective, credible and strong Lokpal. There is a saying in Bengali, *parbater musik prasab*. It means mountains delivering mouse. It is exactly the same. Now, the Prime Minister has not been included. The Prime Minister has been kept out of the ambit of the Lokpal. I remember, in 1985 when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister – I was the leader of the Party – he called a meeting to discuss about the Lokpal.

(b3/1505/tkd-nsh)

When we came to know that the Prime Minister was kept out of the ambit of the Lokpal, we, Members belonging to the Opposition Parties, objected to it. That Bill was withdrawn and never introduced. The Prime Minister can be enquired

Comment: Contd. By B3

Comment: Shri Acharia cd.





under the Prevention of Corruption Act. What is the rationale behind keeping Prime Minister out of the purview of the Lokpal?

Then, Sir, the definition of corruption should also be expanded. It should be widened to include giving any undue benefit wilfully to any person or entity or obtaining any undue benefit from any public servant in violation of laws and rules. So, the definition of corruption should also be expanded so that the Lokpal can be more effective. ... (*Interruptions*) Sir, I have spoken for ten minutes. Let me finish. I have not come to three conditions. I will come to them. Please give me some more time. There should not be any time limit. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have spoken for 16 minutes and not 12 minutes. SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Please give me some more time. श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): महोदय, आप पांच मिनट रुकिए, ये एक घंटे में अपनी बात समाप्त करेंगे।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप अभी सुनिए। घंटी मत बजाइए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: हम सून रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Please give me some more time. ... (Interruptions) इतना बड़ा करप्शन हो रहा है और क्या हम बोल नहीं पाएंगे? मुझे अपने सुझाव देने दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आज लोकपाल पर चर्चा हो रही है।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Then, the National Judicial Commission should be constituted. One Bill regarding Judicial Accountability has been introduced. That is not sufficient. It should cover the setting up of the National Judicial Commission to enquire into the allegation of corruption in higher judiciary. That should not be under the Lokpal. I have a suggestion that MPs enjoy immunity inside the Parliament. They have the freedom of speech. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, you are going to conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): No, Sir. I have many more points.

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अभी बहुत से माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं और समय कम है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम जानते हैं। Sir, this is a very important issue. Let me explain my points of view. If Members of Parliament indulge in corrupt practices within their functioning in the House, then they should come within the purview of Lokpal. For this, a suitable amendment can be made in Article 105.

Lokpai. For this, a suitable amendment can be ma

(c3/1510/brv-rjs)

Then, Sir, I will come to one important provision of the Jan Lokpal Bill.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, there is a provision in the Jan Lokpal which is not there in the official Lokpal Bill. I suggest that there should be a provision in the Bill for the Lokpal to take steps against companies and business houses which indulge in corrupt practices with public servants. There is provision in the Jan Logian Bill where if found they are adopting or indulging in corrupt practices, they will be blacklisted and if found they are beneficiary of this, then also, there is a provision to impose fine on such business houses, companies for indulging in corrupt practices. This should be included in the official Bill.

Regarding the Lokayukta, I would like to say that we have a federal structure in our Constitution. This federal structure should not be disturbed. During these periods, we have seen the erosion of subjects in the State List. We have seen how gradually many of the subjects in the State List, which were there at the time of adoption of the Constitution, have been taken away by the Centre. The broad framework can be framed in this legislation. But one legislation for the Lokayukta will disturb the basic structure of the Constitution and the federal structure of the Constitution. We can have a model Act. A model Act, a model legislation can be enacted and that can be adopted by all the States on the same lines. We have seen how effective is the Karnataka Lokayukta.

Comment: cd. by j3

Comment: Acharia cd

Because of their Report, a Chief Minister had to go. When there was a reshuffle, when the Chief Minister formed the Cabinet, many of the Ministers who were indicted by the Lokayukta, were dropped. So, there should be an effective Lokayukta at the Centre. Similarly, on the same lines, an effective Lokayukta should also be there in the States.... (*Interruptions*)

Regarding the lower judiciary and the lower bureaucracy, I will give my suggestion. There is a system now. The vigilance machinery is there. Article 311 is also there in the Constitution. Our suggestion is: let the lower bureaucracy be under the vigilance machinery but the power of supervision should be with the Lokayukta – the Lokayukta at the Centre and the Lokayukta at the States.

In regard to the Citizens' Charter, my suggestion is that there should be a separate law.

(d3/1515/spr-rps)

It should address the grievances of the common citizens. If the entire bureaucracy is brought under the Lokpal, it would be unwieldy. Similarly, thousands of complaints are received every day. It will not be possible if the entire grievances are brought under the Lokpal. So, there should be a separate machinery to deal with the grievances of the citizens and it should not be under the Lokpal. MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Bills have been introduced – Public Interest Disclosur Protection of Information. Same needs to be strengthened and passed expedition What is needed today is multi-pronged measures. Lokpal is very important to deal with corruption in regard to public servants but several measures are required today. The way the country is facing this problem – people are on the streets; people are agitated. I appeal to Shri Anna Hazare. His fast has reached the 12th day. We appeal to Shri Anna Hazare now. He has been fighting because of his sincere efforts; because of his fight, today, thousands and thousands are coming; and because of his efforts, the issue of corruption has found

Comment: Cd by d3

Comment: Sh acharia cd

a place today. The livelihood of the common people, *aam aadmi*, is at stake. So, there is a need to curb corruption; there is a need to have multi-pronged measures to tackle this corruption. There is a need for an effective, credible and strong Lokpal. ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, I am just concluding.

For that, I demand that the Government should withdraw the Bill that have been introduced; revise the Bill incorporating all the important suggestions, and bring a revised Bill in the House. Thank you.

(ends)

*SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM):

^{*} Laid on the Table

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर):

^{*} Laid on the Table

*SHRIMATI POONAM VELJIBHAI JAT (KACHCHH): Respected Sir, today is a historic day that the Parliament is having a discussion on the Lokpal Bill because the Lokpal Bill has shuffled in Parliament and has not been passed in the Parliament for 43 years. It is high time that it should be passed now. But it is surprising that why the Government is against the 3-point put forward by Shri Anna Ji. I believe that by bringing a strong Lokpal, we will not do any harm to the democracy, but will make it more stronger by truly bringing the views of the people in running a Government by the people, of the people, for the people. But, the Bill brought by the Government does not define the exact meaning of corruption. So, I think the definition of corruption should be defined first like in the Jan Lokpal Bill. A person coming to office late by two hours is also corrupt somewhere as he is doing harm to his official work. So, I think it should be defined properly. I believe that the Committee that will nominate Lokpal should also have some representations from the SC and ST communities, because a large number of people in India come from these communities and they should not be left behind. Recently, it has come to my notice that the fund allocated for SC and ST is not used for the welfare of these communities but used in different works. Such instances have come to notice of many States. So, I feel that this is also a type of corruption against SC and ST communities, because after many complaints, the Central Government has not taken any action against even the Delhi Government for using funds meant for SC and ST communities. I even feel the need to bring NGOs and the Media under the Lokpal as many instances of corruption in NGOs and even the Media have been coming in the news now and then. So, I feel the 3-point demand should be accepted and Shri Anna Ji should put an end to his fast. We should work together to bring a strong and good Lokpal Bill for the benefit of people and free the people from the agony of years of

^{*} Laid on the Table

suffering under corruption from influential people. So it is high time the people are heard and a law is brought for the people like Singapore.

Thank you. (ends)

*SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR):

^{*} Laid on the Table

1518 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I stand here today, which is evolving itself as a historic day for this House, to speak on the statement that has been delivered by the Leader of the House and the Finance Minister of this country relating to setting up of Lokpal.

1519 hours (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

At the outset, I am reminded of a news item that was published very recently in "The Economist" and the title says "Graft in India rotten to the core, coping with the aftermath of a massive scam." In the first line, it says, Sonia Gandhi, the head of the ruling Congress Party laments that India's moral universe "is shrinking" as newspapers filled with ever more galling cases of political corruption. The second line mentions - Manmohan Singh, the Prime Minister says, he feels like a school boy facing a series of agonizing tests as scandals break one after another.

(e3/1520/ksp/jr)

I need not read the other sentences that follow in the famous news magazine *The Economist*. But I am reminded here of the history of the Bills that have been moved in this House since 1968. Shrimati Indira Gandhi became Prime Minister a number of times and during her tenure three Lokpal Bills were introduced. The first of such Bills was introduced in 1968 when a Committee went into those aspects and 10 Dissent Notes were also attached to the Report of that Committee. Then, in 1970 another Bill was also moved which lapsed and again in 1971 another Bill was get which also lapsed in 1977. Subsequently, in 1989, about which Shri Bayeb Acharia mentioned, another Bill was moved during Rajiv Gandhi's tenure which was withdrawn in the aftermath of Bofors. So, four Lokpal Bills went dead. Then, one more Lokpal Bill was moved during V.P. Singh's tenure in 1989 which also lapsed. Later in 1996, during the tenure of Shri Devegowda as the Prime Minister, who is an hon. Member of this House, another Bill for the creation of Lokpal was moved which also lapsed. During Atalji's time,

Comment: Cd by e3

Comment: (Shri B. Mahtab - Cd.)

two Lokpal Bills were moved, one in 1998 and another in 2002 and both these Bills also lapsed. I am giving a history of this because this is the reason why subsequently an opinion has spread among the people of this country that, perhaps, the law makers are actually not interested to have a Bill of this nature.

Sir, I am reminded of one instance of Mahabharata. Vidhur says in Mahabharata that in judging a ruler's action, he looks to the results. If it benefits the people, it is an act of *dharma*; if it harms them, then it is *adharma*. Very humbly I would like to ask, how many of us have read those red letters which are above the Chair. It says: धर्मचक्र प्रवर्तनायण. There are other lines as well. We are all here. This is the House of the People and the first line of the Constitution says: 'We, the people of India'. The people are represented in this House. Anybody can create a crowd on the street, but you do not make a law on the street, you make the law here, in this House.

Therefore, I would appeal to Shri Anna Hazare to end his fast. I have respect for him, for the work he has done for the last so many decades for the welfare of the downtrodden, for the rural masses. He has empowered a number of people and he has travelled a lot throughout this country, as far as I know. He comes from a very humble background. But at the same time, I would say that Shri Anna Hazare's crusade against corruption is unique in many aspects. His movement is significant for a number of reasons. Shri Anna Hazare has reestablished the relevance of Gandhiji and his ideals to the present day India. He has also drawn the younger generation into public issues. His life is precious for humanity. By observing his fast, he has already made his point. He has already shaken all of us; all of us not only mean the Members who are sitting in this House, all of us means the citizens of this country and he has shaken them from slumber to fight against corruption.

Comment: (Cd. by f3)



(f3/1525/rs/har)

Enactment of Lokpal Bill is one weapon to fight against corruption, there is a need for many more weapons and Anna can guide the younger generations to achieve that.

We are in favour of a strong and effective Lokpal Institution. Anna Hazare's movement against corruption has brought together those who want to see the system change for better, but disdain for Parliament will have tremendous repercussions.

This country is governed by the Constitution and the rule of law. We are in favour of bringing the Prime Minister in the ambit of Lokpal; excluding the incumbent Prime Minister is a mistake. He is the head of the Cabinet and first amongst equals. He is a Minister who is as liable to scrutiny as his peers. My Party, Biju Janata Dal, therefore, is of the view that the Prime Minister should be under the purview of Lokpal's jurisdiction but there should be some rider or restriction for greater national interest. The Prime Minister should not be investigated at all in any matter relating to national security and public order.

On judiciary, our view is that it should not come under the purview of Lokpal. The Judicial Standards and Accountability Bill should be expedited. Sadly many High Courts are facing charges of corruption. The cases involving Justice Soumitra Sen of Calcutta High Court, Chief Justice P.D. Dinakaran of Sikkim High Court, Justice Nirmal Yadav of Uttrakhand High Court are all at various stages. There is also the Rs.23 crore Ghaziabad Provident Fund Scam in which a Supreme Court judge, since retired, seven Allahabad High Court judges, 12 judges of the Subordinate courts and six retired High Court judges are allegedly involved.

I would, therefore, urge upon the Government to bring the Judicial Accountability Bill at the earliest opportunity. There is a need to drastically overhaul the judiciary which has become imperative in view of the increasing cases of corruption involving High Court judges. However, the independence of

Comment: Mahtab ctd

the judiciary must be respected and Lokpal cannot meddle with the judiciary. In any conflict the courts will be the final arbiter not the Ombudsman.

Including the Members of Parliament in the Lokpal is another issue which needs to be deliberated here, Madam. The exclusion of Members of Parliament from the Lokpal Bill is a necessity keeping the constitutional provisions in view under article 105 of the Constitution which clearly narrates the necessity for having such provisions. Whatever an hon. Member says or votes in Parliament or any Committees thereof shall not be liable nor can be prosecuted in any court of law.

However, his conduct inside the House is the prerogative of the Parliament. Any action outside the House, if criminal in nature, is bound to attract criminal procedure and Lokpal can go into some such matters. But no interference be allowed by the Lokpal relating to the conduct of any hon. Member inside the House or in other respective Committees. The hon. Speaker is armed with enough powers to keep the order.

(g3/1530/rcp/ind)

India's federal structure needs to be protected at any cost. India is a union of States. The States should have separate laws for creating Lokayuktas. Our Party, Biju Janata Dal, would like a strong institution of Lokayukta. We would be prepared to emulate a Central model but the actual Lokayuktas, men or women, should be chosen by the State laws. Lokayukta for a State should not be chosen by the Central Lokpal, and directions should not be given by the Central Lokpal or any Central agency to the State Lokayukta. Both aspects can be looked after by the respective State. No attended to thrust any centralised law on the States. We will resist it to our own capacity.

Madamy the Government should keep in mind that Central Government employees should come under the Central Government Lokpal and State Government employees should be under the purview of the State Lokayuktas. No attempt should be made in any manner to encroach upon the State by the Centre.

Comment: Ctd by g3

Comment: Shri B. Mahtab contd.

The State Assemblies are there to frame their own law. We are for the retention of the federal character of the nation. When experience has shown that by delegating power one imparts better governance and accountability is ensured, why should there be an attempt to create a monolithic structure at the Central level?

The other point relates to the Citizen's Charter. Citizen's Charter is the call of the day. It is a necessity to make the executive Government machinery accountable. Right to Service must be enforced. Every developed society expects it public functionaries to deliver the goods and thereby become accountable for their deeds. We are of the opinion that respective Governments should make their departments' personnel concerned to declare a Citizen's Charter and for each work there should be a specified time limit. This will further the Right to Information provisions also.

Many Members also mentioned about the General Secretary of Congress Party, Mr. Rahul Gandhi's statement which he had made yesterday during the 'Zero Hour'.

MADAM CHAIRMAN (SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN): Please conclude now.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I would like to draw your attention only to two issues. One is that in his four-page statement, he mentioned about Government funding of elections and political parties. I have a difference of opinion. I saw it two-three days back and I also concur to that view. The Election Commissioner has come out with a statement. People are not worried; we are not worried. A person who wants this society to be free from corruption is worried because of lot of money being pumped into during the election. I think that has troubled him and he mentioned that it should be Government funding of elections in a country like ours where we have a multi-party system. Every year, a number of political parties are coming. It is unthinkable and it is unadvisable to have Government funding. Rather we are not concerned how much money is being spent on account; we are more concerned and disturbed of the unaccounted money

that is actually being utilized during the elections. How to tap that? How to control that? A suggestion is there that you allow the corporate sector funding or donations and make it legal. That will help to a great extent to curb this illegal money that is being spent.

(h3/1535/rp-asa)

Comment: Contd. by h3

Comment: Shri Bratuhari Mahtab cd.

I think, perhaps he was misled or he was not aware about it. I will not say that he was not aware of it. It is a mistake which needs a little bit of correction. His friends may tell him that. In his third page he mentions:

"Madam Speaker, why not elevate the debate and fortify the Lokpal by making it a constitutional body accountable to Parliament like the Election Commission of India?"

The Election Commission india is not accountable to Parliament. It is only accountable to the postitution of India. Perhaps, he had in his mind the C&AG. The Election Commission is not accountable to us. It is only accountable to the Constitution of India. We do not need a Lokpal to be accountable to the Constitution of India.

Madam, here I may refer to *The Hindustan Times*, which has very rightly mentioned the comparison of the Office of Ombudsman in some countries. I am not going into those details. I am not mentioning about Sweden which has Ombudsman for the last many years, but I will mention here about the United Kingdom. What power does it has? I quote:

"The Commissioner shall send his investigation report to the Member of the House of Commons and the principal officer of the department under investigation. Also can lay a special report to the House if the Commissioner feels that a person failed to perform his duty and such a failure will not be remedied"

The sum total is this. The report will be placed before the House of Commons... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN (SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN): Please conclude. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I am talking substance.

MADAM CHAIRMAN: Many hon. Members have to speak in the discussion. SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I am talking on specifics. I may be allowed to speak.

I am not talking about Hong Kong or New Zealand or Finland. I am talking about a friendly country like Indonesia, which has recently been converted to a democratic country. Here the powers of the Ombudsman are:

"The Ombudsman may after investigation issue recommendations. It shall be sent to be sent to the complainant, the person against whom complaint was made and this person's superior. The recommendation has to be complied with. If the superior does not comply with the Ombudsman may send report to the House of Representatives and the President"

So ultimately it is the House of Representatives; the House of Commons; the House of People, which will take action.

So these are certain suggestions. Ultimately it is the House which will take action, and I think the Standing Committee will go into those aspects.

Pranab babu has mentioned three points. Madam, I would like to mention here the last point that is, whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the grievance redress mechanism to be put in place. If we say 'yes', as has been said by the Leader of Opposition, as has been supported by Shri Sharad Yadavji, I have my doubt. You are allowing him to investigate. You are allowing him to prosecute. You are allowing him to punish. We had debated these three aspects in the Constituent Assembly. A person who will prosecute should not be the person to punish. I think, this House should deliberate on that. We cannot rush through like this. When a Resolution will be moved, all these aspects should be deliberated.

Do not empower a person or a group of persons to such a level that he can play havoc, if need be. God forbid that does not happen.

In the energy that has been released by Anna Hazare's stir, specially among the youth, there are great signs of hope.

Comment: Cd by j3

(j3/1540/lh-sk)

Comment: Shri Mahtab – cd.

But that energy needs to be channelized watchfully and constructively.

Poet Faiz Ahmed Faiz once sang beautifully on the 'crop of hope' - yeh fasl ummeedon ki humdum - but hinted darkly that it could also wither away as quickly as it grew: 'ghaarat jaayegi' were his words. These were his words which he used.

Madam, before that happens, there is a need to nurture that crop with care and help it turn into a vest of gold.

I conclude with the line of the English thinker, Jeremy Bentham, in the 19th Century, in Utilitarian Slogan had said: "The greatest good of the greatest number".

I would only appeal to the wise men of this House and outside that good politics is about prudence, not morality alone.

With these words, I conclude.

(ends)

*डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):

^{*} Laid on the Table

*SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): Sir, I am first of all bestowing my thanks to the hon. Speaker for giving me an opportunity to express my opinion regarding the Lokpal Bill which is going to be drafted shortly as a strong one.

A powerful Lokpal Bill is expected by all the people in order to put an end to the corruption through all walks of life – all the Government machinery, corporate bodies, NGOs, Judiciary, political representatives and media groups.

The constitutional supremacy, constitutional framework and the vested power should not be damaged and perturbed because of Lokpal Bill now-a-days. Right to Information Act was passed. Even the layman can understand and know the fact of what is going on in any Department of the Government.

My opinion is that the Prime Minister should not come under the purview of Lokpal. The Parliament is represented by the elected Members from various areas of the country. The people give their mandate to represent them. Both the Houses of Parliament are having the power to enact a law. The Head of the institution is the Prime Minister. If the Prime Minister and the Members of Parliament are brought under the purview of Lokpal, how is it possible to control and enact an effective law?

We are enacting a law to control all the machinery of the Government. The Judiciary follows only the Act of Parliament.

The Lokpal can be established to monitor all the sectors of Government machinery and public representatives to do their function properly. The Lokpal can discuss and find out the fault of anybody. If there is any fault, then action can be taken against him. Such power can be provided to the Lokpal.

^{*} Laid on the Table

So, we have to be very cautious enough to bring such a Lokpal which should not in any way damage our democratic set up. Good and necessary provision must be there to eradicate corruption from our society in all walks of life.

Thank you. (ends)

*श्री राम सिंह कस्वां (चुरू):

^{*} Laid on the Table

*डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा):

^{*} Laid on the Table

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMATHITTA):

^{*} Laid on the Table

* SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM):

^{*} Laid on the Table

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह):

^{*} Laid on the Table

1541 बजे

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार हर सीमा को लांघ गया है। समाज का कोई वर्ग भ्रष्टाचार से नहीं बचा है और न कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार से बच पाया है। गरीब से गरीब व्यक्ति जिसे बीपीएल कहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को यदि बीपीएल कार्ड भी बनाना है तो घूस देनी पड़ती है। गरीब से गरीब व्यक्ति के बच्चे को स्कूल या कालेज में एडिमशन चाहिए तो भी घूस देनी पड़ती है। यदि इन पर अत्याचार या अन्याय हो और थाने में शिकायत करने जाते हैं तो भी घूस देनी पड़ती है। इस देश के गरीब और पिछड़े तबके की आज जो स्थिति है वही देश के मध्यम वर्ग की भी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई वर्ग इससे बचा नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक उजागर होने लगे हैं, विशेषकर पिछले दो साल में बड़े मामले उजागर हुए, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला और कॉमन वैल्थ गेम्स घोटाला हुआ।...(व्यवधान) आप मुझे सुन लीजिए, बाद में कमेंट कीजिए।...(व्यवधान) मैं पिछले दो साल की बात कर रहा हूं, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमन वैल्थ गेम्स घोटाला, महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला आदि के बाद इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जाग्रित पैदा हो गई और इसका नेतृत्व अन्ता हजारे जी कर रहे हैं। पिछले 12 दिन से वे अनशन पर हैं। पूरा देश उत्तेजित है। शिव सेना हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ रही। हम अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ रही।

(k3/1545/bks-kkd)

हम कल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और कल भी भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे। इसलिए 23 तारीख को शिवसेना प्रमुख, श्री बाला साहब ठाकरे जी ने अण्णा हजारे जी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने अण्णा हजारे जी की सेहत के प्रति चिंता जताई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की है कि आपकी सेहत का ख्याल करने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है। देश को आपकी जरूरत है और आप इसके आगे अपना अनशन मत बढ़ाइये, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपका आंदोलन है, इस आंदोलन को आप जारी रखिये। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि आपके बाद श्रीमती किरण बेदी, श्री कंजरीवाल या श्री प्रशान्त भूषण को आप अनशन पर बैठाइये। ...(व्यवधान) शिवसेना प्रमुख बाला जिल बाला साहब ठाकरे जी के पोते, श्री उद्धव ठाकरे जी के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली आये थे। वह कल रामलीला मैदान में जाकर श्री अण्णा हजारे से मिले। उन्होंने भी उनकी सेहत के प्रति चिंता जताई और पूछताछ की। वह वहां करीब 20-25 मिनट रहे। उन्होंने सेलफोन पर श्री अण्णा हजारे और बाला साहब ठाकरे जी के बीच 10-12 मिनट बात कराई और

Comment: Cd by k3

Comment: (Sh.Anant Geete cd.)

आदित्य ठाकरे जी ने भी उन्हें यही कहा कि देश को आपकी जरूरत है, इसलिए इस अनशन को तोड़ना उचित होगा, श्री बाला साहब ठाकरे जी ने लिखित रूप में आपको इस प्रकार की रिक्वैस्ट की है। प्रधान मंत्री, डा.मनमोहन सिंह जी ने इस सदन के माध्यम से और स्वयं स्पीकर महोदया ने भी सारे सदन की भावना के साथ श्री अण्णा हजारे जी से अनशन तोड़ने की रिक्वैस्ट की है। आज जब सदन में इस पर चर्चा चल रही है तो जब से श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने इसकी शुरूआत की है, तब से हर वक्ता ने अण्णा हजारे जी से अनशन तोड़ने की प्रार्थना करूंगा कि इस सदन का सम्मान करते हुए आप अनशन तोड़ दीजिए।

महोदया, भ्रष्टाचार आज पूरे देश में फैला हुआ है और हमें इसके खिलाफ लड़ना है। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है और उसके लिए एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। अब जो लोकपाल विधेयक सरकार ने सदन के सामने रखा है, चाहे वह विधेयक हो, श्री अण्णा हजारे का जन लोकपाल विधेयक हो, जो सुझाव जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट ने दिये हैं, वे हों, अरुणा राय ने जो सुझाव दिये हैं, वे हो या इस सदन में चर्चा के माध्यम से माननीय सदस्य जो अलग-अलग सुझाव दे रहे हैं, इन सारे सुझावों पर विचार करके एक सशक्त लोकपाल का गठन होने की आवश्यकता है। आज इस लोकपाल को कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन लोकपाल का गठन करते समय जैसे मेरे पूर्व वक्ता, श्री भर्तृहरि महताब जी ने यहां चिंता जताई है।

(13/1550/gg-vr)

में उनसे सहमत हूँ। कहीं ऐसा न हो कि यह लोकपाल बीमारी से इलाज भारी न हो, इस प्रकार की कोई स्थिति न बने नहीं तो नई बीमारी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम एक सुपर पॉवर सेंटर बनाने जा रहे हैं। जब हम सुपर पॉवर सेंटर बनाने जा रहे हैं तो जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। काफी सोच-विचार कर, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारी जो संसद है, जो राजव्यवस्था हमने स्वीकार की है जो कि लोकतंत्र है, इन सबकी गरिमा को बनाए रखते हुए हमें लोकपाल का गठन करना चाहिए। सख्त कानून की आवश्यकता है। हमारा संविधान, संसद और जिस लोतांत्रिक व्यवस्था को हमने स्वीकार किया है, उस लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के सम्मान को बनाए रखते हुए हमें लोकपाल को बनाना चाहिए।

सभापित मह्म हम एक लोकपाल कानून बनाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को रोकने लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यम्क एक लेक लिए कई कानून आज हमारे देश में हैं। उन कानूनों के तहत हम भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयोस कर रहे हैं। लेकिन आज वे कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शायद कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसलिए मांग उठ रही है कि आज एक सशक्त कानून की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सशक्त कानून की आवश्यकता है। मैं इस बात को इसलिए सदन के सामने रख रहा हूँ कि

Comment: (cd. by 13)

Comment: Ctd. By anant geete

कानून अपराधी को सजा दे सकता है, लेकिन अपराध को रोक नहीं सकता है। लोकपाल बनने के बाद भी जो भ्रष्टाचार होगा, लोकपाल उस भ्रष्टाचारी को सजा दे सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। यदि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें समाज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हमें नीतिमान समाज की रचना करने की आवश्यकता है। हमें यह स्वयं करना है। आज बाहर जो माहौल है, उसकी चिंता हम सदन में कर रहे हैं।

सभापित महोदय, जब अण्णा हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ, तब तक तो सरकार के खिलाफ आंदोलन था, धीरे-धीरे यह लगने लगा कि यह आंदोलन संसद के खिलाफ जा रहा है। आज यह स्थिति बनी है कि शायद हम सभी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। यदि हम सब और इस संसद के ऊपर से विश्वास उठ जाता है तो शायद हमारा लोकतंत्र भी खतरे में आ सकता है। इसलिए हमें गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। केवल आंदोलन को आंदोलन की निगाह से देखने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदया (श्रीमती सुमित्रा महाजन): अब आप समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापित महोदया, अभी तो मैंने शुरूआत की है। ...(व्यवधान) अभी तो मैंने सिर्फ भूमिका ही बताई है। सभापित महोदया, इतनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बहस है। ...(व्यवधान) (m3/1555/cs-vr)

महोदया, मैंने शुरू में ही कहा है कि आज समाज का कोई भी वर्ग भ्रष्टाचार से बचा हुआ नहीं है या कोई भी क्षेत्र भ्रष्टाचार से बचा हुआ नहीं है। यह जो 2जी स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, जो आज न्यायालय में लंबित है, हमारे एक मंत्री जेल के अन्दर हैं, कई अन्य आरोपी उस घोटाले में जेल में हैं।...(व्यवधान) वह एक अलग बात है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वह चल रही है। इस घोटाले में केवल सरकार या सरकार के मंत्री ही नहीं, कितने बड़े उद्योग घराने इस घोटाले में हैं, जिनका नाम आया है। जो देश का नम्बर वन उद्योग घराना है, उसका नाम भी इस घोटाले में आया है।

1557 बजे (श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

महोदय, उनका नाम भी इस घोटाले में आया है और इसीलिए यह अधिक चिंता का विषय बना है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचा कोई भी मुक्त नहीं रहा है। बड़े-बड़े उद्योग घराने भी इसमें लिप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में यदि देश की जनता उत्तेजित हो तो आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। इसमें अचरज मानने की कोई बात नहीं है। जब यह आन्दोलन चला, इस आन्दोलन को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से इस आन्दोलन से जनता उत्तेजित हुई है, हमें इन सारी बातों से कुछ सीख लेने की

Comment: fld. by m3

Comment: Geete contd.



आवश्यकता है। यहां पर मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। शरद यादव जी बोल रहे थे, जब उनका भाषण समाप्त हो गया तो इस सदन के हर सदस्य ने उनका अभिनन्दन किया।

सभापति महोदय (श्री बसुदेव आचार्य): कृपया समाप्त कीजिये।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदय, जब शरद यादव जी यहां बोल रहे थे तो इस देश का जो गरीब आदमी है, जो इस देश में पिछड़ा है, दिलत है, उपेक्षित है, उनके दर्द का दुःख शरद यादव जी के मुख से इस सदन के सामने प्रतीत हुआ। उसी प्रकार इस सदन की जो भावना है, उस भावना को भी उन्होंने अपने मुख के द्वारा इस सदन के सामने रखा। इसीलिए सारे सदस्यों ने यहां पर उनका अभिनन्दन किया।

महोदय, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री... (Not recorded) के ऊपर पेड न्यूज को लेकर एक मुकद्मा चल रहा है। वह मुकद्मा कोर्ट में चल रहा है, मैं उसकी मेरिट पर यहां पर कुछ नहीं बोलूंगा। सभापित महोदय: आप नाम मत लीजिये। आप पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदय, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। महाराष्ट्र के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर पेड न्यूज का एक मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में मामला चल रहा है। यह जो पेड न्यूज है, यह भी एक भ्रष्टाचार ही है।

(n3/1600/mm/kvj)

यह भी भ्रष्टाचार ही है। आज भ्रष्टाचार बहुत नीचे की हद तक पहुंच गया है। हम चुनाव के समय जगह-जगह जाते हैं। गरीब आदमी, मजदूर है, बेरोजगार है, भूखा है, जब हम चुनाव के समय उनके पास जाते हैं, तो यह शिकायतें सामने आती हैं कि नोट के बदले वोट मिलते हैं। कई बार चुनाव आयोग उम्मीदवार के पीछे कैमरा ले कर जा रहा है कई उम्मीदवार पकड़े भी जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, वे वोट के बदले नोट ले रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वे किस पाप के भागीदार बन रहे हैं और न ही वे इस बारे में सोच सकते हैं कि उनकी जरूरत अनाज है। जब सदन के अंदर वह मामला आया और नोट के बदले वोट हो गया, तो आज वह मामला भी न्यायालय में लम्बित है। मैं इन सारी बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं...(व्यवधान) सभापित महोदय (श्री बसुदेव आचार्य): आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अभी 50 माननीय इस पर बोलने बाकी हैं

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): महोदय, आप मुझे पांच मिनट का समय दीजिए। भ्रष्टाचार से कोई क्षेत्र बचा नहीं है। न हमारा कारपोरेट क्षेत्र बचा है, न मीडिया और न ही एनजीओज़ भ्रष्टाचार से बचे हैं। हम जो सुपर पावर बनाने जा रहे हैं, उसे बनाने की आवश्यकता है और हम उसके समर्थक हैं। मैं सुषमा जी से

Comment: Contd. By n3

Comment: Sh Anant Geete cd.

सहमत हूं और जो तीन मांगे अन्ना जी ने की हैं, पब्लिक ग्रीवेंसिज और सिटीजन चार्टर, लोकायुक्त और लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के दायरे में लाने के लिए उन्होंने कहा है। सुषमा जी ने यहां इस बात को स्वीकार किया है। हम एनडीए के घटक दल हैं, हम भी उनसे इस बात में सहमत हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में सुषमा जी ने जो कहा है, उससे मैं और मेरी पार्टी सहमत हैं कि प्रधानमंत्री जी को भी इसके दायरे में कुछ राइडर्स के साथ लाना चाहिए। सांसदों को संविधान की धारा 105 (2) के तहत जो अधिकार मिला है, उस पर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होना चाहिए और उनका यह अधिकार रहना चाहिए।

महोदय, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग सदन के बाहर है और सदन के अंदर भी है। संसद के अंदर इस जंग में सारा सदन एक हो कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। लोकपाल बिल की आवश्यकता है और लोकपाल बिल ले कर आइएगा, लेकिन किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करिएगा। हमारा संविधान हमारी संसद और हमारी लोकतंत्र की गरिमा कायम रखते हुए हम लोकपाल बिल का स्वागत करेंगे।

(इति)

*श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):

^{*} Laid on the Table

* श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):

^{*} Laid on the Table

(o3/1605/kvj-rv)

1605 hours

DR. SANJEEV GANESH NAIK (THANE): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my Party, NCP, and on behalf of my leader, Sharad Pawar-ji, today I rise here to support the need for a strong law to eliminate corruption in the country. I also strongly support the need to have a Citizens Charter so that citizens' requirements are addressed in a time-bound manner by the government machinery.

We need to ensure that the Central and the State Government employees are made accountable to the citizens of the country. In the recent past the Government has taken many initiatives to ensure that public servants are made more and more accountable. The Right to Information Act is one such example. Recently, the Central Government and several State Governments have taken many reforms in the delivery mechanism by tapping the power of information technology to increase transparency and eliminate corruption. It shows that the Government is sincere in its efforts to provide better citizen services and reduce corruption.

While supporting the need for a strong Lokpal at the Centre, we must also ensure an equally strong Lokayukta in the States. In order to facilitate the constitution of Lokayukta in the States, we must take the State Governments on board and prepare a model draft on the lines of the provisions of the Central Act, which can be circulated to State Governments for early enactment. It will be our shortsightedness if we assume that only the government system is corrupt. In fact, a citizen faces the brunt of corruption in various fields of life. We need to take a massive awareness campaign against corruption against bribe-taking as well as bribe-giving.

It is a harsh fact that today the common man is being harassed even to address his day to day needs such as getting a ration card, distribution of foodgrains, land records, driving licence, etc. Many of these issues are to be addressed by the lower bureaucracy. We must ensure a foolproof system to address the issue of corruption at this level.

However, I must emphasize that while today the entire government machinery is being painted with the same brush and is being branded as corrupt, we must not ignore the fact that in the same system there are hundreds and thousands of honest and sincere employees who are working day and night to address the citizens' needs. We must ensure that all our initiatives should have enough safeguards to ensure that honest and sincere officers are able to deliver their best for the country.

One of the most important aspects is the electoral reforms in the country. It is true that the current system of conducting elections in the country is also one of the reasons for corruption. While appreciating the role of the print and the electronic media in public life, I must also express my concern about the system of the paid news and the paid package for support during elections adopted by a section of the media.

Today the entire country is talking about the need for a strong Lokpal. I appreciate and thank Shri Anna Hazare for creating a massive awareness about the issue of corruption in public life and for bringing it to the forefront. The NCP while giving its full support to bring a strong Lokpal through constitutional and parliamentary procedure, we also need to work hard to bring back faith in the parliamentary system.

To conclude, my Party, NCP, and my leader, Sharad Pawar-ji, sincerely request Shri Anna Hazare to withdraw his fast. We will also seek his continued guidance on various issues facing the country, including developmental issues. With these words, I conclude my speech. Thank you.

(ends) Comment: Fld. By p3



***श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** सभापति जी, मैं अपनी बात लिखित रूप से इस सदन के पटल पर रख रहा हूं क्योंकि सभी को बोलने का मौका आज नहीं मिल रहा है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा को जनता तक ले जाने में अन्ना हजारे जी द्वारा संचालित आन्दोलन के द्वारा एक नई दिशा मिली है। अन्ना जी व सिविल सोसाईटी द्वारा जो "जनलोकपाल बिल" पेश किया गया है तथा सरकारी लोकपाल बिल व अन्य लोगों ने इस तरह के विभिन्न लोकपाल बिल आज जनता के पास खुली बहस के लिए दे रखे हैं। मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार को तो समाज व प्रशासन से समाप्त करना ही चाहिए क्योंकि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में कैंसर की तरह फैल चुका है। लोकपाल बनाने पर हम इसे कितना समाप्त कर पायेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परन्तु यदि इसमें लिए गए प्रावधानों को सख्ती से न लागू किया गया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कानून तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आज माकूल है परन्तु क्या उन्हें हम ठीक तरह से लागू कर रहे हैं। कानूनों को सख्ती से लागु न करने के कारण भ्रष्टाचार फैलता है। अन्ना जी द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन के जरिए आज सभी स्थानों पर भ्रष्टाचार को निर्मूल खत्म करने का वातावरण बना है। संसद में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति पर चर्चा चल रही है। लोकपाल में, मैं चाहता हूं कि इसके गठन के समय इस बात का ध्यान तो रखा ही जाए कि वह लोग जो इसमें लिए जाएं उनका चयन सही प्रकार से अच्छा आचरण करने वाले होने चाहिए। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इस लोकपाल में उनको भी शामिल किया जाए जो कि इस देश का बहुजन है यानि दलितों, पिछड़ों व वंचित लोगों में से भी लिया जाए ताकि उनको भी लगे कि इस प्रकार की सर्वोच्च स्थानों पर उनका भी सम्मान है। आज इस समाज में काफी बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो ईमानदार व राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। लोकपाल में भ्रष्टाचार का भी व्यापक स्तर पर डेफनेशन होना चाहिए। आज समाज में दलितों व पिछड़ों के साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है उन्हें मिलने वाली सरकारी सहायता को किस प्रकार से अनुचित तरीके से दुरूपयोग किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस वर्ग के लोगों की पदोन्नति में किस प्रकार के अड़ंगे फंसाए जाते हैं। इन सभी बातों को भी इसमें शामिल करना ठीक रहेगा ताकि इस प्रकार की कोताही करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को गलती करने पर उसकी भूगतान का भी डर रहे और अन्याय न कर सके।

इसलिए मेरा सुझाव है कि एक सशक्त लोकपाल बिल आना चाहिए ताकि हम इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर सकें।

(इति)

^{*} Laid on the Table

(p3/1610/san-sb)

1610 hours

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity to speak on the issue of Lokpal.

Sir, in the morning, our hon. Finance Minister gave a statement for setting up Lokpal. He has also given the whole history. He also mentioned that the Prime Minister had to call two all-party meetings for this purpose. The first all-party meeting was held on 3rd July, 2011 and the second one on 24th August, 2011. In both the meetings, I represented my party, AIADMK. In that, the Finance Minister said that he has received suggestions from various Chief Ministers and also political leaders. My leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalithaa, has also written a letter stating her opinion. She has very clearly stated that she is not against the Lokpal Bill. At the same time, she has also stated that Parliament and democracy are supreme and we have to respect them. We have to see how we are going to bring Lokpal Bill within the system.

Many hon. Members also mentioned about the contents of the Lokpal Bill. They said that Prime Minister must be included, and at the same time, they are also saying that we have to put some riders. They are telling that Prime Minister has to be included, and at the same time, they also want to put riders. That is why, my leader said that do not include Prime Minister. That is our party's stand. Our party's stand is that the Office of the Prime Minister is the highest institution, which is running the Government. After all, there are so many provisions in the Prevention of Corruption Act to deal with the Prime Minister. Afterwards, you can use them and take action. According to the opinion of the leader of my party AIADMK, the Prime Minister must not be included in the Lokpal Bill. That is our stand. All the other political parties, including the NDA, are telling to include Prime Minister, but also want to put some riders. Then, what is the purpose of putting him under the ambit of Lokpal? That is why, we say that this is our stand.

We are having faith in democracy. The present situation is not because of only the UPA Government's handling of this issue. We can go to the genesis of the whole corruption in this country. You can see that corruption is prevailing in all walks of life. If you go for an admission to a school, you have to give money. If you have to purchase a ticket, you have to give money. If you have to get a licence, you have to give money. As many hon. Members said, the corporates are also giving money for election purposes, through scams like 2G, CWG. Therefore, there is corruption in all spheres of life. Hon. Member, who was speaking just now, mentioned that even crores of rupees are being spent in the election campaign. Where does the money come from? Then, you are tempting the voters also to get money. Therefore, corruption starts at the lower level and then spreads to the higher levels. In this issue of corruption, everything is involved like price rise and so many other things. It is because of that when Shri Anna Hazare started his movement, everybody started supporting it because in all walks of life, people are feeling the pinch of corruption That is why, we are seeing that kind of wrath. That is the situation.

The first all-party meeting was called by the Prime Minister. When did he call it? It was called after he had constituted a Drafting Committee comprising of five Cabinet Ministers and five persons from Shri Anna Hazare's team. Before that, they had never consulted other political parties. This is the first blunder that the UPA Government did. They had faith in Shri Anna Hazare and therefore, they did it. Afterwards, when the problem started, they called all of us, asking for the suggestions of other political parties. What is the point in it, after you have done everything? Why did they call another meeting now? It was because Shri Anna Hazare went on an indefinite fast and the problem started to become bigger. They do not know how to solve it now. That is why, they called us once again.

Afterwards, now they have given us the chance to discuss it here. At the same time, this is a new situation that they have created. Therefore, this tense situation is created by the UPA Government and not by others.

Comment: contd. by Q3

(q3/1615/ak-mkg)

Comment: Dr. Thambidurai cd..

One person cannot dictate terms. This is our democracy. He can have his own views. Every citizen has the right to speak his views. It is because we, the people of this sovereign country, have constituted this Parliament. We know about it, and we have to respect the feelings of the citizens. If one is not respecting the feelings of the citizens, then one has this kind of a situation where some sections of the people come out from their houses onto the streets. They are raising the issue of corruption, and that it is the bounden duty of the Government and the Parliament to take up the sense of the people and to see how we can solve this problem. Hence, we have this discussion, to see how to solve the problem. In spite of this, we are having full faith in democracy, and I have already mentioned this.

Most of the Congress friends are here. Now, they are mentioning about Shri Anna Hazare. Our Party Founder was Perarignar Anna. He was also called Anna, and our Anna had faith in democracy. The Congress could not get majority in Tamil Nadu from 1952 onwards when the first election took place. It was only Shri Rajagopalachari who formed a coalition Government at that time. Afterwards, Shri Kamraj took over; he ruled well; and we had no objection. At that time, we were students, and we thought whether we will be able to defeat the Congress as nobody thought that it was an easy task to defeat the Congress at that time. We thought like this, but our Perarignar Anna had faith in democracy. From 1947 onwards, he made campaigns about our Tamil culture, feelings of the people, the common man's issues, price rise, and corruption. He targeted everything. Thereafter, he won in 1967 and formed the DMK Government. Actually, our Party was one together at that time, and that was the first Government. Till now, the Congress cannot dream of capturing power in Tamil Nadu. This is the ground politics. They tried in 2006, when they thought that they had got an opportunity to have a coalition Government, but they missed the opportunity. Therefore, they thought that this time they will try to capture that opportunity. Hence, DMK had contested only in 119 seats in the election and the remaining were given to other Parties. Definitely, they could not form the Government even if the DMK would have won. They could not have formed a separate Government, and they would have formed only a coalition Government. What did the people do? They have voted in favour of us. Hence, I am mentioning that from 1967 onwards the Congress is making an attempt to capture Tamil Nadu, but they are not able to do so. It is a democracy, and we have faith in democracy.

Our founder Leader, Perarignar Anna, developed this kind of movement; the people have voted for us; and we have come to power. Therefore, I am mentioning this. Therefore, we could not fully support Shri Anna Hazare's movement, and cannot accept his demand of passage of the Bill, by by-passing the established Parliamentary procedures. We can take certain facts from all that he is suggesting, but it is not the final thing. He cannot dictate terms on our Parliamentary system. The Parliament is supreme. Hence, we are discussing it here. We are elected people. We have a term of five years only, and then we have to go, once again, to the people; meet the people; and get the mandate from the people. This democracy must be preserved, and this is the most important thing. He can say whatever he thinks; he can have his own movement; and there is nothing wrong in it, but he cannot dictate terms.

As regards election reforms, I was also a Law Minister from 1998-1999, when Shri Vajpayee's Government was in power. At that time also, the Lokpal issue came up. I also introduced the Bill on Women Reservation sitting at Seat No. 5. I remember in those days what I have done. At that time also, we tried to bring electoral reforms. We formed a Committee under the leadership of late Shri Inderjit Gupta. He took over, and he made an attempt to see how to control the finances or funds; whether the Government can give funds to the candidates; and how to conduct elections. He made certain suggestions, which were not up to the expectations, and he could not do it. Afterwards, I also, as the Law Minister, tried to bring a National Judicial Commission Bill. We all made an attempt as there are so many irregularities going on in the judiciary, and we had to take action. Hence,

we tried to do it. At that time, as Law Minister, I tried to do it, but there was a dispute between the President of India and the Chief Justice.

(r3/1620/sh-cp)

Comment: cd.. by r3

Comment: Dr. M. Thambidurai - Cd

They know how the judicial authorities have been appointing the Judges. I have the bitter experience in this regard. I know how they have treated the Law Minister and how they have been doing all these things. There also there were some irregularities and we had tried to rectify it. However, Vajpayee Ji, at that time, kept quiet because of the controversy between the President of India and the Chief Justice of India. Otherwise, at that time, he had tried to form the Nation dicial Commission.

Why I am saying these things is because we are always fighting saying that we want some reservation. We are saying that the OBCs do not have sufficient representation in the judicial system. Therefore, through National Judicial Commission, we thought that we could recruit efficient people and ensure that other communities find representation through appointment as Judges. We had tried it at that time, but we had failed.

On the question of the setting up of Lokayukta institution in all the States and whether it should be made applicable in all States, our opinion on this issue is that as some of our friends said, we have a federal set up. Our Constitution is based on a federal set up. Most of the States which were formed at that time were based on linguistic character, giving importance to the local culture, etc. Though we are an integrated lot as Indians, at the same time, we have to give respect to the feelings of the people. Our Constitution is like that.

Slowly, what is happening now? The Centre is taking away all the powers of the State in one way or the other. Why do you want to give that power to the Centre? It is something that I could not understand. In the States, the Assembly is there, elected representatives are there, and they have every right to run the Government locally. Even when you have the powers, what are you doing? You are again delegating everything back to them only. The money that you are

collecting through taxes, comes to the Central exchequer, you are giving it back to them. After constituting the Finance Commission, based on their recommendations, you are finding ways to give it back to them.

Yesterday also, we discussed one Private Member's Bill wherein it was demanded that the State must be given some kind of a special package. Everybody has been asking for money. Then why can you not give more powers to the States to raise their own funds through taxes and run their Governments? Why are you taking all those powers? That is what is happening now – you are taking all the powers. Then, the Chief Ministers have to come and beg here requesting the Centre to please give some fund or some power. You have to believe the people. We are all elected representatives. The MLAs are also elected representatives and they are having their own system. Why are you taking and keeping all the powers here at the Centre?

In the same way, the constitution of Lokayukta from here is against the will of the people. Do not thrust anything on the States. Let the States have their own system. In Karnataka, for example, the Lokayukta is there. When a scam came to light, based on his recommendation, the Chief Minister had to resign. Therefore, let the States have their own Lokayukta, if they want, but my suggestion is do not thrust it from here because preserving our federal structure is very important.

Sir, these are the facts that I wanted to place before the House. First of all, we are not against the Lokpal Bill; we are for it. At the same time, we have to respect the federal structure. You cannot thrust the Lokayukta from here. Also, on the issue of inclusion of the Prime Minister, I have made it very clear that his name need not be included in that because it is of no use when you are putting some riders. You ought to preserve the federal structure and you should not spoil that.

With these words, I thank you very much for giving me the opportunity to participate in the debate.

(ends)

*श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):

^{*} Laid on the Table

*श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): सभापति महोदय,

भ्रष्टाचार पर अंकुश से संबंधित लोकपाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपना मत रखने की इजाजत के लिए मैं आपका आभारी हूँ । देश आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है । अन्ना हजारे का आंदोलन अभूतपूर्व है । इस आंदोलन में गाँधी की प्रेरणा और परंपरा है साथ में जे.पी. आंदोलन का लड़ाकूपन भी है । किसी को भी ऐसे जनरोष के प्रकटीकरण की उम्मीद नहीं थी। बेशक जन लोक पाल ही इस आंदोलन की मुख्य मांग है, किंतु मूलभूत कारण दूसरे हैं ।

आजादी के 64 वर्षों में भ्रष्टाचार ने सुरसा की तरह मँह फैलाया है किंतु दो वर्षों के अंदर इस देश की सरकार ने इसे संस्थागत बनाया है । मुदंडा कांड, जीप घोटाला कांड, घर्मतेजा कांड, नागरवाला कांड, अंतुले कांड, चुरहट लाटरी कांड, बोफोर्स कांड, चारा घोटाला, शेयर घोटाला, आवास घोटाला, सत्यम घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, टेलीफोन घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, एयर इंडिया जैसे घोटालों के भारत के राष्ट्र जीवन के आंतरिक मर्म को तोड़ा है।

पंचायतों, प्रखंडों, थानों, तहसीलों से लेकर राज्यों एवं भारत सरकार के कार्यालयों के भ्रष्टाचार ने तो आम आदमी को जीना मुश्किल बना दिया है । महँगाई की मार से त्रस्त आदमी जब देश के ही लोगों द्वारा आजादी के बाद से देश को लूट-लूट कर विदेशों के बैंकों में जमा कालेधन की खबरें सुनता है तो उसके सामने भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट नौकरशाहों एवं भ्रष्ट व्यवसायियों के चेहरे मुगलों और अँग्रेजों के रूप में दिखायी देने लगते हैं।

महोदय,

संसद सर्वोच्च् जन प्रतिनिधि संस्था है, यही आम आदमी के हर्ष-विषाद का दर्पण है । हम सब जन प्रतिनिधि हैं और हम सबों ने यानी इस संसद ने आम जन को सर्वाधिक हताश किया है । हमने इसके पहले आठ बार लोकपाल इस सदन में लाया - किन्तु इसे अमलीजामा नहीं पहना पाये । आमजन ने हमें सत्तावादी समझा। राजनीति की विश्वसनीयता खत्म होने लगी है । स्वांवजिनक जीवन में शून्य पैदा हो रहा है । हमलोगों पर उँगिलया उठ रही है, विरोधभाव निर्माण हो रहा है । हममें से बहुत लोग प्रतिक्रिया में अपनी कुछ बातें भी कह रहे हैं -- किन्तु ध्यान रहे जो राजनीतिक शून्यता समाज को दिखाई दे रहा है । उसी का परिणाम है कि जनता इस राजनीतिक शून्यता की भरपायी के रूप में अन्ना हजारे की टकटकी लगाये - सड़कों पर दौड़ रही है । भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी जनता अन्न के साथ है । सभी

^{*} Laid on the Table

लोग जन लोक पाल की बारीकियों को नहीं समझते हैं लेकिन यह जरूर समझ रहे हैं कि इसे लागू होने पर भ्रष्टाचार में कमी आयेगी।

आज इस सदनृ में जो चर्चा हो रही है - पूरा देश इसे सुन रहा है - हमारी भाषा को समझ भी रहा है । हमारी नेता आज सुषमा जी ने जो बातें कही है, जिस प्रकार से बिंदुवार अपनी बातें रखी है - वह स्पष्ट है कि हम जन लोकपाल की भावनाओं के साथ हैं ।

माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कानून मंत्री जी की बातों से भी यह प्रकट होता है कि वे भी इससे अलग नहीं है किंतु जब काँग्रेस के अन्य वक्ता बातों को घुमाने लगते हैं, काँग्रेस पार्टी के युवा नेता और महा मंत्री दूसरे तीसरे मुद्दों पर प्रवचन शुरू करते हैं तो यह साफ-साफ संदेश होता है कि वे मामले को उलझाना चाहते हैं । वे नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई वाली जनलोक पाल की भावनाएँ शीघ्र देश में प्रभावी बनायी जायें ।

महोदय, काँग्रेस पार्टी, एवं उसे सहयोग देनेवाली पार्टियां एवं सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि आज देश के कोने-कोने में राष्ट्र सर्वोपिर का भाव जगा है। फिल्मी गानों में मस्त रहने वाला युवा भारत माता की जय और बंदे मातरम के जयघोष में व्यस्त है। राष्ट्र ध्वज के प्रति श्रद्धा बढ़ी है। राजनीति और राजकोष की निगरानी पर जनता की दृष्टि धारदार हुई है। भ्रष्टाचार आम आदमी का मुद्धा बना है। पहले यह सबकी पीड़ा थी, अब सबका साझा गुस्सा है। अन्ना के आंदोलन से राष्ट्रीय एकता का भाव उमड़ा है। सत्ताधारीयों के इशारों पर इस आंदोलन को इस्लाम विरोधी बताने वाले, राष्ट्रीय एकता का भाव उमड़ा है। सत्ताधारीयों के इशारों पर इस आंदोलन को इस्लाम विरोधी बताने वाले, राष्ट्रीय एकता के अब लिजत हो रहे हैं। महोदय मैं अंत में सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों के अंदर सरकार ने जिस प्रकार से दुलमुल रवैया अपनाया है उसका संदेश अच्छा नहीं गया है। आज लोक पाल के गठन से संबंधित मुददों पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसमें यह साफ कहा गया है कि अन्ना जी के प्रतिनिधियों ने जन लोक पाल बिल के अंदर तीन मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया है। जो मुद्दें कं जनशिकायत एवं नागरिक चार्टर, लोकायुक्त और निचले स्तर के अधिकारी इन मुद्दों पर लगभग सभी पार्टियों में अपनी सहमति दी है। यदि सरकार सचमुच चाहती है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वह प्रतिबद्ध है जो हमारी शासन व्यवस्था के मूल तत्वों को नष्ट कर रहा है। तो इसे अमली-जामा पहनाने की कृपा करें और देश के करोड़ों लोगों की आवाज अन्ना की प्राण रक्षा करें। धन्यवाद।

(इति)

*श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव):

^{*} Laid on the Table

(s3/1625/raj/smn)

1624 hours

Comment: CONTINUATION OF KISTAPPA

*SHRI NIMMALA KRISTAPPA (HINDUPUR): Thank you, chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on Lokpal Bill. We have the biggest and strongest democracy in our country and I am proud that I am an Indian. The serious ailment, which is affecting our country today is corruption. independence, if we look at our legislative bodies, we find both educated as well as illiterate representati Today after 54 years of independence, we find almost all the representatives are educated consisting of lawyers, doctors, engineers and In today's democratic system, we have multiple means of intellectuals. communication. We could know what is happening in a remote village within minutes. We had witnessed major changes in our democracy and legislated very effective laws for our country. If we question, whether corruption has increased of decreased after 64 years of independence, we all agree that it has only increased. When we have literate and intellectual representatives, who are striving hard to serve people, why corruption is on the rise? Who are responsible for this corruption? What can be done by us collectively? We should ponder over these questions. If we look at present levels of corruption, we can see 2G Spectrum scam worth Rs. 1,76,000 crores. The present Government claims that they were only following policies made by the previous Government. The Government should generate more revenue and spend for the welfare of the people, but, we see that some individuals or companies, fund election expenditure of political parties. In return, those political parties, when they come to power, give away our National wealth to these individuals or companies. Big contractors donate huge amounts as donation to political parties and in return they get favours from those parties and our people are betrayed. In Andhra Pradesh, we are witnessing new form of corruption. Those companies and individuals, who were benefitted by the

^{*}Original in Telugu.

Government, are investing in the companies of those leaders who favoured them. Some companies invested in Jagati publications and companies like Emaar indulged in land scams. Schemes like 'Jalayagnam' are being misused for new form of corruption. In this manner, when our National and state's wealth is being given away to few companies and individuals, we won't be mute spectators. In these situations, we should root out corruption by brining an effective Lokpal Bill. Yesterday, Shri Rahul Gandhi made a statement in the House and he said that Lokpal is only an instrument in checking corruption. He wants Lokpal to be a constitutional body. We don't oppose his views. But first, let us bring that instrument. Today, thousands of people are following and supporting Shri Anna Hazare. I request the Government to include three points mentioned by Shri Anna Hazare in Lokpal Bill. We should run an effective Government. We should work for people and protect our National wealth. We should wipe out corruption. I demand on behalf of Telugu Desam party, to bring an effective Lokpal Bill by including three points suggested by Shri Anna Hazare. Hailing Shri Nara Chandra Babu Naidu's leadership, I conclude. Thank you.

(ends).

*श्री भारकरराव बापूराव पाटील खतगांवकर (नांदेड़): माननीय सभापित महोदय, लोकपाल विधेयक पर मुझे अपने विचार रखने का मौका आपने दिया है, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

इस देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार को लगाम लगे। भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी कानूनी सजा हो। इसलिए कारगर कानून बने, यह देश के सभी नागरिकों की मंशा है। इसी विचारधारा को लेकर आदरणीय श्री अण्णा हज़ारे जी अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। श्री अण्णा जी ने भ्रष्टाचार के विरोध में जन जागरण किया और हजारों लोग इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शरीक हुए।

मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं। श्री अण्णा हज़ारे जी मेरे राज्य से आते हैं। श्री अण्णा जी प्रामाणिक और सच्चे गांधीवादी विचार के नेता हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। उनके 90 प्रतिशत प्रावधानों से मैं और मेरा पंत सहमत है। कुछ विषयों पर चर्चा होकर रास्ता निकल सकता है। मुझे दो-तीन बिन्दुओं पर अपने विचार रखना है। जिन-जिन बिन्दुओं पर जन लोकपाल विधेयक में चर्चा हो रही है, वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन गांवों में, शहरों में रहने वाले जो गरीब खेतीहर और झुग्गी में रहने वाले मजदूर हैं, जिनका बड़े भ्रष्टाचार या सरकारी दफ्तर में चात्ररहै छोटे-छोटे दफ्तरी भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है।

जिस गरीब की दिन भर की आमदनी बीस रूपए से 30 रूपए है, जो दिन भर पसीना बहाता है, लेकिन उसे दो समय का पेट भर भोजन नहीं मिलता। उस गरीब से जुड़े भ्रष्टाचार पर भी कारगर कानून होना चाहिए। इन वर्गों की संख्या देश में बहुत बढ़ी है। श्री तेंदूलकर कमेटी ने देश में बी.पी.एल. के नीचे के लोगों की संख्या 42 प्रतिशत बताई है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं।

इन गरीब, पिछड़े लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना, महाराष्ट्र में इन्दिरा गांधी महिला पेंशन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाढ़ पेंशन योजना है, लेकिन इन गरीब लोगों को इस योजना में भ्रष्टाचार के कारण समय पर लाभ नहीं मिलता। बी.पी.एल. की सूची बनाते समय गांव का गरीब छूट जाता है और धनी आदमी सूची में आता है। यह गरीब आदमी के लिए 2जी स्पेक्ट्रम के कांड से ज्यादा नुकसान देता है। गरीब आदमी का नाम बी.पी.एल. सूची में नहीं आना उसके लिए मौत की यातना पाने जैसा है।

हमने गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उसे जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे गेहूं, चावल, चीनी, खाने का तेल और मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था की है।

सभापित महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ये वस्तुएं गरीबों तक नहीं पहुंचती है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसका सीधा प्रभाव गरीबों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए मैं आपके

^{*} Laid on the Table

माध्यम से सरकार को आग्रह करता हूं कि लोकपाल बिल पर चर्चा होते समय इन बिंदुओं पर भी चर्चा हो। गरीबों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े भ्रष्टाचार पर भी इस बिल में कारगर उपाय हो।

हमारे नेता श्री राहुल जी गांधी ने कल इस सदन में इस विषय पर अपने बहुत-से विचार रखे। श्री राहुल जी के मुद्दों को मैं दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु हम सबके सामने रखा है।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से दरख्वास्त करता हूं कि इस विधेयक को मंज़ूरी देते समय श्री राहुल गांधी ने ने जो महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, उस पर भी गंभीरता से विचार करे।

मैं सदन से आग्रह करता हूं। भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का जो संविधान बनाया है, यह डॉ. अम्बेडकर जी का संविधान है जिसने इस देश की आज़ादी के 65 साल बाद भी लोकतंत्र को मज़बूत बनाए रखा है। इसलिए सभापित, आपके माध्यम से सदन को मेरा आग्रह है कि लोकपाल बिल मंज़ूरी की चर्चा भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान के दायरे में ही हो।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय अण्णा जी से दरख्वास्त करता हूं कि इस सर्वोच्च सदन के सभी सदस्यों की भावनाओं को, देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष की नेता और सभी पार्टियों के नेताओं के दरख्वास्त को मद्देनज़र रखे हुए अपना अनशन रोकें।

जय हिन्द।

(t3/1630/nsh-sr)

1630 बजे

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापित महोदय, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव हमारे देश में, लोकतंत्र में, गरीबी उन्मूलन और क्षेत्र को विकसित करने के लिए जितनी योजनाएं बन रही हैं, उन पर पड़ रहा है। सवाल यह भी नहीं रहा कि जो लोग आज बाहर सड़कों पर उतरे हैं, वे एक नई चेतना का प्रतीक हैं। समाज के प्रति हर नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है, आज लग रहा है कि देश के नौजवान को जिम्मेदारी का एहसास है। यह एक ऐतिहासिक वक्त है। आज के दिन लोक सभा टेलीविजन की व्यूअरिशप काफी ज्यादा है। मेरे मन में बस एक इच्छा है कि मीडिया की ओर से यह समर्थन इस सदन को आगे भी मिलता रहे, लोग इसी तरह, इसी नजर से सदन को आगे भी देखते रहें, यह भी बहुत जरूरी है।

अब तक जो हुआ, मैं अपने शब्दों में कुछ विवरण जरूर देना चाहुंगा कि मेरे इस पूरे प्रकरण पर क्या विचार हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। जब भी कोई क्रान्तिकारी विचार आता है, जब राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति, सरकार में शामिल व्यक्ति कोई नया परिवर्तन करना चाहता है, तो उसका विरोध किया जाता है। यह इंसान की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। परिवर्तन हमें पसन्द नहीं है। जो पुरानी लय है, हम उसमें चलना चाहते हैं। मैंने देखा है, अन्भव है कि कई बार जो अफसरशाही है, वह डौमीनेट करती है, वे परिवर्तन नहीं चाहते। इसलिए जब एक नया क्रान्तिकारी विचार, विचार नया नहीं कह सकते, बहत समय से है, लेकिन अब उसके क्रियान्वयन के लिए एक नैतिक दबाव लोग बना रहे हैं, देश की जनता बना रही है। जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत है जो उसका विरोध करती है। शुरूआत से सरकार का जो रवैया रहा, वह एक ब्यूरोक्रेटिक रिस्पौंस रहा, राजनीतिक नहीं था। जो रैज़िस्टैंस टू चेंज ब्यूरोक्रेसी दिखाती है, वही रैज़िस्टैंस टू चेंज सरकार ने दिखाया। क्या कारण था कि जो इस्टैबलिशमैंट है, उसने पूरे आंदोलन को नहीं अपनाया? अपनी मोहर नहीं लगाई। यह नहीं कहा कि अन्ना जी, आप जो कह रहे हैं, यह हमारी आवाज है, यह हमारी लड़ाई है, यह हमारा मुद्दा है। इस सदन के सभी सदस्यों के अंदर एक चिन्ता है, मैं जानता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपना अनुभव बताना चाहता हूं। जब शुरूआत में यह घोषणा हुई कि एक आंदोलन होगा, मैंने भी बहुत चिंतन किया। मैं भी विचलित हो रहा था। मेरे अंदर भी चिन्ता थी कि क्या होगा। मैंने अपने दल के नेता से बात की। वे स्पष्ट थे। शुरू से कह रहे थे, बल्कि ऑल पार्टी मीटिंग में हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी बिल नाकाम है। जहां फाउंडेशन इतनी कमज़ोर हो तो वहां आप छोटे-मोटे परिवर्तन कर लें, लेकिन उस कानून का सिद्धान्त ठीक नहीं हो पाएगा। उसे आप वापिस लें, हमने यह खुलकर कहा। चौधरी साहब ने मुझे शुरूआत से स्पष्ट कहा कि चिन्ता मत कीजिए,

यह अलोकतांत्रिक नहीं है। यह उन लोगों का अधिकार है। मैंने बहुत सोचा। याद करें जब गन्ना किसानों का आंदोलन दिल्ली में हुआ था। यहां तमाम पार्टी के लोग मौजूद हैं। कई बार विपक्ष में रहते हैं, कई बार हम सरकार में रहते हैं। हमारी पार्टी प्रदेश में विपक्ष में है और यहां भी हम विपक्ष में हैं। तमाम प्रदर्शन, आंदोलन हम लोग आयोजित करते हैं। जब हम गांवों में जाते हैं तो कहते हैं कि कानून में ये खामियां हैं कि देश की संसद को देश की आजादी से देश के गरीब के लिए जिस तरह काम करना चाहिए, वह नहीं कर रही है। क्या हम नहीं कहते? हम भी आलोचना करते हैं। देश के संविधान ने अगर हमें अधिकार दिया है तो देश के एक साधारण नागरिक को भी वही अधिकार दिया है। मैंने यह समझ लिया, जब मैंने सोचा, दिल की गहराइयों में देखा, कि मै विचलित क्यों हो रहा हूं। इसलिए विचलित नहीं हूं कि मैं नहीं चाहता कि भ्रष्ट पर नज़र रखी जाए और भ्रष्ट को जेल की सलाखों के पीछे किया जाए।

(u3/1635/rjs-kmr)

मैं यह नहीं सोच रहा था। मैं इसलिए विचलित हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे मालूम था कि इस व्यवस्था में सबको भागीदारी नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं मुझे अहसास था कि देश के गरीब जो बस्तियों में रहते हैं, उनके मन में सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब शायद हम इस सदन के सदस्यों के पास भी नहीं है। मैं जानता हूं कि बहुत से सांसदों ने यह चिंता व्यक्त की है कि वहां से आपत्ति जनक भाषण हो रहे हैं। सवाल वह नहीं है। छोटी-मोटी बातों को आप भूल जाइये। हमें उससे ऊपर उठना होगा। यह मुद्दा व्यक्तियों से जुड़ा हुआ नहीं है। अन्ना जी पर सरकार ने प्रहार किया। सवाल उनका नहीं है, उनसे बड़ा है। आप देखें कि वे 74 साल के व्यक्ति हैं और उसमें उनका क्या स्वार्थ है? वे अनशन पर बैठकर ज हैं, मैं नौजवान हूं, मेरे अंदर ऊर्ज़्न् आत्मविश्वास है, मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं कुछ चाहूं, तो मैं कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर 12 दिन तक अनशन पर बैठूंगा? यह साहस का काम है, और वह हमारे लिए कर रहे हैं। यह हमारा मुद्दा है, जिसे वे उठा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सवाल व्यक्तियों का नहीं है। हो सकता है कि आपत्तिजनक बातें रखी गयी हों, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। मुझे इस देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं पर विश्वास है, यह कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक मिसाल है। यह खतरनाक मिसाल कैसे है? आज भी तमाम कानून देश में बनते हैं। आपकी एनएससी है, वहां आप किसी भी सोसायटी को नियुक्त करते हैं। मैं सही और गलत का सवाल नहीं कह रहा। मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए। इस व्यवस्था में अब उसके लिए एक जगह बनायी गयी है। उसे मैं स्वीकार करता हूं। इसी तरह योजना आयोग है। कितनी बार योजना आयोग की बनायी हुई पंचवर्षीय योजनाओं पर हम यहां चर्चा करते हैं। उसमें सांसदों का क्या दखल है?...(व्यवधान)

Comment: Cd by u3

Comment: Sh. Jayant Choudhary-cd

श्री अवतार सिंह भडाना (फ़रीदाबाद): वहां ओमपुरी जी क्या कह रहे हैं, उस बारे में आप बोलिये? ...(व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): उसमें दखल बहुत कम है, लेकिन सवाल वह नहीं है। ... (व्यवधान) मैं सिर्फ यह कह रहा हूं। ... (व्यवधान) मैं कह चुका हूं। ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों पर आप मत जाइये। हम उनसे ऊपर हैं। ... (व्यवधान) बात यह है कि आज की मौजूदा व्यवस्था में भी ... (व्यवधान) मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा। लेकिन जो टीस आपके मन में है, वह सभी के मन में है। ... (व्यवधान)

हमें कभी न कभी स्वीकार करना होगा कि हमसे किमयां हुई हैं, हम गलतियां हुई हैं, इसलिए यह स्थिति बनी।

सभापित महोदय (श्री बसुदेव आचार्य): कृपया आप लोग बीच में मत बोलिये, उन्हें बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): मैं कहना चाहता हूं कि आज भी योजना आयोग है, एनएससी है, जहां सिविल सोसायटी को ड्राफ्टिंग का मौका मिलता है। आप इस बात को भी स्वीकार करें कि अगर सरकार किसी बिल को अपना लेती है, आप फूड सिक्योरिटी बिल, कम्युनल वायलेंस बिल, लैंड एक्वीजिशन का ड्राफ्ट ले लीजिए, आपने एनएससी के 70, 80 और 90 प्रतिशत तक सुझाव अपनाये हैं। अगर सरकार कोई बिल टेबल करेगी, तो थोड़े बहुत इधर-उधर संशोधन हो जायेंगे, लेकिन उसे यह हाउस पारित करेगा, क्योंकि बहुमत सरकार के पास है। इसलिए जब वह जगह आपने समाज को दी है, तो क्यों नहीं एक नागरिक जो सड़क पर खड़ा है, अन्ना हजारे ने ड्राफ्ट किया, उनको क्यों नहीं वह जगह मिली? क्या उनका अधिकार नहीं बनता? बनता है। सब तरह की राय आयेंगी, आप उन्हें सूनें। उनका अधिकार बनता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस दंग से इस मामले में सरकार ने दखल दिया है, प्रयास किये हैं, उसका प्रभाव यह पड़ा है कि आम आदमी अब यह सोच रहा है कि सिर्फ सरकार हमारे खिलाफ नहीं है, पूरी संस्था हमारे खिलाफ क्यों खड़ी हुई? इसलिए एक स्वर में जब हम खड़े होकर कहते हैं कि पार्लियामैंट की सुप्रीमेसी है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की आस्था आपसे जुड़ी हुई है, इसलिए आप मैम्बर के तौर पर यहां आये हैं। यह आपको बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है। ...(व्यवधान) यह किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका लोकतांत्रिक प्रणाली में, परम्पराओं में, व्यवस्था में विश्वास है। वे वोट देते हैं, लेकिन हमारे कहने से सुप्रीमेसी इस्टेबलिश नहीं हो जाती। ...(व्यवधान) हमारी सुप्रीमेसी के बारे में कहने से उनके अधिकारों का हनन नहीं होता। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया आप सब बीच में मत बोलिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री जयंत चौधरी (मथुरा): देखिये, सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस आंदोलन को सभी सांसदों को अपनाना चाहिए। जो बातें उठ रही हैं, वे जायज हैं

(w3/1640/rps-vp)

में याद दिलाना चाहूंगा, गोपाल कृष्ण गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा था, मैं उसे पढ़ रहा हूं: 1948 में सेवाग्राम में महात्मा गांधी जी के निधन के बाद चर्चा हो रही थी, समाज के विशेषज्ञ थे, सरकार के प्रतिनिधि वहां थे, जयप्रकाश नारायण जी थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, वहां चर्चा हो रही थी कि अब क्या करें। जब नेहरू जी से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं, अब सिविल सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा फ़िज़ा इस फ़िजा की नई रोशनी में इन सवालों पर हम सोचें।

मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जो एक नई राजनीतिक चेतना आई है, इतने विस्तार से किसी बिल के हर क्लॉज पर आम आदमी क्या हमसे सवाल पूछता है? नहीं पूछता है। इसलिए हमें इस आंक्रिंग की अच्छाइयों को स्वीकार करना अप और हमसे जो किमयां हुई हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो लैण्ड माफिया है, हमने देखा है कि एक नेक्सस है सरकार, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन्स और कारपोरेट्स के बीच, जिसके तहत लगातार बहुत बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है, वह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है। कई चीजें हैं। लोकपाल कानून भी आपको जल्द से जल्द लाना चाहिए। लोकपाल से संबंधित कुछ छोटे-मोटे विवादास्पद मुद्दे हैं। एक सवाल उठता है कि क्या-क्या चीजें इसके दायरे में आनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, सरकारी ड्राफ्ट में सिर्फ उसको रखा गया है, कुछ विशेषज्ञ यह कहते हैं कि आईपीसी में जो धाराएं हैं, उनको भी इससे जोड़ें। मैं एक कदम आगे जाकर कह रहा हूं कि आपके पास जो मनी-लॉड्रिंग से संबंधित एक्ट है, उसको भी इससे जोड़ें। बेनामी ट्रांजैक्शन्स के लिए कानून बनाएंगे, उसे भी इससे जोड़ें और जो भी ऐसी कानून बनाते हैं, जिनकी धाराएं भ्रष्टाचार से संबंधित हों, उनको भी आप लोकपाल के दायरे में लाइए। एनजीओज का सवाल उठ रहा है, सरकारी ड्राफ्ट में सभी एनजीओज को जोड़ा है और कई सांसदों की ओर से भी यह मांग रखी गयी कि नजर सब पर रहनी चाहिए। मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं कि नजर सब पर रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए, कहीं न कहीं कोई रिपोर्टिंग और एकाउपिटेंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि एक आप

Comment: Cd by w3

Comment: Jayant Choudhary cd.

कह रहे हैं कि लाखों एनजीओज को जोड़ दो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो निचले स्तर की ब्यूरोक्रेसी है, उसे मत जोड़ो। इस बात में कंसिस्टेंसी नहीं है। आम जनता के लिए सरकार का प्रतिनिधि वह अधिकारी है जो प्रमाण पत्र बनाता है, पटवारी है, आम आदमी के दिमाग में भ्रष्टाचार में ट्रजी नहीं है। वह इन चीजों को लेकर दुखी और चिंतित हो रहा है, लेकिन जब वह किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, तो वहां सबसे पहला कांटैक्ट जो सरकार का होता है, वह छोटा अधिकारी है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार पानी की तरह ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अगर आप ऊपर का भ्रष्टाचार रोक दें, तो बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। उस सिद्धांत को मैं जानता हूं, लेकिन आज स्थिति यह है कि नीचे तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है और यह बात भी व्यावहारिक नहीं होगी कि आप कहें कि केंद्र में हम बना लेंगे केंद्रीय इम्प्लाईज के लिए, लेकिन स्टेट लोकायुक्त का क्या करें। यह बात व्यावहारिक नहीं होगी कि कोई एक प्रदेश में सेंट्ल इम्प्लाईज के खिलाफ इनक्वायरी के लिए कह सकता है, लेकिन प्रदेश के इम्प्लाई के खिलाफ कोई संस्था नहीं है। यह सही नहीं होगा, लेकिन इसे करना कैसे है, यह आपको सोचना है। संविधान के प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए इसे करें। कई चीजें ऐसी हैं जो कनकरेंट लिस्ट में आती हैं और आपने उनके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाया है। रिवर बोर्ड अथारिटी आपने बनाई है। आप इसे इनेबलिंग प्रॉविजन के तहत करें या मॉडल एक्ट के तहत करें, यह आपको देखना है।...(व्यवधान) सभापति महोदय (श्री बस्देव आचार्य): आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब समाप्त कीजिए। श्री जयंत चौधरी (मथ्रा): महोदय, प्रधानमंत्री इसके दायरे में हों या नहीं, मैं जानता हूं कि यह भावना है कि यह सबसे ऊंचा पद है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स से उस व्यक्ति को चुना जाता है, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन अगर मौजूदा व्यवस्था में भी उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत उनको इसमें जोड़ा जाता है और जब सरकार मान गयी कि सीबीआई को स्वतंत्र करेंगे, सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को हम दे देंगे, तो लोकपाल के अंतर्गत एंटी करप्शन एक्ट के तहत अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ इनक्वायरी का सवाल आता है, तो फिर क्या होगा। मतलब अगर आप सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को आलरेडी लोकपाल को दे चुके हैं, जब मौजूदा धाराओं में भी प्रधानमंत्री उसके दायरे में आते हैं, तो प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बात सेकंड एआरसी ने भी कही थी और 1989 के एक्ट में भी यही बात थी।

Comment: cd. by x3



(x3/1645/jr-rk)

Comment: Sh. Jayant choudhary cd.

सभापित महोदय (श्री बसुदेव आचार्य): आपने काफी समय ले लिया है, अब आप अपनी बात समाप्त करें। श्री जयंत चौधरी (मथुरा): सभापित जी, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। जिस राजिनतिक मंच से मैं हूं और एक सदस्य के रूप में यहां खड़ा हूं, मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। मैं अपील करना चाहता हूं उन 74 साल के बुजुर्ग से कि सदन की भावना भी आपके साथ है और इच्छा रखता हूं कि इस चर्चा के बाद यदि कोई रिज़ोल्यूशन सरकार बनाकर पेश करती है, उस पर आप वोटिंग करा लें, हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। हम संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को कि यह सदन, लोक सभा के सांसद, आपकी लड़ाई जो नि खेलाफ है, सब आपके साथ हैं और करप्शन के खिलाफ हैं। हमारी पार्टी भी उन मुद्दों का समर्थन करती है।

(इति)

*श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर):

^{*} Laid on the Table

*डॉ. निर्मल खत्री (फ़्रैज़ाबाद):

^{*} Laid on the Table

1646 hours

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, at the beginning I must say that whatever people might be speaking from anywhere, from any platform, the supremacy of Indian Parliament cannot be diluted in any case. Whatever people might be saying from any rostrum, any platform, I do not believe that Parliament and Members of Parliament are all tainted. I do not believe that a single person is fighting corruption in the country. I believe there had been fights against corruption and there are people to fight against corruption and there will be people who will be fighting corruption. Nobody should take the pride of fighting corruption alone wherever his situation may be.

Sir, having said so, I have listened very carefully to the speech of the Leader of the House. I appreciate his speech. For the first time it seems Shri Pranab Mukherjee has been very careful, very cogent and very frank. He has said that the country is at crossroads. I have listened this for the first time. Really, the country is at crossroads. Only one hour back a senior Minister was asking me whether I can tell him the magic by which a person on fast could rock the country like this. What is the magic that a man going on fast can rock the country? These are the questions being asked. It is right to ask these questions; why we are at crossroads and how can one person being on fast rock the country, including the Parliament. It is for the Government in power, who is there for seven years or more, to explain हिन्दुस्तान खतरे में क्यों है? आप आज क्यों बोल रहे हैं कि हिन्दुस्तान आज खतरे में है? We are at crossroads. आप क्यों कह रहे हैं कि एक आदमी अनशन कर रहा है and it has rocked the country. Why it is so? If you look without any glass or cover, if you look beyond the nose we can see that there are millions of people who are not in Ramlila Maidan but who have identified themselves with the slogan and crusade against corruption. It has been able to rouse the conscience of the masses to some extent and that should be very frankly admitted. But may I ask you why it is so? During this critical juncture, this is a critical hour for the nation and that is why the Minister has said that we are at the crossroads, the Government is speaking in many voices. सिर्फ एक आदमी नहीं बोल रहा है। The Government is speaking in many voices. I believe that my friends on the Left will not be angry if I say that there are more than one power centre within the coalition Government.

[(y3/1650/nrj-har)]

That is why, you are not speaking in the same voice. Please agree if I say that the esteemed office of Prime Minister has almost become a post box. It is not the office of the Chief Executive of the country. This is unfortunate. You cannot speak in one voice. You are having more than one power centre and the Prime Minister is not the sole leader of the Party or leader of the Government, who speaks the truth. There are many more voices. शरद जी, सुनिये, मेहरबानी होगी। You not speaking in the single voice.

Kindly permit me to say that the speech that was delivered during the 'Zero Hour' by the General-Secretary of the Congress Party is at variance with the tenor of the Statement, which is given by the hon. Leader of the House. It has been interpreted as a hard line speech. It has been interpreted as a speech of confrontation. I do not make any comment but that is the interpretation. That is the interpretation being made outside the House, I am not saying in the newspapers. ... (Interruptions) भई स्निये, मेहरबानी।

MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Please do not interrupt. SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Please have a little tolerance. Democracy means tolerance... (*Interruptions*) but democracy does not mean speaking in too many voices.

The point is that why the situation has become so bad in the country. The situation has become so bad in the country because the Government has made a mess of the situation. There are one after another scandals and one after another reports of the statutory body. Please accept the reality.

I am a Member of Parliament for more than 20 years. This Government has been found to be the most tainted Government. Why is it so? It is not only

Comment: cd. by 'y3'

Comment: Cd by Sh. Gurudas Dasgupta

that. You will kindly remember that I was a Member of the other House when Bofors scandal broke out. What was the total quantity of amount? It was less than Rs.100 crore. But what is the estimated loss of the 2G Spectrum? Even, the CBI is saying Rs.30,000 crore. I do not go into the C & AG Report. Why is there a phenomenal growth of corruption? That is the point to be answered. That is the reason why the situation has become so volatile in the country. It is not only that, please look at the mirror. None of the investigative agencies is doing its best or doing its job independently. Did Delhi Police do their job on 'Cash for Vote' scandal? Is it not true that when the High Court of Delhi had ordered and after that the charge-sheet had been filed; is it not true that 2G Spectrum case had taken a shape after you had the beating of the Supreme Court? What is this? Scandals are taking place but police is not taking action. Scandals are taking place but CBI is not moving. The whole thing becomes paralysed. It is as if the whole apparatus has become political. It is as if those decisions are not being taken on merit. Decisions are being taken on the basis of signal from the North Block or South Block. If, you reduce the country to this level, then the situation is bound to become volatile like what it is today.

(z3/1655/rc/ind)

MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Please do not interrupt.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Hon. Mr. Chairman, Sir, I find our Ministers more impatient than the general Members of the House. I have a special liking for him also as he comes from my neighbouring State. But he does not know one thing. I cannot tell the proceedings of the JPC. I am a member of the JPC. I know it is not the change of Policy which has resulted into this... (*Interruptions*). Mr. Minister of State, I am not yielding.

MR. CHAIRMAN: You address the Chair.



Comment: Fd by z3

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, it is being said by everybody that 2G spectrum has led to a loss of Rs.30,000 crore. Everybody is saying this and he is becoming impatient... (*Interruptions*). Sir, I am sitting now. You please control them.

MR. CHAIRMAN: You continue your speech. Please do not interrupt him.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): A senior Minister is behaving like this and if the whole Opposition behaves like this with him, he will have the same feeling... (Interruptions). सभापति महोदय, सबको बोलने का अधिकार है। I know what Mr. Jag Mohan has said. I am not referring to Mr. Jag Mohan. I am not referring to Mr. Vajpayee. I am not referring to Mr. Narasimha Rao. I am not referring to Dr. Manmohan Singh. I am referring to the estimated loss of 2G spectrum and nobody can deny that. In Bofors, it was less than Rs.100 crore and now it is nearly Rs.1 lakh crore. This credit goes to you and that is the reason for volatility. That is the reason why the country is being rocked. Please understand this. What is the reason for the situation becoming so volatile? All the Governments had played with corruption. I do not blame this Government but I blame all the Governments who had come to power. The Governments one after another played with the issue of corruption, had failed to bring about any law and had not taken the message of the people deep into their heart. दुनिया में ऐसे ही चलता रहेगा कि हम मंत्री बनेंगे और सीबीआई को बोल देंगे, कुछ नहीं होगा और सब बच जाएंगे। They all believed in this. That is why, the situation has become so volatile. Why is the situation so volatile? It is because the people are so impatient. People are impatient because there is no money for food; there is no money for health but there is money to steal; there is money to loot; and there is money to be taken away... (Interruptions). I am coming to that. I would request you to be patient. The dissent voice should be allowed.

The point is why Anna Hazare's hunger strike has struck so heavily. Why Anna Hazare's hunger strike has provoked the whole nation to rise? क्या कारण है? It

is not because of corruption but the Government's inaction which has been put on focus. The Government did not do anything. That is why, the country is so agitated.

Sir, I plead for a Lokpal Bill. Let us, for the first time, adopt an effective Lokpal Bill. But I agree on one thing with the young Congress leader that by enacting Lokpal Bill, corruption cannot be eradicated. There has to be a movement. There has to be public intervention. There has to be constant pressure of the people. There has to be multiple action by the whole Government. I believe there has to be a political will which is missing.

[a4/1700/snb-asa]

Today from this Parliament let us give the message that the Parliament is not oblivious of its responsibilities. Let us give the message that once for all we have taken the first step, enactment of the Lokpal is the beginning and not the end of the step. Let us give the message which will go down in the spines of the corrupt criminals. Let there be a pain in their spines. Let them feel that they cannot do whatever they like.

MR. CHAIRMAN (SHRI BASU DEB ACHARIA): Please take yo at.

SHRI GURUDAS DASGLIPTA (GHATAL): Sir, I am coming to my next point. I will take another two mixtures. I want accountability. Without accountability there cannot be democracy – accountability of the Prime Minister; accountability of the Ministers; accountability of the Members of Parliament; accountability of the public servants and also accountability of the Judiciary. There has to be accountability of the Judiciary also... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt. Let him finish.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): What about corporate corruption? जो जनता का पैसा लेकर चोरी करते हैं।...(व्यवधान) Sir, may I ask you, what about the paid news in the media? Permit me two more minutes... (*Interruptions*) Sir, I am saying with humility that the role that the electronic media is playing about the developments in the *Ramlila* ground is not conducive to the responsibility that the media owes to

Comment: cd. by a4

Comment: Gurudas contd.

the nation. You have seen as to what happened to the media in England? The Baron of private media has fallen. What has happened to that? Therefore, let the Indian media take lesson from the worldwide experience... (*Interruptions*) What about the NGOs who are receiving foreign funds and also are receiving money from the Government? They do not submit accounts to the Government? What about them? Lokpal should be for the people in high place. There should be total freedom granted to the investigating agencies, but there should not be any political vendetta. Model law should be prepared for the appointment of Lokayukts for the States. The rights of the States should be respected in a federal structure. There should be special mechanism for the lower level bureaucracy.

While appreciating the hunger strike of Anna Hazare, I must politely tell him with folded hands to please withdraw his hunger strike and also to please ensure that the people who are around him do behave in a way which we expect from every citizen of this country. Lastly, I would like to say that let this Parliament, let this Session see the beginning of a new initiative by way of legislation for fighting against corruption. Let this be the first step and let this Government and the entire Opposition work together for bringing an end to corruption which is making it very difficult for the nation to function.

Thank you.

(ends) Comment: Fld by b4



*श्रीमती ज्योति धुर्वे (वेतूल): सभापित महोदय आज का दिन आने वाले इतिहास का एक एतिहासिक दिन होगा आज जिस लोक पाल को पूर्ण रूप से शसक्त, स्वतंत्र, स्वच्छ और जन उपयोगी सुदृढ़ रूप दिया जा रहा है निश्चित ही ऐसा दिन आजादी के समय संविधान को बनाते हुए उसमें इसका पूरा स्थान पूर्ण जनउपयोगी जन हिताय के लिए तय कर दिया गया था, लेकिन शायद उसे उस समय से लागू न करना हमारे संविधान को और समाज को न्याय न देने के बराबर या उससे अधिक शायद शब्द की कमी होगी। सन् 1960 से चलते हुए लोकपाल को लाना और उसकी आवश्यकता की कवायद करना शायद हमारी कार्य को गति, सोच और विचार को साफ साफ देश के सामने लाकर यह सिद्ध कर दिया कि यह आवश्यकता 1960 से हवा ही नहीं चली तुरंत मांग को पूरा करने उसके रूप को बहुत सारी कमियों को जोड़ कर मजबूत न्याय संगत जनउपयोगी लोकपाल तैयार करना ही एकमात्र उद्देश्य था यह आवाज ही नहीं थी बारबार 1960, 1966, 1968, 1970, 1980, 1990, 2002, 2005, 2010-11 में क्या कारण था कि संसद की स्थायी समिति से लेकर संसद तक लोकपाल की माँग पूरे 8 बार होती रही पर इसे आवश्यक महत्वपूर्ण न मानना सरकार की कही न कही कमजोरी एवं भ्रष्टाचार को दूर न करने का कारण साफ नजर आना सिद्ध नहीं होता।

संविधान में यह स्पष्ट तय किया गया कि जनता एक पूजा नहीं एक शासक होती है और उसके अधिकार का हनन संविधान के हनन के बराबर होगा। लिकिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की अपार सीमा को पार करती हुई शायद यही वह तूफान या भूकंप को उजागर करती है कि लगातार एक के बाद एक होने वाले भ्रष्टाचार और बिगड़ती हुई न्याय व्यवस्था कही न कही आम जन और वह जनता जो बहुत ही दिरद्र गरीब, पीड़ित, असहाय, जिसका सामना उसे न जाने कितनी बार सहना पड़ता है कि शायद उसे इस भ्रष्टतंत्र से उसक विश्वास ही उठ चुका है।

आज देश का हजारे, लाखों, करोड़ों, अरबों रूपय देश् के बाहर के बैंकों में भरा पड़ा है और जिस देश का पैसा है वही आज उस पैसों को वापस यदि लाने की माँग करता है तो फिर यह कैसे गलत सिद्ध किया जा सकता है इस सच को उजागर करना होगा और पूरी कठोरता के साथ पूरे न्याय के साथ उन पैसे को देश लाना होगा जिससे इस देश का विकास किया जा सके आज का उद्योगपित इसी भ्रष्टतंत्र को अपने मुनाफे का माध्यम बनाया हुआ है और पूरे देश पर राज कर रहा है हमें संविधान के उस अनुच्छेद

^{*} Laid on the Table

का पालन कर हमें देश का इस उद्योगपितयों से मुक्त करना होगा तभी हम एक सशक्त लोकपाल स्वच्छ लोकपाल एवं शक्तिशाली लोकपाल बिल लाने में सफल होंगे ।

हमें देश के विभिन्न राज्यों पूरे राज्यों में लोकायुक्त का गठन करना होगा जिससे हम राज्य से लेकर देश तक भ्रष्टाचार को दूर कर सकेंगें और तभी हम पूरे देश को विमुक्त भ्रष्टाचार से एक स्वच्छ देश का निर्माण करने में हमारी सफल भूमिका सिद्ध होगी।

आज चुनाव और चुनाव में होने वाले सभी भ्रष्टाचार वोट के बदले नोट की प्रथा को जड़ से मिटाना होगा ऐसी मानसिकता को पूरी ताकत से दूर करने के लिए हमें जितने संसाधनों की आवश्यकता होगी पूरा का पूरा उपयोग कर स्वच्छ मानसिकता का बीज बोना होगा तभी हम एक स्वच्छ मानसिकता का बीज बोना होगा तभी हम एक स्वच्छ समाज स्वच्छ शिक्षित विकसित देश का नवनिर्माण कर सकेंगे । आज हमें लोकपाल के लिए सभी मुद्दों को पूरे महत्वपूर्ण उदेश्यों और पूरी सर्वोच्च्ता के साथ हमें लोकपाल को लाना होगा जिससे संपूर्ण देश का पूर्ण विकास एवं विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए लोकपाल का प्रभावी बनाकर पूरी उद्देश्यों की सर्वोच्च्ता को तय करना होग । उन सभी मुद्दों में तीन की प्राथमिकता एवे सर्वोच्च्ता महत्वपूर्ण होगी जिसे पूरा देश स्वीकार कर रहा है और सबकी राय भी एक है क्योंकि वह सभी के लिए प्रभावी सशक्त करने का एक मात्र माध्यम है।

- 1. नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन
- 2. लोकायुक्त
- 3. लोअर व्यूरोक्रेसी

अर्थात संसद की सर्वोच्च्ता के साथ मैं अपनी सभी के एक निश्चत उद्देश्य के साथ इस लोकपाल बिल स्वच्छ, स्वतंत्र , सशक्त, शक्तिशाली लोक पाल बिल का समर्थन करती हूँ ।

(इति)

*श्री हरिभाऊ जावले (रावेर):

^{*} Laid on the Table

*SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD):

^{*} Laid on the Table

*श्रीमती मीना सिंह (आरा):

^{*} Laid on the Table

SHRI SHIVARAMA GOUDA (KOPPAL):

^{*} Laid on the Table

*प्रो. रामशंकर (आगरा):

^{*} Laid on the Table

*श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):

^{*} Laid on the Table

*श्री सी.आर.पाटिल (नवसारी):

^{*} Laid on the Table

*श्री हृक्मदेव नारायण यादव (मध्बनी): महोदय, भ्रष्टाचार के कारण का निवारण होना चाहिए। भ्रष्टाचार के स्वरूप को जानना होगा। आर्थिक, बौद्धिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और तकनीकी भ्रष्टाचार पर समग्रता से विचार करना होगा। प्रथम और सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा है। जाति प्रथा के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े जन्म लेते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और समाज को चाटते हैं। भ्रष्टाचारियों को जाति द्वारा संरक्षण तथा समर्थन मिलता है। इसे कैसे मिटाया जा सकता है? एक उपाय है कि सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा के लिए अंतर्जातीय विवाह को अनिवार्य कर दिया जाए। 100-50 साल में जाति प्रथा का नाश हो जाएगा और एक नया समाज बनेगा जो भारतीय होगा। क्या संसद ऐसा साहस दिखा सकती है। मुझे लगता है कि हम घबरा जाएंगे। जब तक लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हैं तब तक अपने निर्णय द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से राजनीति को लाभ पहुंचाते रहते हैं। लोभ और भय के कारण लोग पाप करते हैं। उन्हें लालच रहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद मिल जाएगा। बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों को लाभ पहुंचाते रहते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उन घरानों द्वारा लाभ का पद मिल जाएगा। आज कैबिनेट सचिव, चुनाव आयोग के आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजनीतिक निर्णय का लाभ उठाते हैं। संसद सदस्य बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, राज्यपाल और राजदूत बनाए जाते हैं तथा सरकारी उपक्रमों में निदेशक एवं प्रबंध निदेशक तथा सह अध्यक्ष बनाए जाते हैं। औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा निदेशक और सलाहकार बनाए जाते हैं। पदासीन होने के बाद विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उस घराने को लाभ दिलवाते हैं। मंत्रालय में उनके पक्ष में नीति बनवाने का काम करते हैं। स्वयंसेवी संस्था उनकी पत्नियों और परिवार वालों द्वारा चलाई जाती हैं, जिन्हें काम देकर लाभ पहुंचाते हैं, विदेशों से धन दिलवाते हैं। इस भ्रष्ट तंत्र का नाश कैसे किया जा सकता है? सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी या गैर सरकारी किसी संस्था में नियुक्त न किया जाए, सलाहकार या अवैतनिक पद पर न रखा जाए। इस तरह से प्रशासनिक भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी किसी सरकारी आयोग, बोर्ड या संगठन तथा निजी क्षेत्र में नियुक्त नहीं किया जाए।

बड़े घरानों द्वारा रंग बिरंगे टीवी चैनल चलाए जाते हैं। इसमें कालाधन लगाया जाता है। अपने चैनल द्वारा अपनी कंपनियों के उत्पादों का प्रचार करवाकर आयकर की चोरी करते हैं, प्रचार करवाकर लोगों का शोषण करते हैं। स्टिंग आपरेशन द्वारा पिछड़े, दलित और निर्बल समाज के सांसदों तथा जन प्रतिनिधियों का चिरत्र हनन करते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ है। भयग्रस्त बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों

^{*} Laid on the Table

का शोषण करते हैं। इसलिए इस पर नियंत्रण होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। इसी तरह चुनाव के समय समाचार पत्रों में समाचार के नाम पर विज्ञापन कराकर पैसा देते हैं। विज्ञापन पर टैक्स लगेगा, समाचार के साथ छापने पर टैक्स नहीं लगेगा, यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है।

देश में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा 2005-06, 2006-07, 2007-08 में 28,879 करोड़ विदेशी धन लिया गया और केवल दिल्ली में 5480 करोड़ रुपया आया है। भारत नेपाल सीमा वाले प्रदेशों में शिक्षा के नाम पर 1104 करोड़ तथा भारत बांग्लादेश की सीमा वाले प्रदेशों में 1874 करोड़ रुपए लिए गए। 87 संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इस तरह से विदेशी धन का प्रभाव बढ़ा है। विदेशी धन, विदेशी संस्कृति और विदेशी गुप्तचर तंत्र भयावह बन गया है। विदेशी शक्तियों ने खास तौर से आईएसआई अपना जाल फैलाकर उग्रवाद और आतंकवाद को फैलाया है। वे उनका पक्ष लेते हैं, इसकी जांच कराई जाए। सरकार श्वेत पत्र जारी करे। एक उच्च स्तरीय आयोग बनाए जो इसकी निगरानी करे और निरंतर उनके कार्यकलापों की जांच करे। इसमें बहुत एनजीओ हैं जिन्हें सरकारी अधिकारियों और औद्योगिक एवं व्यावसायिक घरानों द्वारा चलाया जाता है।

संविधान और संसद के अधिकार की सीमा में रहकर ही बुनियादी परिवर्तन किया जा सकता है। सतत क्रांति के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। देश के हर काम में पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों को समान भागीदारी दी जाए। हर पद पर उन्हें बिठाया जाए और अवसर दिया जाए। जब 85 प्रतिशत लोगों को उठाया जाएगा तो देश बलवान बनेगा और भ्रष्टाचार भी रुकेगा। धन्यवाद।

(इति)

*SHRIMATI YASHODHARA RAJE SCINDIA (GWALIOR): Madam Speaker, I thank you for giving me the opportunity to speak in the House on such an important day and on such an important subject.

My political life started in the Jai Prakash Narayan People's Movement of 1975 on my birthday. It was the second time in India after the 'Satyagraha Movement' that the common men came out in lakhs to join hon. Jai Prakash Narayan Ji in his cause. My mother's house in Purana Qila Road became the hub of the JP Movement. I was able to see at very close range, how the people of India could humble the Government on issues that needed to be addressed. For the 3rd time in Indian history, we are seeing the common men came out in crores to join Anna Hazare Movement against the widespread corruption in India.

We must first address the root of this present movement. What is the movement addressing – corruption? It is not that corruption has never been present in this country. But the last several months have seen a *BHOUCHAR* of scams -- with no end in sight; waiting in the wings are some more CAG reports where some more Ministers will go to Tihar.

There is always a 'time' for everything. It is not that corruption was not present. It is not that CAG was not present. It is because there is more and more transparency -- that the wheel of probity is turning -- it is not just a corruption of money, but it is also a corruption of mind. Please do not think that corruption will end with a Lokpal Bill in whatever form it finally comes.

We have to bring 100 per cent literacy into this country -- only then we can tackle corruption of mind and corruption of society. Parliament passed the Panchayati Raj Bill to give empowerment to the rural India. But look at the corruption at the lower level. *SARPANCHES*, *MAHILA SARPANCHES* and their *SARPANCH PATIS*, *NAGAR PALIKA ADHYAKSHON*, *GRAM SABHA SACHIVON* -- unless we keep pushing to improve infrastructure, agriculture and

^{*} Laid on the Table

literacy in each and every village -- because of the poverty and the rush of money coming in at the *PANCHAYAT* level there will be corruption, and because of the Panchayat being flushed with frauds, the lower Government officials (the BDO's, the *TEHSILDAR/PATWARIS*) all want a slice of the pie. So one can understand the necessity of bringing the lower Government officers under the purview of the Lokpal or Lokayukta.

In summation, the situation that is playing out today is only because the Government did not take the necessary steps to curb the money making and the corruption, once the scams started tumbling out. If the Government had taken the necessary steps early enough all this pressure to eradicate corruption would not have come about.

The Government has to be humble enough to realize its grave mistakes. It has to be humble enough to consult with Parliament and with the Opposition much more than what it is doing. It has to be humble enough to take suggestions during Parliamentary Debates -- from its Members, as we move among the public and are only putting up suggestions that the public wants.

My Leader of Opposition put out Party's stand very succinctly in front of Parliament today. We are all for a corrupt free country but we must take steps keeping in mind the Constitution of our country. There are no two ways on the issue of making a strong Lokpal Bill – we are all together on this.

Thank you for giving me the chance to give my views in this august House.

(ends)

*डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):

^{*} Laid on the Table

*श्री बाल कुमार पटेल (मिर्ज़ापुर):

^{*} Laid on the Table

(b4/1705/ru-sk)

1705 hours

(Dr. Girija Vyas in the Chair)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Madam Chairman,

जो उठे हैं इंकलाबों के लिए, वो अब न सोएंगे ख्वाबों के लिए, जाग उठा है समंदर नींद से, अब हवा भी बन चुकी तूफान है, देख खिड़की खोलके बाहर अभी, खड़ा है सवाली हिन्दुस्तान में सभी।

Corrupt Government, corrupt politicians not serious about weeding out corruption and lacking in political will are the common refrains on the lips of every Indian today. I must admit that our conduct for the last few days has done nothing to remove this perception from the minds of the people. Neither have we been able to assess the extent of their anger nor have we been able to address their grievances. In fact, our rigid stand has only worked in a manner that has alienated them further and made them more firm in their resolve to make sure that their demands are met at any cost and their protests do not fall on deaf ears.

I believe that, first of all, we need to remember that we have been sent here for the people. We have been sent here by the people and just because we have reached here does not make us any superior or smarter than those very people who have sent us here. Not one of us would be here without the backing of those millions. If those millions are making a demand, let their demand be right or wrong, then why should we not voice their demand in this House and then use our Parliamentary right to legislate such a law that will achieve the desired results of their demand?

But, unfortunately, instead of doing that, what have we done in the last so many weeks? We have tried to use secrecy, deceit, mishandling, and misconceptions have reigned supreme in the last few weeks to the extent that our people have totally lost faith that any politician here is even interested in weeding out corruption. In fact, they believe that we are the fountainheads that abet and encourage this very corruption.

Today, we face this historic challenge because everything we say today is going to send out a message to the people of our nation at a time when our credibility is at an all-time low. But more important than that is, at the end of the debate, the law that we legislate is probably going to be our final chance to redeem ourselves in the eyes of the people and re-win their trust again.

So, I urge everybody here that instead of just doing lip service, let our action speak louder than our words today. In a time bound manner, with a time limit and date set, let us come out with a strong commitment for a strong, precise and a decisive Lokpal Bill which will root out this cancer of corruption and restore the credibility for which this Parliament actually works honestly to deliver the promises to the people and their demands.

I salute Shri Anna Hazare and fervently appeal to him to end his fast. We all stand committed to what he is trying to eradicate. I specially admire him for his ideals and for awakening the sleeping conscience of this nation. His convictions are a source of inspiration to me which shows how you must stand on your beliefs when your beliefs are firm.

While I fully support the spirit of his Jan Lokpal Bill, I hope that a clear and decisive mandate will emerge from this Lok Sabha today. I would also like to make a few suggestions.

The Jan Lokpal Bill will work effectively to punish the corrupt and in a way deter corruption, but it will come into being only after a complaint or a corruption is done. What is necessary today - and it is equally important - is to not only give timely and just punishment to the people who are doing corruption but also address those areas and put in place an important system that weeds out corruption. It is only when a Government addresses those grey areas that breeds corruption, that is when we can enhance our effort by putting a Lokpal Bill which will punish the corrupt and overall corruption can be rooted out.

Comment: cd. by c4



(c4/1710/rbn/bks)

Comment: Shrimati kaur contd.

Today the billion plus people of our country are not affected by the top level corruption. What affects them in their daily lives is when they have to get their daily needs, like the ration card or a gas connection or a water connection or get admission in the school or electricity connection, they have to grease somebody's palms, pay a bribe to get these things. That is what harasses them.

That is why it is necessary that when the result of every interaction with the police or bureaucracy ministration is directly dependent on the amount of bribes that person gives, we must make sure that this need of the billion plus people is addressed. Why should I just say politicians or bureaucrats? Today, be it an educationist or a lawyer or a doctor or business tycoons or NGOs or media houses – every segment at any level – there is corruption. There is corruption in each and every segment of our society. We cannot just pinpoint anyone because it is there across all sections of our society. Corruption is there even in Schemes like the Indira Awas Yojana for the homeless or old age pension for the poor or even in MGNREGA. Even in these Schemes, they do not get their rights without paying bribes. This is the extent of corruption in our country.

The corrupt get richer using their ill-gotten wealth, tweak the justice system, get judgements in their favour, get favourable Government contracts, get admissions, get their jobs done. They murder the entire system at the cost of the country. Only if there is a strong political will to change the systems that breed corruption will there be a comprehensive way to end corruption.

If the Government is committed to rooting out corruption, it must first pinpoint all these grey areas and then take serious action in eradicating these interfaces which lead to corruption.

MADAM CHAIRMAN (DR. GIRIJA VYAS): Hon. Members, please keep quiet. SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): I would like to give you an example. Why did the 2G scam or the CWG scam take place? It took place because the Ministers and the bureaucrats have certain discretionary powers. They

use these discretionary powers to tweak the things in such a way that a favoured few could get favours from them. This led to momentous corruption. What needs to be done is that powers of these Ministers and bureaucrats must be taken away so that these powers are not there which give rise to corruption.

I would be happy to let you know that in my State of Punjab, we have removed and eliminated all these processes where Ministers and bureaucrats have the power to make these decisions. We have started a policy of e-tendering for all Government tenders above the limit of Rs. 5 lakh. Any one sitting anywhere in the world can bid for a scheme on-line without having to go to a Minister or a bureaucrat to get a favour. This has eliminated the unnecessary interface between the Executive Engineers, the bureaucrats and the Ministers. The bids have become so competitive that we have almost saved thirty per cent of the amount of the projects.

On 15th August of this year, the State Government of Punjab has implemented a Right to Service Act 2011 which makes the civil servants and the police accountable to the citizens of Punjab. There are 67 services of the Government, related to the Departments of Revenue, Housing, Police, Transport, etc. where the officer is liable to deliver the services in a limited time frame. Failing to do so, he has to not only pay a penalty or be penalised, but also will be suspended and lose his job. Thus making the officers, the bureaucracy, accountable to the *aam aadmi* and making the *aam aadmi* the king of his rights and giving him the rights as a citizen.

I will give you a small example, if you would allow me. These are the things which have been implemented, which can be used in the rest of the country. Today, if you need permission for using even a loud speaker, you have to go to the police; you have to make many trips, and probably bribe someone. But in Punjab, you can seek this permission on-line and get it via your computer. If you need a driving license or register a vehicle, you have to go DTOs or RTOs. But in Punjab,

the place where you purchase the vehicle, now that dealer can give you the registration. All the rights of the DTOs and the RTOs have been taken away.

If anyone wants to get his land records, he has to take umpteen number of trips to either the Tehsildar or the Patwari. You know how corrupt they are. In Punjab we have computerised all land records so that any farmer, any land holder sitting in any part of the world, can go on-line and get his records. ... (*Interruptions*)

सभापति महोदया (डॉ. गिरिजा व्यास): हम हाउस में एक बहुत गम्भीर विषय डिस्कस कर रहे हैं, कृपया शांत रहिये। मि.बादल, अब आप वाइंड अप करें।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): The point that I am trying to make is that we need to identify the areas that breed this corruption. (d4/1715/tkd-gg)

Then, we need to remove the interfaces that create this corruption and after that we need to bring in a very strong Lokpal Bill which punishes the corrupt.

I welcome the Jan Lok Pal Bill and the three points of the Citizens Charter and the public grievances and including the lower level bureaucracy is already a part of our Right to Services Act which has already been implemented in Punjab. We already have the Lokayukt Act.

The only few suggestions which I would like to give for this Lokpal Bill is that let the salaries of these employees be such that they are not tempted to resort to corruption to meet the basic needs in these times of extreme inflation.

I also suggest that if Lokpal or their officers are held guilty of any misconduct or dishonest investigations receive severe punishments because with the powers that they are wielding, they are like super policemen, super bureaucrat and super Prime Minister all rolled into one. If they have such powers, then their standards of conduct must also reflect these powers and misuse must be severely dealt with. Otherwise we are just going to end up creating yet another Supreme Executive Authority of India that has such sweeping powers that they can search, seize, prosecute, trespass into executive, judicial and legislative decisions, making

Comment: Contd. By D4

Comment: Shrimati S Kaur cd.



them wield powers to prosecute judges, MPs, Ministers and Prime Minister and the entire bureaucracy. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN (DR. GIRIJA VYAS): Please conclude.

SHRIMATI PRENEET KAUR (PATIALA): Madam, I will conclude within two minutes. ... (*Interruptions*) Without the necessary checks and balances, they might end up in just another Frankenstein that they cannot control and then we will need a *Maha* Lokpal to control this Jan Lokpal. ... (*Interruptions*) So, these checks and balances are very important. I also say that a journey of a thousand miles begins with a single step. This Jan Lok Pal Bill may not address the problem hundred per cent, but it is that single step for that long journey of eradicating this cancer. Let us take this step and do a great deed to start the end of this rampant corruption.

Madam, in the words of my great Guru, शुभ करमन ते कबहूं ना टरों ना डरो, अरि सों जब जाई लड़ों, निश्चै कर अपनी जीत करों।

Thank you.

(ends)

*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, I would like to mention some thing about Lokpal. On 4th of this month our August House witnessed the introduced either in Parliament nor in Standing Committee. I have the privilege to be a member of the present Standing Committee i.e. personal public grievance law and justice. Sir, after the introduction of the Bill in Parliament the Bill came for the consideration of the Standing Committee. In the first Committee itself Anna Hazare and his teams told to the Media people that "We have hope in Standing Committee". But after two three days Anna hazare and his teams declared that they have no faith in Parliament as well as the Standing Committee. Sir, I am humbly requesting the Hon. Members of this August House not to allow any body to lower the standard of our Parliamentary democratic systems. Sir, with out any hesitation I would like to point out that Anna Hazare and his team is trying to sabotage the basic structure of our Constitution.

Anna Hazare's movement is nothing but a movement of the city centric upper class people. These people are purposefully trying to furnishing the Parliamentary process.

Sir, I am fully agree with that day by doing the corruption increasing in our country. A strong mechanism is the need of the hour. Sir, instead of controlling corruptions Anna hazare and his team is propagating against basic nature of the Parliamentary systems. We cannot concede with this. If we will concede to this next time these people will start agitation against the resolution which is constitutional provisions of the SC/ST and other down trodden people having benefited.

Sir, I would like to mention one thing that the same Anna Hazare expressed his views that Narendra Modi the CM of Gujarat is the model of this period.. Anna Hazare and his team is claiming that they are fighting against

^{*} Laid on the Table

corruption; but they are not agreeing to include the so called NGO's in the perview of this Lokpal. They are claiming that the NGO's are not receiving any money from the State exchequer. Sir, it is more dangerous that even if such NGO's are receiving money from terrorist groups anti social elements and communal forces.

Sir, I am requesting that there must be a provisions for including NGO's in the armpit of Lokpal

Sir in our system there is an open provision before the Parliamentary Committee to give suggestions to anybody. Why not Anna Hazare and his team is not utilizing the Parliamentary forms? Are they totally rejecting the systems? Are they not believing the Parliamentary democracy. These are the important questions in which Anna Hazare and his team to Address to the people of India. It is not a simple thing. I am requesting all the respected political leaders not to support such kind of agitations today or tomorrow. Sir, I am requesting to all that the supremacy of the constitution of India has to be maintained. Institutions of democracy cannot be undermined and the checks and balances visualized in the constitutions cannot be adversely affected.

Sir, Laws have to be made by the Parliamentarians who are elected representatives of the country. Few nominated members of the drafting Committee cannot have precedence over elected Members of the Parliament.

(ends)

*श्री गणेश सिंह (सतना): आज सदन देश के एक ज्वलंत सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त कानून बनाने के लिए लोकपाल में क्या प्रावधान किया जाए, उस पर गंभीर चर्चा कर रहा है। देश की जनता आंदोलित है। आज भ्रष्टाचार अपनी चरमसीमा पर है। यह पाताल तक पसर गया है। समाज सेवक अण्णा हजारे जी पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और देश के लोग सड़कों पर हैं। मैं सबसे पहले उनसे अपील करता हूँ कि वे अपना अनशन समाप्त करें कयोंकि हम सभी सांसद प्रभावी लोकपाल बनाने के पक्ष में हैं। हालांकि आज तक जो परिस्थित बनी है, इतने दिनों तक आपको अनशन पर बैठना पड़ा यह केंद्र सरकार की नासमझी का परिणाम है। क्योंकि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को फलने-फूलने का पूरा अवसर देती आ रही है और अभी भी दे रही है। जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात या आंदोलन करते हैं उन्हें यह सरकार कुचलने में लगी हुई है। पहले रामदेव बाबा के आंदोलन को कुचल डाला, भाजपा युवा मोर्चा पर लाठी चलाई गई। 16 अगस्त को अण्णा जी को जेल भेजा। मैं अण्णा हजारे जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि उन्होंने देश की आम जनता की तकलीफ जिसका वर्तमान में कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, उसके लिए आपने देश को जगाया।

में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी के द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य का पूरा समर्थन करता हूँ। देश भर में अण्णा हजारे जी के समर्थक, मीडिया एवं सत्ता पक्ष यह कहते रहे हैं कि भाजपा अपना रूख स्पष्ट नहीं कर रही है। जबिक भाजपा ने कहा था कि हम अपना दृष्टिकोण सदन में रखेंगे। आज नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी का पक्ष जिन तीन मुद्दों पर सदन के नेता ने जो प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में उन्होंने अपनी बात जोरदार तरीके से कही और प्रभावी उदाहरण देते हुए अपनी राय देश की संसद के माध्यम से देश के समक्ष रख कर लोगों के मन का भ्रम दूर कर दिया है।

देश आज भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। इसकी जड़ें पाताल तक पहुंचा दी हैं। कोई क्षेत्र इससे बच नहीं पाया, दिल्ली से लेकर गांव तक, ग्राम पंचायत से पीएमओ तक। दुनिया के 187 देशों में से भ्रष्टाचार में 87वां स्थान भारत का है। सन् 2005 के एक सर्वेक्षण के आधार पर 2168 करोड़ रूपये हर साल आम आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। देश बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से देश अत्यंत चिंतित है। हम सभी सांसद भी चिंतित हैं। कई स्थानों पर भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गया है। लोग रिश्वत लेना अपना हक समझने लगे हैं। घोषित दलाली चल रही है। चारों तरफ विश्वास का संकट खड़ा हो गया है। पहले हमारे

^{*} Laid on the Table

गांव अत्यंत ईमानदार थे। घरों में ताले नहीं लगते थे। जब से पंचायतीराज आया उसने वहां भी भ्रष्टाचार सिखा दिया। आज सच्चा आदमी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। पहले ईमानदारी से जीने वालों का समाज में बढ़ा मान होता था। अब गलत तरीके से काम करने वालों का सम्मान होने लगा है। आज देश एक ऐसा लोकपाल चाहता है जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। श्री अण्णा हजारे जी ने अपने जन लोकपाल में जितने प्रावधान किए हैं, उनमें अधिकांश मुद्दों पर हमारी पार्टी की सहमति पहले से ही थी। जिन तीन मुद्दों पर, जिन्हें नेता, सदन ने यहां पर विचार हेतु प्रस्तुत किया है, क्या उसमें कोई ऐसा एक भी बिल है जिसमें केन्द्र एवं राज्यों में लोकपाल का प्रावधान किया जा सकता है।

दूसरा मुद्दा लोअर ब्यूरोक्रेसी का है। उसे भी लोकपाल या लोकायुक्त के दायरे में लाया जा सकता है। सीबीआई स्वायत्त हो अथवा उसे अपराध शाखा से लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है।

लोयर ब्यूरोक्रेसी जिससे आम आदमी भी सबसे अधिक परेशान है, उसे हम लोकपाल में लाने के पक्ष में हैं। प्रधान मंत्री को प्रमुख स्थितियों को छोड़कर लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। मैं और मेरी पार्टी इसके पक्ष में है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाया जाये, जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। सांसद सदन में जनता के सवालों को उठाते हैं और संविधान की धारा 105(2) के तहत जो अधिकार दिये गये हैं, उन पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है। सदन के बाहर सांसद भी आम आदमी है। यदि कोई अपराध करेगा, तो वह लोकपाल की श्रेणी में आयेगा।

व्यवस्था में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। हम और हमारी पार्टी भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने हेतु लोक लेखा गारंटी एवं आय से अधिक सम्पत्तियों को जब्त करने हेतु कानून बनाकर रखा है और इस कार्य को सबसे पहले मध्य प्रदेश ने आरंभ किया है। आम आदमी की रोज की जरूरत वाली समस्याओं के समाधान हेतु लोक लेखा गारंटी के अधीन नियम के तहत ला दिया, जो समय सीमा में काम नहीं करेगा, उसे अपने वेतन से पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा। पहले जनता की जेब से पैसा जाता था, अब अधिकारी की जेब से पैसा जनता की जेब में जायेगा। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। भाजपा हर विभाग में सिटीजन चार्टर लागू करने के पक्ष में है और उसे लोकपाल के दायरे में लाया जा सकता है। आज भ्रष्टाचार की लपटें सभी जगहें पसर गयी हैं। सक्षम, स्वतंत्र तथा प्रभावी लोकपाल की जरूरत है। सरकार पीछे हट रही है। सरकार आगे आये। हम उसके साथ हैं। जब सदन में सरकार लोकपाल विधेयक बहस के लिए लायेगी, उसमें जो आवश्यक प्रावधान होंगे, उन्हें जोड़ने का कार्य किया जायेगा।

आज सदन सामूहिक रूप से महसूस करता है कि भ्रष्टाचार का इलाज किया जाना जरूरी है। मेरी राय है कि लोकपाल के सदस्यों की जो नियुक्ति का मामला है, उसमें समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी स्थान होना चाहिए। लोकपाल सशक्त बने, इसलिए जरूरी है कि सभी पक्षों का गहराई से अध्ययन कर लिया जाये, तभी उसे मूर्त रूप दिया जाये।

भ्रष्टाचार विकास का बाधक है। इसके चलते अच्छे लोग निराश होने के कारण राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ रहे जबिक अच्छे चरित्रवान एवं ईमानदार लोगों की जरूरत है। आम जनता देश के राजनीतिक दलों तथा नेताओं को शक की नजर से देखती है। मेरा उनसे कहना है कि कुछ लोगों के गड़बड़ हो जाने से सभी के बारे में ऐसा मत सोचें। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ सार्वजनिक जीवन में गलत मुकदमे झेलने के बाद भी काम कर रहे हैं। लोगों ने उसी में जीवन लगा दिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधान मंत्री ने अपने एक वोट से सरकार गिरा दी, यदि वह चाहते तो सरकार बचा सकते थे। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि पिछली सरकार ने खरीद-फरोख्ड करके अपनी सरकार बचाई थी।

आज नैतिकता का सबसे बड़ा सवाल है और इसकी जरूरत सभी जगह है, सभी क्षेत्रों में हैं, चाहे वह सिविल सोसाइटी ही क्यों न हो। सबको अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले सबके मन में राष्ट्रीयता के प्रबल भाव की जरूरत है। जब व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए जीने का काम करता है तो अनैतिक कार्य कभी नहीं कर सकता।

लोकतंत्र में सरकारी मशीनरी पर हमेशा प्रश्निचिह्न लगते रहे हैं। उसके कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के लिए एनजीओज का प्रयोग किया गया। थोड़े दिनों तक कार्य ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद वे भी वही करने लगे, जो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आने लगा। विदेशों से 28 हजार करोड़ से अधिक की राशि एनजीओज को दी गई, लेकिन पता नहीं वह राशि किस कार्य के लिए दी गई। क्या इन सबकी जांच नहीं होनी चाहिए?

इसी तरह से मीडिया लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है। उसने भी अपनी मर्यादा तोड़ी है। पेड न्यूज, पैकेज तथा बदले की भावना से काम करना आज आम हो गया है। मैं मानता हूं कि उन्होंने भी अपनी मर्यादा को तोड़ा है। जो प्रैस काउंसिल है, वह प्रभावी नहीं है। अतः लोकपाल के दायरे में इन्हें भी लाना चाहिए।

देश में देखा जा रहा है कि थोड़े समय में छोटा व्यापारी उद्योगपित बन गया और सरकार को प्रभावित करके अपने पक्ष में कानून बनवाकर राजकोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः उन्हें भी लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए।

आज देश में जो अविश्वास पैदा हुआ है, उसके पीछे एक ही कारण है और वह यह है कि यूपीए सरकार के घनघोर भ्रष्टाचार एक-एक करके सामने आने लगे। एक तरह से देखा जाए तो कुल बजट से लाखों करोड़ रुपये से अधिक का धन घोटालों में चला जाता है। काला धन विदेशों मे भेजा जाता है और देश महंगाई की मार से त्रस्त है और गरीब एवं मध्यम परिवार के व्यक्ति को पेट भर भोजन न मिल सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।

केन्द्र सरकार ने मुस्तैदी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। प्रधान मंत्री कार्यालय को सब जानकारी होने के बाद भी भ्रष्टाचार होता रहा है। लेकिन अब सदन और अन्य राजनैतिक दलों के दबाव में आकर एक प्रभावी लोकपाल बनेगा, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद।

(इति)

1718 बजे

श्री लालू प्रसाद (सारण): महोदय, मेरा चांस अंत में आता है। अंत भला तो सब भला। यह हम लोगों का दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य है कि मेरे दल के चार एमपी जीत कर आए हैं। स्वर्ग में पहुंचाने के लिए चार आदमी ही काफी हैं। किसी को भी हम ही लोग पहुंचाएंगे। हम लोग राजनीति के लोग हैं और किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। लेकिन आज मुझे हैरत हुई कि ठीक दो दिन पहले भ्रष्टाचार पर यहां खुली बहस हुई और भ्रष्टाचार के सवाल पर सभी दलों के नेताओं ने भाषण दिया। पहले की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए और आज की भी प्रोसीडिंग निकाल लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। सरकारी डॉक्टर नहीं, बल्कि डॉ. त्रेहन जी जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे हमारे अच्छे संबंध है, अण्णा हजारे जी को देख रहे हैं। अण्णा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी कहा था की भ्रष्टाचार की यह लड़ाई नयी नहीं है। हम लोग लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकले हुए हैं। आडवाणी जी सहित सभी लोग चाहे उधर हैं या बिहार में जो सरकार में बैठे हैं, सभी जेल में थे। मीसा कानून के तहत हम लोग जेल में थे। पहले भी हमने बताया था कि हमारी जो पहली बेटी हुई, सभी की सलाह से हमने उसका नाम मीसा भारती रखा था। हम लोग आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं।

(e4/1720/cs-brv)

हम लोग अपने को नीचे न गिरायें और जो कोशिश हो रही है, जो षड़यंत्र इस देश में हो रहा है, इसी सदन में भ्रष्टाचार और काले धन के सवाल पर 17 दिन तक हाउस को रोका गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान ज्यादा था, उसमें सब लोग शामिल थे। हम लोग ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि उस समय सरकार गठन के समय कांग्रेस पार्टी को हमारे दल का, मुलायम सिंह यादव जी का समर्थन प्राप्त हुआ, आपको रोकने के लिए। भ्रष्टाचार के सवाल पर हमारे सभी एम.पी. खड़े रहे, सब लोग खड़े रहे। यह नयी चीज नहीं है। एक कान्ट्रीब्यूशन आपका है, एक योगदान इस सदन का है। शरद यादव जी ने ठीक कहा, कई सवालों और घटनाओं का जिक्र इन्होंने किया। हम देहात से आने वाले लोग हैं और गाय, भैंस, बकरी चराकर हम लोग आये हैं। वोट का राज है तो छूट का राज्या, गरीब का राज होता, उपवास रखकर हम लोग आये हैं। यो कतंत्र है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया, उसके तहत हम लोग यहां सांसद बनकर आये हैं, लेकिन सारे लोगों की क्या दुर्दशा की जा रही है। चाहे यह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हो या अण्णा जी की टीम के द्वारा हो, अण्णा जी भले आदमी हो सकते हैं और वे हैं भी। हम लोगों को अण्णा जी से सीखना चाहिए कि 74 साल की उम्र में 12 दिन तक वे टिक हुए हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। अनशन बड़ा भारी अनमोल अस्त्र है, लेकिन 74 साल का वह इंसान और टनाटन बोलना, यह कहना कि हम तीन किलोमीटर अभी दौड़ जायेंगे, यह हम राजनीति करने वाले

Comment: Fld. by e4

Comment: Lalu yadav contd.

लोगों को सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब लोगों को इस पर जरूर रिसर्च करनी चाहिए और किताब भी लिखनी चाहिए कि अण्णा जी के इतने लंबे अनशन का राज क्या है? कौन सा तत्व उनके अंदर है, हम लोग किस चीज का पान करें ताकि हम लोगों को भी कभी अनशन पर जाना हो तो जा सकें। उनके द्वारा उठाये गये सवाल पर हम लोग खड़े हैं। भ्रष्टाचार का सवाल कोई भी उठायेगा, यह देश नया बनाना है, जे.पी. का टोटल रिवोल्यूशन, इस पर कोई दो राय नहीं है। हमारा क्या अपराध था, हमने शुरू में ही कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। बाहर से कोई आदमी डिक्टेट करे, यह गलती आप लोगों ने की है, इसलिए इसे आप भोग रहे हैं। तब आप हम सब लोगों को बुलाते हैं और संसद को कॉन्फीडेंस में लेते हैं। हमने तो अण्णा जी से पूछा था कि संसद जानना चाहेगी कि सिविल सोसायटी का चुनाव कब हुआ? आप यह बताइये कि इसका चुनाव कब हुआ? आज अरूणा राय जी आ गयीं, फिर कल कोई दूसरे आ जायेंगे, तीसरे आ जायेंगे, यह तो एंडनेस स्टोरी हो गयी। हमें सबकी बात को सुनना पड़ेगा। आपने रिकग्नॉइज़ किया तो मैंने उस दिन भी कहा था कि वे पुराने लोग हैं, वे लोग लंबा-लंबा अनशन करते हैं, उपवास रहते हैं और कोई कारण भी नहीं रहता है तो भी लोग उपवास करते हैं। बहुत दिन तक तो लोग नमक भी छोड़ देते हैं ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ओवरहॉलिंग आदि होती रही। आज की बहस का क्या औचित्य है, मैंने कहा कि सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया गया कि जब संविधान की सारी संस्थाओं को, मैंने उस दिन भी कहा कि संसद सर्वोच्च है, लॉ मेकिंग बॉडी है। हमारी ज्यूडिशियरी चाहे किसी के भी पक्ष में फैसला होता है। अण्णा हजारे जी के जो मुंशी, मैनेजर लोग हैं, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, महोदया, उस शब्द को मैं यहां बयान नहीं कर सकता हूं। जिन मुकद्मों में हम लोगों को जलील किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से वे ऑक्विटल है। आडवाणी जी पर जो केस हुआ, वह ऑक्विटल है। जिस तरह से डेरोगेट्री शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगाने वाले लोगों का हम लोगों के सामने कोई स्टैटस है। हम सन् 1977 से पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में लगातार हैं। चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्य सभा में, स्टेट के अपर हाउस में, लोक सभा में सन् 1977 से लगातार हम लोग हैं। देश में लोकतंत्र है, इसीलिए हम हैं।

(f4/1725/mm/brv)

लेकिन जिस ढंग से व्यवहार हो रहा है। उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मैं असत्य नहीं बोलना चाहता हूं, सभी लोग वहां थे, सीपीआई, सीपीएम के भी थे, प्रणब बाबू अपनी सीट से उठकर गए, आडवाणी जी के पास गए, सुषमा बहन के पास गए, अरुण जेटली जी के पास गए और एम्प्टी रूम में एक घंटे तक गहन समीक्षा करके यह लोग जो प्रस्ताव लाए हैं, जिस प्रस्ताव पर हम लोगों ने अपील की कि अन्ना जी का अनशन टूटना ज़रूरी है। सरकारी लोकपाल बिल में यह बात साफ-साफ स्वीकार की गई है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नहीं समझते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो फाइनल झुफ्ट होगा, उसमें आपका और

Comment: Contd. By f4

Comment: Cd Prasad





नेशनल कनसैन्सिस करके, जिसमें अरुंधति रॉय, अरुणा रॉय और देश भर के विद्वानों की जो राय होगी, उस राष्ट्रीय सहमति पर सशक्त लोकपाल बिल बनाया जाएगा। हम लोगों ने स्वीकार किया है कि बनना चाहिए। अन्ना जी को सही ख़बर नहीं दी जा रही है। वहां पर जो भी जा रहा है, जिनका ज़िक्र शरद भाई ने किया है, हम लोग बारीकी से टीवी में मंच को देख रहे हैं। एक आदमी की बात खत्म भी नहीं हो रही है कि दूसरा माइक खींच लेता है, कभी तीसरा माइक खींच लेता है। किरण बेदी जी आपको चुनाव लड़ना है तो लड़िए, कपिल सिब्बल जी के ख़िलाफ़ सशक्त कैंडिटेट हैं, लड़ाई इसकी है। इसमें अन्ना हजारे जी का कहीं कोई दोष नहीं है। सब उनके कान में जाकर फूंक देते हैं, उनको चढा देते हैं। हम लोग टीवी पर देखते हैं। हम लोग मूर्ख नहीं हैं। हम पॉलीटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। फ़िलासफ़ी और राजनीति में फ़ोरकॉस्ट किया जाता है कि किसका समय कैसा आने वाला है। इसलिए अन्ना जी जब भी कुछ मन बनाते हैं. कोई उस कान में कह रहा है, कोई इस कान में कह रहा है। केजरीवाल जी हमारे मार्गदर्शक बने हुए हैं, हमें टीच कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में बोला था कि हम अन्ना जी को सैल्यूट करते हैं। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। सारे दल, सारे लोग, आपकी क्या प्रतिष्ठा बनी, क्या आपकी इज्जत रही, क्या इस संस्था, इस मंदिर की प्रतिष्ठा रही। देश यह जानना चाहता है कि किस बात की बहस हो रही है? आज आप पास कीजिएगा, लेकिन पास क्या करना है, जो भी सदन की प्रोसीडिंग है, स्थायी समिति में भेजिए। यह हम लोगों का बड़प्पन है। स्थायी समिति मिनी पार्लियामेंट है। हम लोगों ने सबसे पहले अन्ना जी को बुलाया था। इसमें सभी पार्टी के लोग हैं। यह कोई आम लोग नहीं हैं, इसलिए हमने उनका सम्मान और इज्जत की। हम लोगों ने उन्हें कहा कि आपको फिर से बुलाएंगे। आपके पास जो भी क़ागज़ है, आप समिति को दे दीजिए। सरकार बोलती है कि हमने बीस मांगों को स्वीकार कर लिया है। इन तीन बिंदुओं के क्या मैरिट्स और डिमैरिट्स हैं, उस पर प्रोपर फोरम में बहस होगी, वहां कमेंट दिए जाएंगे, जिन्हें लेकर हम आपके पास आएंगे।

सभापित महोदया, वहां अन्ना जी को मिसलीड किया जा रहा है, ठीक कहा शरद भाई ने। कोई उसमें रावण बन के आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मेला लगा हुआ है। मुझे चांदनी चौक के व्यापारी भाइयों ने जन्माष्टमी पर बुलाया था। वहां मुज़फ्फरपुर के लोग ज्यादा हैं। हम वहां गए, इसमें कुछ कहना भी ठीक नहीं लगता है। वहां सभी के गाल पर टैटू बना हुआ था।

(g4/1730/rv-ksp)

अभी दादा बोल रहे थे कि स्थिति वोलाटाइल हो गयी है, विस्फोटक हो गयी है। महोदया, हम वहां गए। मुझे सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे छोटे बच्चे ने भी देखा। मैंने देखा कि दस-पन्द्रह आदमी मोटर साइकल लेकर हमको एस्कॉर्ट करने लगे। मैंने कहा कि हम लोग लौट चलें। हम तो भगवान कृष्ण जी की पूजा में Comment: c dby g4

Comment: Sh. Lalu Prasad Cd.





जाएंगे और वे लोग तमाशा करेंगे। इससे हम पर उल्टा दोष मढ़ा जाएगा कि लालू यादव ने जाकर गड़बड़ किया। मैंने श्रीकृष्ण भगवान को कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं। आप जानें, आपका काम जाने।

महोदया, मेरा इसमें सुझाव है। सी.बी.आई. का गठन वर्ष 1946 में हुआ। सी.बी.आई. कोई मामूली संस्था नहीं है। यह सही काम भी करता है। कुछ अफसर गलत भी होते हैं। जो अफसर गलत करते हैं, उनको बंगाल में मंत्री बना दिया गया। हम उनको सैल्यूट करते हैं। मैं वाजपेयी जी को सैल्यूट करता हूं। कुछ साथियों ने कहा कि श्री यू. एन. बिश्वास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें गवर्नर बना दिया जाए। मैंने दुमका से फोन किया कि सर, इस आदमी को आप गवर्नर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी, आपको भीतर की बातें कैसे पता लग जाती हैं? मैंने कहा कि पता लग जाता है। खुराना साहब हैं न! क्या खुराना साहब नहीं हैं? अच्छा, भगवान के पास स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे तो लोग हैं।

महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि खुद अन्ना जी ने कहा है कि इससे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, 60-65 प्रतिशत जरूर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि लोग डरा जाएंगे। कोई कानून आप बना दीजिए। आप बनाइए। आपको बनाना है, लेकिन हम ऐसा गलत काम न करें कि कोई लालच में, कोई इस प्रत्याशा में कि वह गिरेगा तो हम आ जाएंगे, वह हटेगा तो हम आ जाएंगे। हम लोग कालिदास न बने। जिस डाल पर बैठे हैं, उस डाल को नहीं काटिए। यह संस्था रहेगी तो सब कुछ होने वाला है, सबका कल्याण होने वाला है। आपने गलती की। आप लोगों ने श्री अन्ना हजारे को कैद किया। आपने उस डिटेंशन को जस्टीफाई किया। पहले हमें मालूम हुआ कि पुलिस लाइन में ले गए। पुलिस लाइन के बाद मालूम हुआ कि तिहाड़ जेल में ले गए। कम से कम हम लोगों से पूछ लेते। आडवाणी जी से पूछिए। आडवाणी जी को गिरफ़्तार किया तो उन्हें उचित सम्मान दिया। उन्हें गेस्ट हाउस में रखा और हेलिकॉप्टर से भिजवाया। हम टेलिफोन से बात करते रहे कि सर, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। कोई तकलीफ होगी तो हमें बताइएगा। चूकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, इसलिए हमारी यह मजबूरी है। ये सब काम करने आप मत जाइए। इनकी बेटी हमारी बहन हैं। वे गए और फिर दामाद गए। उनको भी हमने बोला कि आएं-जाएं। लेकिन आप लोगों ने गलती की। उन्हें माइलेज़ मिल गया।

देहात में तालाब में जो मछली रहती है, वह जल्दी गरीब लोगों से नहीं पकड़ में आती है। हजार आदमी उसे पकड़ने के लिए सिर्फ कीचड़ में हाथ-पैर मारते हैं। जब बोआरी मछली उतराने लगती है तो मजबूत आदमी जाकर उसे जाल से छानकर ले आता है। मछली उतराए आप और छान रहे हैं अन्ना हज़ारे के लोग। "भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है।" यह नारा बदल जाता।

"धन और धरती बंट के रहेगा, अपना-अपना छोड़ के।" "दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदा के पैसा से जलपान करिए।"

हम लोगों को भाषण करते हुए लोग देखते हैं कि उछल-उछल कर क्या करते हैं?

महोदया, आप आई हैं इसलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हैं। हमें बोलने के लिए काफी ताकत मिल रही है।

सभापति महोदया : बोलने की समय-सीमा है।

श्री लालू प्रसाद (सारण): ठीक है, समय-सीमा है तो हम लोग सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे। उल्लंघन करने पर तो सज़ा हो ही जाती है। यह हमारा इतिहास ही है।

(h4/1735/sb-rs)

इसमें अन्ना जी के द्वारा उठाए गए सवाल पर हम और हमारा दल खड़ा है। भ्रष्टाचार का कानून बना दीजिए, मिहला एट्रोसिटी, कितनी मिहलाओं के साथ यहां अन्याय हो रहा है, देश में कितना मर्डर हो रहा है, कानून तो बना हुआ है। आप जितना भी कानून बनाएं, हमने आपसे रुपया लिया, आप पोस्ट ऑफिस और घर पर नहीं रखेंगे, इंकम टैक्स में खबर नहीं करेंगे, किसी पूंजीपित को दे आएंगे कि तुम रखे रहना, जब जरूरत होगी तब देना। जब जरूरत होगी तो वह बोलेगा कि आपका पैसा हमारे यहां कहां है। तब वह ठेंगा दिखा देगा। यह जो कानून बन रहा है, यह कानून बने, ठीक है, इसे बिढ़या से ठोक-ठका कर बनाएं, लेकिन इसमें जो लोग कैंडिल जलाने जा रहे हैं, वे फिराक में है कि अब ये किंगोंग पैसे लेंगे तो हमारे यहां जमा करेंगे और हम मालोमाल हो जाएगे। सब खेल एनजीओ का है, आज आप बोल दीजिए कि इसमें एनजीओ नहीं रहेगा तो कल पर खत्म हो जाएगा।

सरकार का जो बिल आया है, उसे हम पूरा नहीं पढ़ पाए हैं, हम उसे पूरा पढ़ेंगे। उसमें इन्होंने एनजीओ को रखा है, सोकॉल्ड जन लोकपाल बिल है, उसमें एनजीओ नहीं हैं, इस बात को जानना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा था कि सब भाई, माननीय सदस्यों को कहा था कि इसे माइनूटली पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। आप बताइए, सोशल जस्टिस, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी से लेकर सब लोग, गोपीनाथ मुंडे जी मामूली आदमी हैं। इनके पिता जी लोहा काटने वाले मजदूर रामलीला मैदान में गए। इन्हें किरण बेदी ने वहां गलत शब्द बोले और कहा कि इन्हें घेर लो, मत निकलने दो। उस दिन जब वहां ऑल पार्टी मीटिंग की खबर गई तो केजरीवाल ने क्या खबर दी, साथियों, पुलिस ऑफिसर ने

Comment: Cd. by h4

Comment: Lalu pdcd

हमें फोन किया है कि सुबह चार बजे अन्ना जी को उठा लिया जाएगा। अन्ना जी उठ गए, उन्हें कह दिया। वे बोले कि सुनो, हिंसा मत करना, तुम लोग हमें घेर लेना और सवेरे सब एमपीज़ के घरों को घेर लेना। ये मीडिया के लोगों को कहना चाहिए था, दूसरे दिन पूछना चाहिए था, केजरीवाल, तुमने किस आधार पर देश को मिसलीड किया। आग लग जाती, किसी का बच्चा जला दिया जाता, आप वहां मौन हो जाते। इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज लुंज-पुंज नहीं चलता है, देश और राज रोब से चलता है, कोई अन्याय नहीं करना चाहिए। इन चीजों को पढिए, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के जो लोग हैं, सभी प्रिंट मीडिया नहीं, रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर तो कुछ दिन में अपना लिखना-पढना, रिपोर्टिंग करना भूल जाएगा। इनका जो मालिक है, डिक्टेट करता है, ये लड़के और युवा-युवती क्या करेंगे। एनजीओ को लाइए, आधी रात तक चर्चा के बाद फिर चर्चा और आज की चर्चा में मेरा सुझाव है कि हम सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को, संविधान को एक ईंच भी हिलने-ड्लने नहीं देंगे।

मुझे खुशी है कि आज सभी दल के लोगों को और हमें चेतना आई है कि हम एक हैं और एक होकर, जो सवाल है, वह अलग है, लेकिन इस मंदिर को हम ढहने नहीं देंगे, चाहे कोई भी ताकत या कोई भी बात होगी। ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। आज के प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव नहीं, सारे पोलिटीकल पार्टी, जितने भी लीडर बोले हैं, इस पूरी प्रोसिडिंग को स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं।...(व्यवधान) वोटिंग किस बात की, किस चीज की वोटिंग होगी? गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए।

(j4/1740/mkg/rcp)

और राष्ट्रीय सहमति, सुना है कि यहां आज इंडियन एक्सप्रैस में छपा है, सुप्रीम कोर्ट के साल्वे जी ने कहा है, वे बहुत वरिष्ठ एडवोकेट हैं। साल्वे जी का कई दिन से छप रहा है कि क्या हो रहा है। हरीश साल्वे जी का इस देश में क्या सुपर पावर है, जजों के ऊपर यह लोकपाल, कौन प्रतीक्षा में बैठा हुआ लोकपाल है, किसके लिए लोकपाल की बात फिक्स हो रही है और कौन हमारे ऊपर बनेगा? पार्लियामेंट के मैम्बर को कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के मैम्बर को उसमें लाओ। हम तो अभी जो मैम्बर्स हैं, हम लोग हैं, लेकिन रिटायर्ड एम.पीज़. को भी उसमें लाया जा रहा है, जो बूढ़ा बेचारा बुजुर्ग हो गया और वह गांव में पेंशन पर जी रहा होगा, वहां उससे उसकी नून-रोटी चल रही होगी। यह आपके सरकारी बिल में है। यह गलत आप लोगों ने किया है, यह जो सरकारी लोकपाल बिल में है।...(व्यवधान)

सभापति महोदया (डॉ. गिरिजा



🗐 : प्लीज़ कन्क्लूड करें।

...(व्यवधान)

Comment: shri laloo prasad cd.

श्री लालू प्रसाद (सारण): जहां भी है...(<u>व्यवधान</u>) महोदया, आज की चर्चा भी संविधान के खिलाफ है। लेकिन अब हो गई, रिलैक्स कर लिया, आप लोगों को रिलैक्स करने की पावर है तो आपने कर लिया तो कर लिया। हम लोग भी बोल लिए, लेकिन आगे से फिर इस तरह की गलती मत करिएगा, मत करिएगा, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको, हमको माफ नहीं करेगा कि जो बाहर से कोई बोले और उसकी डिक्टेशन पर गले से गला लगाकर और जाकर उस उलझन में देश को फंसाकर और नाश करके काम करें। फिर इस संसद की कोई जरूरत नहीं है, यही मैं बोलता रहा हूं।...(<u>व्यवधान</u>) अच्छा बताइये, कोई ओम पुरी है? उसने कहा कि सब गांव के लोग आ रहे हैं, सुना कि सब फिल्मी कलाकार हैं। क्या हम सब लोगों को फिल्मी कलाकार पढ़ा रहा है, देश को पढ़ा रहा है?...(<u>व्यवधान</u>) नहीं-नहीं, कलाकार विशाखा, पिचासा, पता नहीं कौन-कौन कलाकार सब मुम्बई में बैठे हुए हैं।...(<u>व्यवधान</u>) आज भी यह सब क्या बनाकर रखा है?...(<u>व्यवधान</u>) छोड़िये, मनोज तिवारी को तो आपने ही अपनी पार्टी में रखा था, मोबाइल पार्टी में।...(<u>व्यवधान</u>) देखिये, अब आप सुनो न भाई, हम लोग तो कुछ भी चीज़ बोलें, देखिये, अन्ना जी का अनशन ये सब नहीं तोड़ने देंगे, अन्ना जी के जीवन पर वे सब खतरा पैदा करेंगे, इसको बढ़िया से रिकार्ड कर लीजिए। वे सब अन्ना जी को सही बात नहीं बोल रहे हैं। इसी झकाझक में उस महान नेता को, सीधा-सपाटा नेता को ये सब मार देंगे और सारी पार्लियामेंट को फिक्स कर देंगे, सरकार को फिक्स कर देंगे और इसलिए...(व्यवधान)

सभापति महोदया : रिकार्ड में केवल लालू जी की बात जायेगी।

(Interruptions) ... (Not recorded)

श्री लालू प्रसाद (सारण): लाख हम लोग एकता दिखा रहे हैं, लेकिन वे लोग नहीं मानेंगे, वे सब यह नहीं होने देंगे। उसमें सब एन.जी.ओ. के लोग हैं। एन.जी.ओ. इस सरकारी बिल में आया हुआ है। इसमें कारपोरेट हाऊस से लेकर प्रैस-मीडिया सारा है, चलो पूरे सारे देश को लाओ। हम तो यह कहते हैं, ये कम्युनिष्ट लोग हैं, ये नारा लगाते थे। क्या नारा लगाते थे कि सारे देश की प्रोपर्टी, चाहे जिसकी भी हो, खेत हो, लैंड हो, फॉर्म हो, एपार्टमेंट हो, लाल धन हो, पीला धन हो, काला धन हो, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमने तो इनको कहा था कि सारी सम्पत्तियों को, चाहे जिसकी भी हो, सब को टेकओवर करके नेशनलाइज करो और री-डिस्ट्रीब्यूट करो। इसमें सारे आदमी पकड़े जाएंगे, लेकिन आप लोग चुप हो जाते हैं। अपना नारा छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दी। अब कोई उपाय नहीं है, अगर किसी ने भी गलती की है तो पूछा जाये कि तुम यह कहां से लाये, कागज दिखाओ। सब फ्लैट के पास जाओ, क्यों जमीन की लूट हो रही है, क्यों एक्सटेंशन में टेंशन हो रही है, इन सब लोगों ने तमाशा बनाकर रखा है।

Comment: cd by k4

Comment: श्री लालू प्रसाद जारी

(k4/1745/cp/rp)

इसलिए नारे नहीं बदलना चाहिए, इरादे नहीं चकनाचूर होना चाहिए। ये नारे नहीं हों, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अन्ना जी, अन्ना जी, अन्ना जी। जब बांटने के सवाल पर कानून बनने जाता है, तब यह होता है कि धरना-धरती बंट के रहेगा, अपना-अपना छोड़कर। यही न हो रहा है। यही हो रहा है। यह है मेन रूट, यह अन्ना जी को भी हमने कहा था। हमने कहा था कि हम आपके साथ लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, इसको उठाइए, इसी से बात खत्म होगी। तब वह बोले कि अब तो हम एनाउंस कर दिए हैं, बाद में इसको देखेंगे। ...(व्यवधान) यह दिल्ली है, यहां उनकी सुरक्षा से लेकर सब तरह की प्रार्थना उनके लिए हम भी करते हैं। जो लोग देख रहें हा तो उनको सब बतायें। मीडिया के लोग भी देखो, यह देश रहेगा, यह संस्था रहेगी, तो आपका भी रेडियो चलेगा। ...(व्यवधान) सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर आफ न्यूज और हम लोगों को ही ब्राई दिलवा रहे हो और ब्राई दे रहे हो। डिबेट में इनको बैठाता है, जो डर के मारे टोपी पहन लिए थे, संजय निरूपम जी। ...(व्यवधान) इसमें कहीं भी पिछड़ा, दलित, माइनेरिटी नहीं दिखता है, कोई महिला नहीं दिखती है। महिला का एमपी के मामले में हम विरोध करते हैं, लेकिन जो भी बिल बने, उसमें वन-थर्ड महिला, बैकवर्ड क्लासेज सिटीजन आफ इंडिया, दलित और मुस्लिम भाइयों को आपको स्थान देना पड़ेगा, नहीं तो जो भी सहमति से बनायेंगे, तो हम लोगों का झंझट जारी रहेगा। मुंडे जी, आप दबिए मत, जहां हैं, वहां रहिए। ...(व्यवधान) आडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाकर भाषण कर दिया कि इस भीड़ में दस प्रतिशत आरएसएस के लोग हैं। यह नहीं होना चाहिए। आप नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, बनिएगा, बनिएगा तो बनिएगा। हम लोग इसीलिए विरोध करते हैं कि आप लोगों का रास्ता गड़बड़ है। इसलिए इस पर हम सब लोगों को सोच-समझकर पूरी डिबेट करके काम करना चाहिए। हम लोग नया इतिहास गढ़ने जा रहे हैं। यह हिस्टोरिकल बहस नहीं है, नयी सोच, नयी संरचना है, इसलिए सबको इन्वाल्व इसमें करना पड़ेगा, सारे लोगों को शामिल करना होगा। जिन लोगों को भी आना है, उन्हें बुलायेंगे। हालांकि रामदेव जी का हमने विरोध किया, लेकिन रामदेव जी को भी बुलायेंगे। ...(व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी में सब दल के लोग हैं। इसलिए सब दल के लोगों से मेरी अपील है कि इस संस्था को मिटने न दें। ऐसा न हो कि कोई आदमी जैसे सांप की नाक रगड़वाता है, यह दुर्दशा मत कराइए। अन्ना जी से हमारी अपील है कि आपके इर्द-गिर्द लगे हुए लोग अपने स्वार्थ के चलते आपको सही राय नहीं दे रहे हैं। आप अनशन बंद कर दीजिए। आप जीवन मूल्यवान है। इसे आप लोग छोड़िए। बड़े से बड़ा आंदोलन भी पोस्टपोन किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। गांधी बाबा ने ऐसा ही किया। गांधी बाबा नहीं बोले कि जाकर घेर लो। हर एमपी के घर में बाल-बच्चे हैं। पता नहीं कौन-कौन तत्व वहां घुस गया या साथ में चला गया? हम नवीन जिंदल जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय

झंडे के लिए यह सब कुछ किया। हर घर पर, हर साइकिल पर, हर मोटर में फहराया जा रहा है, यह नवीन जिंदल जी का योगदान है कि तिरंगा झंडा लेकर सब लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। जो लोग कार में जा रहे हैं, एक खिड़की में इधर निकाले हुए हैं, दूसरा उधर निकाले हुए हैं। किरण बेदी बोली हैं कि पीकर यहां मत आइए, पीकर कोई यहां नहीं आएगा। जब टीवी चलाया तो यह सब देखा। इसलिए हे टीवी वाले ओमपुरी लोग, लोकतंत्र को बचाओ।

(14/1<mark>750/raj/lh)</mark>

संस्था को बचाओ। इस देश को बचाओ। आप भी सही सुझाव दो। आपलोग चौखम्भा में हैं। आप के दुश्मन हम लोग नहीं हैं। आप सब लोग लग कर, बेहतर राष्ट्रीय सहमित से जिसमें एक से एक विद्वानों का इन्वाल्मेंट हो और तब हम लोग भी सरकार पर कंपेल करेंगे। सरकार पर क्या कंपेल करना है, हम सब लोग तय करेंगे। यह संसद तय करेगी। यहां से बनेगा। ...(व्यवधान) यहीं से तय होगा। हमारे कहने से तय नहीं करेगा। यही लॉ मेकिंग बड़ी है और इस पर अंगुली उठाते हैं-बताइए। बच्चियों को कहीं बंडी पहना कर बैठा देता है। नेताओं से क्या कमेंट करवा रहा था और हेट्रेड पैदा करवा रहा था? बोलता है मन है मैला दिल है का, ओ ओ ओ.......(व्यवधान)

सभापति महाप्या (डॉ. गिरिजा व्यास): लालू जी, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): इसलिए मेरा पूरा हाउस से अपील है, सभी माननीय सांसदों, नेताओ से अपील हैं कि जिन दलों का जो भी स्टैंड हुआ, हम तो तीन प्वाइंट वाला पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। जूडिशीएरी के ऊपर अंकुश लगाने के हम सख्त विरोधी हैं। बाकी अप्वाइंटमेंट के लिए आप ने जो कहा है, सुषमा जी ने जो कहा है कि कमीशन बने लेकिन जूडिशीएरी को डिमॉरलाइज नहीं करना चाहिए। वह ऐसा न महसूस करें नहीं तो ऐनार्की हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह सभी बेईमान लोग ही हैं - राजनीति में बेईमान लोग हैं, जजेज बेईमान हैं। सब ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग हैं। अच्छे लोगों की बदनामी नहीं होनी चाहिए। हमारा सरकार से और पूरे सदन से अपील है कि सारे प्रोसीडिंग का, सारे लोगों के भाषण को संग्रह कर के स्टैंडिंग कमेटी में भिजवा दीजिए। इस फोरम का आप वायलेशन करते हैं, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस सत्ताधारी दल तो मेरा मानना होगा कि आप संविधान और संसद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे नतीजा जो भी होगा अनशन तोड़वाइए। अपील तो कर ही रहे हैं अब क्या करें? हड्डी-गुड्डी तो सब बोल दिया, लेकिन माने नहीं। हमने कहा था, वहां बैठी है दीदी सुषमा जी ऑल पार्टी मीटिंग में हम लोग जाएंगे तो लोग भड़केगा। हमने यही कहा था कि सुपरमैसी है पार्लियमेंट। हमने यही कहा था कि इस देश में दूसरा

Comment: cont by 14.h

Comment: Cd shir lalu

कोई गांधी नहीं हो सकता है, लोकनायक जयप्रकाश नहीं हो सकता है। हम प्रयास कर सकते हैं लेकिन इस बात को लेकर उल्टा-पुलटा, लालू विरोध कर रहा है। ...(व्यवधान) चाहे जो भी हो, हर बात में तो आगे हम ही को खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए आप से निवेदन है कि पूरी बात को भेजिए, अन्ना जी सहित उनके और जो साथी हैं छांट कर किसी को भेजेंगे तो हम लोग सुनेंगे। फिर समझ कर आपके पास लाएंगे। आप यह सब पास करिएगा उसके साथ हम लोग सब रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

सभापति महोदया : कृपया आप सभी शांति से सुने।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : कृपया शांत रहे। बैठ जाइए। हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI):

{For English translation of the speech laid by the hon. Member, Shri O.S. Manian in Tamil , please see the Supplement. (PP 7010A... to 7010-E}

*SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):

^{*} Laid on the Table

1754 hours

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Madam Chairperson, only three minutes' time has been allotted to my Party. I am not going to exceed that timelimit. I respect the allotment of time by the Chair.

Madam, I am waiting from the morning to speak. I will just take three minutes. I do not want to make a lengthy speech. (m4/1755/kkd/nsh)

The hon. Leader of the House has made a statement today. We have been closely watching the outcome of the statement by way of discussions on the floor of the House. Just day before yesterday, the hon. Prime Minister had made a statement. Every Member of this House including the Leader of the Opposition has appreciated it; and they have all accepted the points raised by the hon. Prime Minister. The whole House was with him... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN (DR. GIRIJA VYAS): Please maint rder in the House. SHRI H.D. DEVEGOW HASSAN): I do not know what happened day before yesterday night and yesterday night as various versions in the media were witnessed. We are not a party for any discussions. Today, your good self, in your statement, 40 issues were raised. Out of 40 issues, we have thrashed out 18 issues; and there were also seven issues, which were controversial and there were divergent views. Lastly, there are three issues, which we need to discuss. They are: (i) whether the jurisdiction of the Lokpal should cover all employees of the Central government, (ii) whether it will be applicable through the institution of the Lokayukta in all states, and (iii) whether the Lokpal should have the power to punish all those who violate the 'grievance redressal mechanism' to be put in place.

I would like to just draw the attention this august to a Bill, which had been passed in Karnataka in 1984 by the Government of Karnataka. It was the Karnataka Lokayukta Bill. Our former Chief Minister of Karnataka and former

Comment: cd. by m4

Comment: Shri h.d. devegowda ctd

Law Minister is also sitting here. The public servants who are covered by that Act include:-

- The Chief Minister;
- All other Ministers and Members of the State Legislature;
- All officers of the State Government;
- The Chairman, Vice Chairman of local authorities, Statutory bodies or Corporations established by or under any law of the State Legislature, including Co-operative Societies
- Persons in the service of Local Authorities, Corporations owned or controlled by the State Government, a company in which not less than 50% of the shares are held by the State Government, Societies registered under the State Registration Act, Co-operative Societies and Universities established by or under any law of the Legislature.

It is a model legislation, which was brought in 1984. How has it been watered down today? I do not want to drag the names of any party or any party leader. This was a law enacted by the Janata Party Government in Karnataka in 1984.

So, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Leader, who raised these three main issues; whether to incorporate them in the Lokpal Bill, which is going to be considered by the Standing Committee. I would only say that it is for the Standing Committee to consider what it has been mentioned in the 1984 Loyayukta Bill, which had been passed in Karnataka.

Madam, I do not want to take much of the time of the House. I know my limitations because we are only three Members from our party. But I had been waiting since morning from 11 o'clock for my turn to speak. Yes, we have to bow our head to the Chair. There is only one thing, which I would like to say.

The corruption was also there from the days of Late Pandit Jawaharlal Nehru. (n4/1800/mmn-rjs)

Comment: Cpmtd nu n1.e

Comment: Deve Gowda ctd.

Comment:

Nobody can deny that. But from 1991 after the economic reforms were introduced, on one side there was the growth of our economy, what you call the GDP growth and on the other side the growth of corruption also simultaneously was going on and we must remember this.

What is Harshad Mehta's case? What is Ketan Parikh's case?

MADAM CHAIRMAN (DR. GIRIJA VYAS): It is six o' clock. If the House agrees, we extend the Ho

SEVERAL MEMBERS: Yes.

MADAM CHAIRMAN: Please continue.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): The hon. Prime Minister has also taken his own decision to bring some of these issues under the Lokpal Bill. The Leader of the House is trying his best to see that the whole atmosphere calms down and Anna Hazare Ji discontinues his fast or breaks his fast. You are doing your best. I must compliment you on behalf of my Party.

Only one thing I would like to say regarding the corporate houses. What happened to Enron? Advani Ji is here. What happened to Enron? What happened to Satyam? What happened to Bangalore-Mysore Infrastructure Corridor? I must say that today the corporate houses are one of the breeding centres for corruption. Both the officials and the politicians are colluded or in nexus whatever you may call.

These are some of the issues which everybody has to think over. Your goodself during the period of elections went on agitating throughout the country that the black money which has been deposited in various banks outside India should be brought. That is one of the main issues you have raised. We have no objection. During our period, we declared only one issue, that is, voluntary declaration. The Finance Minister at that time Mr. Chidambaram refused. Our Left Party colleagues had agreed to what I proposed. The total amount of money that



had been declared was Rs.33,000 crore and the revenue we had generated was Rs.10,800 crore. I am only mentioning that. I was not responsible for the amount of black money which was generated at that time. I had taken the charge on 1st June 1996. About the amount of black money, my colleague was mentioning that it was of the order of Rs.60 lakh crore. He was commenting that it was Rs.60 lakh crore or Rs.60 million. I do not want to go into these issues. The Opposition Leader mentioned that the amount of black money, according to Wanchoo Committee, was Rs.7,000 crore. There is no need for me to deliberate on all those details in this short time. I do not want to make a long speech.

I only appeal to the entire House to find out a solution to see that Anna Hazare Ji breaks his indefinite hunger strike. There must be some tolerance. We should all collectively pass a Resolution or whatever the views expressed by the hon. Leader of the House and the Leader of the Opposition should be taken note of and see that the whole atmosphere should be brought down to normalcy. Thank you very much.

(ends)

(FOR REST OF THE PROCEEDINGS, PLEASE SEE THE SUPPLEMENT.)